खण्ड-101, अंक-4
गुरूवार, 1 ज्येष्ठ, शक संवत् 1874
(22 मई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 101 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २२ मई, १९५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (४१२)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल लतीफ़, श्री मुहम्मद
अमरेशचन्द्र पांडे, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, माननीय श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आनन्दस्वरूप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर , श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उलफ़तसिंह चौहान, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, माननीय श्री
कमाल सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किंदरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलासप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खयालीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री

गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, माननीय श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानुशरणसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चरणसिंह, माननीय श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथब्रह्म दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल , श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुधारी पाण्डेय, श्री
धरमसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री

नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव उपनाम सत्यानन्द, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद, श्री
बलवन्तसिंह कुंवर, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतदीन, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोपाल सिंह, श्री
भोलासिंह, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मञ्जूरुल नबी, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुश्ताक़अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, माननीय श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह यादव, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, कुंवर
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनाथ खंरा, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री (कुण्डा)
रामस्वरूप, श्री (दूधी)
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहर्ष यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, माननीय श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भरनाथ पाण्डेय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर सिंह, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री

वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, राजा
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल , श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवसरन लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
श्याममनोहर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मख़्फ़ी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुगनचन्द्र, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम ख़ां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, माननीय श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हामिद ख़ां, श्री
हुकुमसिंह, माननीय श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

सदस्यों का शपथ ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की:—

(१) श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी

(२) श्री सूर्यबली पाण्डेय ।

उत्तर प्रदेश शुगर फ़ैक्टरीज कण्ट्रोल (संशोधक) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)—मैं उत्तर प्रदेश शुगर फ़ैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधक) विधेयक, १९५२ ई० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११७ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (अधिकारियों का वेतन तथा भत्ता) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)—मैं उत्तर प्रदेश विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई० को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११९ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री सैयद अलीर जहीर—मैं उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों के) विधेयक , १९५२ ई० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२१ पर)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री चरण सिंह (माल मंत्री)—मैं उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२३ पर)

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है—

"सदन महामान्य राज्यपाल का उनके अभिभाषण के लिये आभारी है"।

श्रीमन्, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस प्रदेश के राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। यह हम सब लोगों के लिये कम गौरव की बात नहीं है। सदियों की गुलामी के बाद, विदेशी शासन के पश्चात्, जनतंत्र के प्रथम विधान के अनुसार हमको यह गौरव प्राप्त हुआ है कि प्रान्त की जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम इस प्रदेश का पुन-स्संगठन और इस प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण करें। यह भी हम सब लोगों के लिये गौरव की बात है कि इस प्रान्त का नेतृत्व एक बार फिर हमारे इस प्रान्त के ही नहीं इस देश के महान नेता, कुशल राजनीतिज्ञ महापंडित श्री गोविन्द वल्लभ पन्त के सुपुर्द किया गया है । हमारा विश्वास है कि पंडित पंन्त के नेतृत्व में हमारे प्रान्त में जो सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिये युद्ध शुरू हुआ है उसकी किश्ती सही सलामत पार हो जायगी।

श्रीमान्, जैसा कि गवर्नर महोदय ने ५ साल में आने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम इस बात पर गौर करें कि हमारा लक्ष्य क्या है। पहले तो हमारा लक्ष्य केवल विदेशी सत्ता से आजादी हासिल करना था, लेकिन वह तो एक नकारात्मक लक्ष्य था । उस समय हम चाहते थे आजादी हासिल करना । शोषण

को खत्म करने के लिये, इस प्रदेश की जनता के हृदय से भय को दूर करने के लिये सर्वप्रथम महात्मा गांधी हमको याद दिलाई कि हमारा लक्ष्य है इस प्रदेश में कोआपरेटिव कामनवेल्थ की स्थापना करना और एक ऐसे समाज की स्थापना करना, जो वर्ग-विहीन हो, जिसमें जाति और धर्म का किसी प्रकार का भेद न हो और जिस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। तो कोआपरेटिव कामनवेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यह हमको अपनी उस नीति और साधन की तरफ ले जाता है जिसको हमारे राष्ट्र के अधिनायक महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये हमको दिया था।

आज संसार के अन्दर दो तरह के सिद्धांत चल रहे हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि संसार का कल्याण करने के लिये यह निरीह जनता, जिसको अपने हित का खयाल नहीं है, उसको एक आधुनिक तंत्र के द्वारा एक स्वर्ग के राज्य में दाखिल किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी ने हमको मार्ग दिखलाया है जिसका संकेत गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है कोआपरेटिव कामनवेल्थ की तरफ, जिसका मतलब यह है कि जनता की बुद्धि, उसकी सद्भावनायें, उसके समझने की शक्ति में हमारा विश्वास हो। हम इस बात का यकीन रखें कि अगर जनता के सामने हम सही दृष्टिकोण रखें अहिंसात्मक, शान्तिमय सिद्धान्तों के द्वारा, तो हम समाज का पुनर्निर्माण और पुनस्संगठन कर सकते हैं। इसलिये कोआपरेटिव शब्द का विशेष महत्व है। जब आजकल तमाम संसार में विनाशात्मक और हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं तब यह और भी आवश्यक है। यही कारण है कि जब इस सत्र का जीवन शुरू हुआ तब हमने शपथ ली कि इस विधान के प्रति निष्ठा रखेंगे और उस निष्ठा रखने का एक ही अर्थ होता है कि हम अपनी सामाजिक और राजनीतिक उन्नति शान्तिमय साधनों के द्वारा ही करेंगे। हमारी यह निष्ठा केवल शाब्दिक ही नहीं होनी चाहिये, बल्कि उसके प्रति हमारा जीवित विश्वास भी होना चाहिये। एक पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये साधन भी पवित्र होने चाहियें। हो सकता है कि हिंसात्मक साधनों द्वारा तरक्की जल्दी हो सकती हो, लेकिन उसके लिये जो रक्तपात और उत्पीड़न करना पड़ता है वह अच्छा काम नहीं और उसके साथ ही साथ हमें यह भी नहीं मालूम कि उससे समाज और देश का भविष्य भी उज्ज्वल होगा या नहीं। इसलिये यह आवश्यक है कि उन सिद्धान्तों में हमारा विश्वास हो और देश के भविष्य के उज्ज्वल बनाने के लिये सहिष्णुता और संतोष को हम आधार मान कर चलें। इस विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना है और जो उच्च आदर्शों की परम्परा हमें मिली है उसी के अनुसार हमें समाज का निर्माण करना है। इसलिये सब से पहिले हमको सोचना यह है कि क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आयेंगी। हमारा लक्ष्य है उन समस्याओं को हल करके जनता को शोषण तथा भय से छुटकरा दिलायें, और इसी के लिये हमारा निरंतर प्रयत्न होगा। ५ साल के बाद जब हम जनता के सामने जायेंगे तब जनता के पास हमारे लिये यही पैमाना होगा जिससे वह हमको नापेगी।

आज सब से बड़ा संघर्ष जो शुरू करना है वह खाने के मोर्चे का है। मैं इस सदन का समय ५ साल के कार्यकाल का सिंहावलोकन करके नष्ट नहीं करना चाहता लेकिन यह जरूर है कि ५ साल के जीवन में जो कुछ किया गया है वह ऐसा है जिसके लिये इस प्रान्त का प्रत्येक निवासी गौरव से अपना सिर ऊंचा कर सकता है। खाने के मोर्चे के अतिरिक्त, बीज वितरण का सवाल मजदूरों की समस्या तथा और भिन्न-भिन्न समस्यायें हैं, जिनके ऊपर हम अपने समाज और समाज की आजादी की नींव रख रहे हैं। इन पांच सालों में हमने सब से पहिला काम यह किया कि फूड समस्या को हल कर सके। ११ लाख एकड़ जमीन हल के नीचे लाई गई और १३ लाख एकड़ में और सिंचाई की गई। इसके अतिरिक्त जितने जलस्रोत थे उनका विकास करने की भी पूरी कोशिश की गई।

जहां तक हमारे प्रांत के साधनों का सवाल है, भूमि है जिसमें अन्न की दौलत भरी पड़ी है। साधनों की संख्या में कमी नहीं है लेकिन जरूरत इस चीज की है कि उन सब को ठीक प्रकार से काम में लाया जाय। माननीय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने ५ साल का जो आयोजन किया है उसके द्वारा हमें अपनी लड़ाई जहालत के खिलाफ़ गरीबी के खिलाफ़ शुरू करनी है

[श्री बनारसी दास]

जनता का नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्तर ऊंचा करने के लिये। तो इस प्रान्त में यह भी हमारे लिये कम संतोष की बात नहीं है कि सन् १९५०–५१ के अन्दर ३७ हजार टन अनाज हमने मंगाया और अगले साल यह संख्या और भी कम होगी और यदि इस प्रकार हम हिसाबलगायें और आयल सीड्स (तिलहन),दाल वगैरह जो हम प्रान्त से बाहर भेजते हैं उनको भी शामिल करें तो हम यह दावा कर सकते हैं कि हमारा प्रान्त अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में बिल-कुल स्वावलम्बी है। लेकिन हमको यहीं नहीं रुकना है। इसी कारण राज्यपाल महोदय ने सब से पहले इस प्रान्त की खेती को विकसित करने की ओर ध्यान लाया है। प्रान्त की खेती को विकसित करने के लिये जहां किसानों को खेती बारी के कार्य के लिये वैज्ञानिक ज्ञान दिलाना है वहां सब से पहले चप्पे चप्पे जमीन पर पानी को पहुंचाना है। अब तक २७ हजार मेसनरी वेल्स (पक्के-कुंयें) बने हैं और अभी १० हजार और मेसनरी वेल्स बनाना चाहते हैं। ५ हजार ट्यूब वेल्स बनाने का भी निश्चय किया गया है। इस तरह से इस मामले में हम इस प्रान्त को काफी आगे ले जायेंगे। पूर्वी जिलों में सिंचाई के छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं, बुन्देलखंड में बंधियां बांधी जा रही हैं और जिस वक्त यह कार्य पूरा हो जायगा उस वक्त इसमें कोई संदेह नहीं कि न केवल हमारा यह प्रान्त भोजन के मामले में स्वावलम्बी हो जायगा, बल्कि हम हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों की भी सहायता कर सकेंगे।

हमने अपने इस ५ साल के जीवन काल में ही जो सब से बड़ी समस्या है उसको हल करने का प्रयत्न किया है अर्थात् जो इस मुल्क के जीवन का आधार है वह है भूमि, उस भूमि पर किसानों को स्वत्व देने के लिये, किसानों को भूमि का मालिक बनाने के लिये हमने आमूल परि-वर्तन किया है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून को लाकर। इससे हम सब लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि अब पहली जुलाई से किसान अपनी भूमि का मालिक होगा और सदियों से जो जागीरदारी और फ्यूडलिज्म में उसका उत्पीड़न और शोषण होता रहा है वह हमेशा के लिये खत्म हो जायगा और हमारे किसान अपनी कमर सीधी करके स्वाभिमान के साथ चल सकेंगे। उस भूमि सुधार बिल के अन्दर हमने एक आधार रखा है कि इस प्रान्त की कृषि को पुनःसंगठन करने के लिये, कोआपरेटिव लाइन पर खेती को आगे बढ़ाने के लिये जो सब से बड़ी समस्या हमारे प्रान्त के अन्दर है वह अनइकोनामिक स्माल होल्डिंग्स (अलाभकर छोटी जोतें) हैं। उनके कंसोलिडेशन (चकबन्दी) का सवाल हमारे सामने है। मैं समझता हूं कि कंसोलिडेशन आफ लैंड होल्डिंग (जोतों की चकबन्दी) के साथ ही हमारे प्रान्त में अन-इकोनामिक खेती खत्म हो जायगी। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और आज जो उनकी वार्षिक आय कम है वह आगे बढ़ेगी। अब जो खेती पर भार बढ़ता जा रहा है वह अतिरिक्त भार औद्योगिक ज्ञान की तरफ आयेगा और इस प्रकार से हमारे तमाम प्रान्त की उन्नति होगी। इस प्रकार सब से पहला कार्य हम लोगों के सामने किसानों की जिन्दगी के अन्दर तब्दीली लाना है।

दूसरा प्रश्न जो बहुत आवश्यक है वह है मजदूरों की समस्या। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ी समस्या है और इस साल ५०० शुगर मजदूरों के लिये मकान बनाने की व्यवस्था करके मैं समझता हूं कि इस बात की शुरुआत की गयी है कि यह प्रगति उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि एक-एक मजदूर के लिये स्वस्थ मकान रहने के लिये नहीं मिल जाता।

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में माननीय राज्यपाल महोदय ने ठीक ही संकेत किया है कि हमारे यहां शिक्षा का आधार बदलना चाहिये। ५ साल के अरसे में शिक्षा में बहुत उन्नति हुई। बजट में भी करीब ५ करोड़ रुपये बढ़ गये। जहां प्राइमरी स्कूल १९ हजार थे, वहां ३३ हजार हो गये। सेकेंडरी स्कूलों की संख्या भी करीब दुगुनी हो गयी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा है, यह है कि क्या हमारी शिक्षा का लक्ष्य इन स्कूलों को खोलते जाना और उनसे जो विद्यार्थी निकलें वे इधर उधर बेरोजगार फिरते हुये असंतोष फैलावें, यही है। इसलिये उन्होंने ठीक ही कहा है कि शिक्षा का सामंजस्य होना चाहिये। तो हमारी सरकार का कर्त्तव्य होगा शिक्षा का पुनर्संगठन करना और आचार्य नरेन्द्रदेव जी के नेतृत्व में जिस कमेटी का संगठन हुआ है मैं समझता हूं कि वह

शिक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार बनायेगी कि जो लोग स्कूलों से निकलें वे इधर उधर नौकरियों की ही तलाश में न फिरें, बल्कि कुछ रचनात्मक कार्य करना सीखें। ऐसा कार्य करना सीखकर उन्हें वहां से निकलना चाहिये। मैं तो चाहूंगा कि प्रत्येक फैक्टरी शिक्षण का एक केन्द्र बन जाय जिससे कि हमारे विद्यार्थी शुरू से ही स्वावलम्बी होकर निकलें।

आजकल जहां तक उन संस्थाओं का सवाल है जो राष्ट्रनिर्माण करती हैं तथा जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, उसमें कोई ऐसा धर्म नहीं है जैसा कि कम्युनिज्म में। तो इस लिये आज हमारे लिये आवश्यक होगा कि हम यह सोचें कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। यद्यपि हम कोई धर्म उनके लिये ऐसा नहीं दे सकते जिस तरह से कि कम्युनिज्म एक नई सभ्यता है और जीवन नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम का तमाम एक नये ढंग का है, लेकिन यह हमें अवश्य करना होगा कि हमारी यूनीवर्सिटियों में जीवन का कोई लक्ष्य हो। जो आदर्श हमारे राष्ट्रपिता ने हमारे सामने रखे थे उन्हें देखते हुये हमारे शिक्षा मंत्रीजी का यह फर्ज होना चाहिये कि उन आदर्शों को अपने सामने रखें और देखें कि हम उनसे अपने युवकों के रोजाना के जीवन में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं ताकि वे स्वावलम्बी बनें। प्राइमरी एजूकेशन से लेकर यूनीवर्सिटी एजूकेशन तक हमें चाहिये कि महात्मा गांधी की फिलासफी के अध्ययन के लिये प्रबन्ध किया जाय ताकि उन लोगों के जीवन में जीवित रूप में हम महात्मा गांधी के आदेशों को कार्यरूप में परिणित होते देखें। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हम देखते हैं कि जहां शिक्षा के क्षेत्र में क्वान्टिटी (संख्या) बढ़ी है वहां क्वालिटी (योग्यता) गिरी है। उच्छृंखलता और अनुशासन-हीनता का यह हाल है कि आज मैं देखता हूं कि इधर इम्तहान खत्म हुये और उधर लड़के इस बात की खोज करते हैं कि एग्जामिनर (परीक्षक) कौन है। यह एक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस बात को हमें कड़े हाथ से रोकना होगा। हमारी प्रथा ऐसी होनी चाहिये कि विद्यार्थी अपनी नैतिक आत्मा के विकास के लिये प्रेरणा लेकर निकलें। इसका एक ही ढंग है कि महात्मा गांधीजी के आदर्श उनके सामने हों। इसलिये प्राइमरी स्टेज से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक महात्मा गांधी की फिलासफी का अध्ययन अनिवार्य कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी की फिलासफी की खोज की चेयर्स यूनिवर्सिटियों में कायम की जावें। महात्मा गांधी तो खुद कहते थे कि मैं किसी नये सत्य के अन्वेषण का दावा नहीं करता। सत्य तो हमेशा रहेगा ही और रहा है। इसलिये शिक्षण संस्थाओं द्वारा हमारा यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि हम गांधीजी की फिलासफी के अध्ययन को अनिवार्य करें।

हमारे सामने एक मुख्य सवाल यह भी है कि हम यहां पर न्याय व्यवस्था की सुव्यवस्था करें। इसकी तरफ महामान्य राज्यपाल ने भी इशारा किया है। वांचू कमेटी इस प्रांत की न्याय व्यवस्था में अमली परिवर्तन करने के लिये नियुक्त की गई है। हमारे रूल्स आफ प्रोसीज्योर (प्रक्रिया-नियम) इस तरह के हैं कि जिनमें आदमी को न्याय प्राप्त करने के लिये एक जगह से दूसरी जगह जरा-जरा सी बातों के लिये भागना पड़ता है। और सही मानों में कहा जाय तो यह है जैसा कि गांधीजी कहा करते थे "Present justice is a luxury to the rich and joy to the gambler" [वर्तमान न्याय धनिकों के लिये मनोरंजन है और जुआरी के लिये एक आनन्द है]। मैं समझता हूं कि अभी तक न्याय के बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वांचू साहब की रिपोर्ट में कहा गया है कि हम मौजूदा चहारदीवारी के अन्दर तो परिवर्तन कर सकते हैं जैसा कि हाईकोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई जाय, जुडिशियल जजों और मैजिस्ट्रेटी की संख्या बढ़ाई जाय और डिस्ट्रिक्ट जजों को कुछ और शक्ति दी जाय, लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त नहीं होसकता। वांचू साहब स्वयं फरमाते हैं कि इस क्षेत्र में अमली परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि कोई भी रास्ता अपनाया जाय वह ऐसा होना चाहिये कि जिससे सुलभ और सस्ता न्याय यहां की जनता को प्राप्त हो सके और उस तरह के न्याय को प्राप्त करने की प्रणाली को यहां पर चालू किया जाय। यह सुलभ न्याय की प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि जिसमें वकीलों की जरूरत न हो, जिसमें किसी खर्चे की जरूरत न हो और प्रत्येक मनुष्य को वहां से न्याय प्राप्त

[श्री बनारसी दास]

करने की प्रेरणा प्राप्त हो सके। मुगलों के राज्य में जहांगीर का इन्साफ मशहूर था। आज कल की जो न्याय शासन प्रणाली हमको मिली है वह जनतंत्र प्रणाली के अन्दर ब्रिटिश गवर्नमेंट से विरासत के रूप में हमको मिली है। इसको खत्म करना चाहिये और इसके अन्दर सीधी सादी एक न्याय की प्रणाली हम लोगों को कायम करनी चाहिये। हमको इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये कि सारे हिन्दुस्तान में क्या होता है। हम लोग इसको शुरू करें जिससे कि हमारा प्रांत इस मिसाल को कायम कर सके।

श्रीमान्, मैं ज्यादा समय इस माननीय सदन का नहीं लेना चाहता हूं। गवर्नर महोदय ने जिस बात की ओर संकेत किया है और जिसके ऊपर हमारी सारी हुकूमत निर्भर करती है उस मशीनरी की ओर उन्होंने संकेत किया है कि उसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई है जो हमारे सरकारी कर्मचारियों की प्रत्येक बातों पर गौर कर रही है। इसके लिये यह बात ध्यान रखने की है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों के अन्दर ईमानदारी, देशभक्ति पैदा हो और साथ ही हमको यह भी समझना है कि हम इस तरह के तरीके अख्तयार करें जिनसे हमारे सरकारी कर्मचारियों के अन्दर कर्त्तव्य परायणता उत्पन्न हो। और दूसरी चीज हमें काम करने के लिये जरूरी यह होती है कि भय उनमें उत्पन्न हो। यही दो तरीके ऐसे हैं कि जिससे काम लिया जा सकता है। इस पिछले पांच साल का अनुभव जो है हमको उससे बहुत ज्यादा संतोष नहीं है। हमारे लिये इस बात की जरूरत है कि जो करप्ट (भ्रष्ट) कर्मचारी हों उनको सजा दी जाय। यह सही है कि पिछले पांच साल में बहुत से अधिकारियों को सजा दी गई और शायद वह इतनी सजा दी गई कि जितनी ब्रिटिश काल में कभी नहीं दी गई होगी। लेकिन हम उससे अपने यहां की तुलना नहीं करते। हमारे सामने तो बहुत कुछ ऊंचा आदर्श है। हम कितने भी आगे बढ़ते चले जायं हमारा लक्ष्य तो आगे बढ़ना ही चाहिये इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मिशनरी स्प्रिट (सेवाभाव) का उनके अन्दर पैदा करना अत्यन्त आवश्यक है और इसके लिये एक ही तरीका हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या इस प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव पेश किया है वह उस पर अपना भाषण कर रहे हैं। आप बैठ जायं।

श्री बनारसी दास---श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे सूबे के अन्दर काम करने वाले ऐसे होने चाहिये, हमारी मशीनरी ऐसी होनी चाहिये कि जो दक्ष हों, कार्य-कुशल हों और जिसके अन्दर मिशनरी जील (उत्साह) हो और वह देश को ऊपर उठाने में हिस्सा ले सके। हमारे प्रांत की बागडोर हमारे जिन मान्य नेता के हाथ में है वह इस पर, मैं आशा करता हूं गौर करेंगे। तभी हमारी योजनायें कार्यान्वित हो सकती हैं और देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि ५ साल के बाद जब हम लोग यहां से बाहर निकलेंगे तो हम लोग गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमारे अन्दर जो जनता ने विश्वास रखा था हम उसके अधिकारी थे और हमने अपनी शक्ति के अनुसार उसको पूरा करने की कोशिश की और उससे हमारा सब का कर्त्तव्य पूरा होता है। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय राज्य-पाल के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री बनारसी दास ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है कि यह सदन महामान्य राज्यपाल का उनके अभिभाषण के लिये आभारी है, उसके समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हर्ष का विषय है कि हमने स्वतंत्र भारत का सबसे पहला चुनाव शान्ति पूर्वक, निर्विघ्न और निष्पक्ष रूप से समाप्त किया है और आज हम जनता के सच्चे प्रतिनिधि कहलाने के पात्र हैं। यह चुनाव संसार के इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव था। हमारा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि वह हर तरह से सबके आगे भी है और सबसे अधिक उन्नतिशील भी है। इसका मुख्यतः

श्रेय हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री और कुशल राजनीतिज्ञ माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त को है। स्वराज्य के बाद अब हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना और इसकी पूर्ति तभी सम्भव हो सकती है जब कि हमारा आर्थिक और सामाजिक ढांचा इस प्रकार का हो कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो या किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसे हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर मिले और उसके लिये जो आवश्यक सामग्री हो वह सब उसे उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ उसकी जो प्रार्थमिक आवश्यकतायें हैं वह भी उसको उपलब्ध हों।

पिछले ५ वर्षों में हम ने इस प्रदेश में ग्राम पंचायत, जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम सरीखे बहुत से महत्वपूर्ण कानून बनाये हैं और उनके द्वारा हमने अपने इस प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में शान्तिमय क्रान्ति लाई है। हम ने अपने ग्रामीण जीवन में नई चेतना और नई स्फूर्ति का संचार किया है और आज हमारी ग्रामीण जनता को अपने भौतिक, अपने नैतिक, अपने सांस्कृतिक और अपने आत्मिक विकास के लिये पूर्ण अवसर प्राप्त है।

जमींदारी उन्मूलन की कठिन परीक्षा न केवल विधान सभा में,बल्कि चुनाव क्षेत्र में और हमारा जो भारतीय संघ है उसका जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें भी हो चुकी है और सभी जगह वह कानून निर्दोष और सही ही नहीं सिद्ध हुआ है, बल्कि यह भी सिद्ध हो गया है कि जनता का उस से हित है। मेरी सदन के सभी वर्गों से अपील है चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों कि वे इस कानून को सफल बनाने में सहायक हों। हमारा प्रदेश हर प्रकार से समर्थ है, हमारे प्रदेश में उर्वर भूमि है, बड़े बड़े जलाशय हैं, बड़े-बड़े बन हैं और बहुत सी सम्पत्ति यहां भूगर्भ में संचित है, लेकिन दैवी प्रकोपों के कारण कहीं अतिवृष्टि से और कहीं अनावृष्टि से और कहीं ओलों आदि के कारण हमारी खाद्य समस्या बहुत ही जटिल हो गई है और उसकी ओर हमें सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी सरकार इस बात के लिये बधाई की पात्र है कि जहां अन्न ठीक तरह से नहीं हुआ है और जहां लोग कष्ट में हैं, वहां उन लोगों को सस्ता अन्न पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और यही नहीं किया गया है बल्कि लगान और माल गुजारी में भी भारी छूट दी गई है और वहां पर बहुत से टेस्ट वर्क (सरकारी काम) भी जारी किये गये हैं जिससे वहां के लोग काम में लग गये हैं। इस बीच में लगभग २६,००० नये कुयें हमारे प्रदेश में बने हैं और इसमें से करीब १० हजार के पूर्वी क्षेत्रों में बने हैं जहां इस समय अन्न का कष्ट है और हमारी सरकार की योजना है कि एक हजार नये ट्यूबवेल भी इसी क्षेत्र में बनाये जायें जिनकी लागत करीब ६ करोड़ रूपये के होगी। ये ट्यूबवेल आशा की जाती है कि एक वर्ष में तैयार हो जायेंगे। हमने इतना ही नहीं किया बल्कि हमने कई जगह जलाशय बनवाये हैं और कई जगह पर हमने बांध भी बनवाये हैं जिस से खेती की बहुत बड़ी उन्नति हुई है। लगभग ११ लाख एकड़ जमीन, जो कि अभी तक या तो बनों से आच्छादित थी या ऊसर बंजर थी, हम हल के नीचे ले आये हैं और उसमें हमने अन्न उपजाया है और १३ लाख एकड़ से अधिक भूमि पर हमने सिंचाई की व्यवस्था की है जहां पर अभी तक कोई भी सिंचाई के साधन नहीं थे। लेकिन फिर भी हमारे प्रांत की दशा इस प्रकार की है कि हर जगह पर हमको सिंचाई के साधन उपलब्ध करने की शीघ्र से शीघ्र आवश्यकता है। जब तक हम सिंचाई का पूर्णतया प्रबंध अपने प्रदेश में नहीं करते हैं तब तक हमारी जो खाद्य समस्या है वह पूर्णतया हल नहीं हो सकती है।

विद्युत् उत्पादन की भी बड़ी बड़ी योजनायें हमारे प्रदेश में चालू हैं, जिन में से बहुत सी पूर्ण भी हो चुकी हैं। इन योजनाओं से हजारों किलोवाट बिजली हम तैयार करेंगे जिस के द्वारा न केवल हम सिंचाई का काम कर लेंगे, बल्कि और भी खेती के काम कर सकेंगे। हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनकी भी वृद्धि कर सकेंगे।

[श्री राधाकृष्ण अग्रवाल]

हमारे राज्यपाल महोदय ने शिक्षा प्रणाली के सुधार की ओर भी संकेत किया है। हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि जो हमारे नवयुवक शिक्षित होते हैं उनमें से अधिकांश बेकार रहते हैं। यद्यपि इन पांच वर्षों में शिक्षा में हमने बहुत ही उन्नति की है और इसका मुख्य श्रेय जो अभी तक इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, उनको है लेकिन फिर भी हमारी शिक्षा की योजना में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। इस समय जिन नवयुवकों को टेक्निकल एजूकेशन (प्राविधिक शिक्षा) मिलती है या जिनको खेतीबाड़ी या पशु-पालन की शिक्षा मिलती है, वे भी सिवाय नौकरी खोजने के किसी प्रकार के काम में नहीं लग पाते हैं। हमारी शिक्षा अधिक व्यावहारिक होनी चाहिये जिस से जो नवयुवक शिक्षा प्राप्त करते हैं वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद खेती बाड़ी में लग जायं, पशु-पालन में लग जायं या नये उद्योगधंधों के चलाने में लग जायं और केवल नौकरी पर ही निर्भर न रहें।

राज्यपाल महोदय ने कुछ नये मकानों के बनवाने की भी अपने अभिभाषण में चर्चा की है। यह एक बहुत ही बड़ा कदम हमारी सरकार उठायेगी कि हमारे जो अपने सरकारी नौकर हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनके लिये और मजदूरों के लिये मकान बनवाने का प्रबन्ध करेंगे। यह प्रबंध होने में शायद कुछ देर भी लगे लेकिन जो कानपुर में मजदूर बस्तियां हैं, स्लम्स हैं, उनको तो हमको शीघ्र ही ध्वंस कर देना चाहिये। उनका अस्तित्व हमारे लिये बड़े अपमान और लज्जा की बात है।

स्थानीय प्रशासन की ओर भी महामान्य राज्यपाल ने संकेत किया है। लगभग ८ वर्ष से अधिक हो गया जब कि म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव हुआ था और तब से अभी तक कोई चुनाव नहीं हो सका बावजूद इसके कि इस बीच में म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में हमने संशोधन कर दिया है। हमें आशा है कि न केवल म्युनिसिपैलिटियों में बल्कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, गांव पंचायत, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया सभी में शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो सकेंगे। इस सम्बन्ध में एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जो पंचायती अदालतें बनी हुई हैं उनके संघटन की प्रणाली बहुत गलत है जिस की वजह से उनका कार्य सम्पादन ठीक नहीं हो पाता है और जनता में घोर असंतोष है। हम चाहते हैं कि जो नया चुनाव पंचायतों का हो उससे पहले इन अदालती पंचायतों के संघटन के कानून में आवश्यक संशोधन किया जाय जिससे जनता को पूर्णरूप से संतोष हो सके।

राज्यपाल महोदय ने हमारी न्याय प्रणाली की ओर भी कुछ संकेत किया है। इस समय जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो न्याय व्यवस्था है, उससे जनता को बहुत ही असंतोष है। हमारी न्याय प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिये कि जिससे न्याय सुलभ हो, सस्ता हो, सरल हो और जल्द मिल सके। मैं नहीं समझता कि जो वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दी है उससे हम इस लक्ष्य के निकट कहां तक पहुंच सकेंगे। लेकिन फिर भी जो उसकी सिफारिशें हैं वह शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करनी चाहिये।

हम और अधिक न कह कर फिर महामान्य राज्यपाल को एक बार धन्यवाद देते हैं और उनके अभिभाषण के लिये हम अपनी कृतज्ञता प्रगट करते हैं।

माननीय अध्यक्ष—अब बहस का उपक्रम इस प्रकार होगा कि जिन्होंने अपने संशोधन मुझे दे दिये हैं और मैंने स्वीकृत कर लिये हैं वे उपस्थित हो सकते हैं। क्रम से एक एक करके सभी अपने अपने संशोधन उपस्थित करेंगे और उसके पश्चात् प्रस्ताव के ऊपर और संशोधनों के ऊपर आम बहस इस भवन में होगी।

श्री राज नारायण—माननीय स्पीकर महोदय, गवर्नर महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित संशोधन जोड़ दिये जायं :—

> "परन्तु सदन को खेद है कि गवर्नर महोदय ने, जमींदारी प्रथा के टूटने में जो विलम्ब हुआ और दस गुना लगान की वसूली में जो किसानों पर मुसीबत आयी, उसका कुछ वर्णन नहीं किया।

जाति, धर्म, वर्ग और स्त्री-पुरुष के भेद के बिना समाज के विकास को सरकार का उद्देश्य जिस मार्ग पर चलकर पूरा होने को बताया, उस मार्ग पर चलकर वर्गविहीन तथा वर्ण विहीन समाज की रचना नहीं हो सकती। पंचवर्षीय योजना के अन्दर कमियों और खामियों का वर्णन न कर मार्ग को प्रशस्त नहीं किया।

खाद्य समस्या को सुलझाने के महत्त्वपूर्ण सोशलिस्ट पार्टी के अन्न सेना को संगठित करने के सुझाव पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया।

जहां नयी जमीन पर खेती की चर्चा की वहां इस बात को छोड़ दिया कि पहले जोती जाने वाली कितनी जमीन आज परती पड़ी है।

सिंचाई में नहर का रेट बढ़ने से जो किसानों का नुक़सान हुआ है उसका वर्णन नहीं किया।

गल्ला वसूली योजना पर सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सरकार को भेजी गई प्रस्तावना पर प्रकाश नहीं डाला।

चीनी और गन्ने के दाम निर्धारण प्रक्रिया के दोष का वर्णन नहीं किया। खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न और उद्योग-धन्धों से उत्पन्न होने वाले सामान के दाम में न्याय-युक्त संतुलन स्थापित करने की बात की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं किया।

गोरखपुर में मजदूरों के ऊपर निर्मम गोली वर्षा का वर्णन नहीं किया।

हमारे सूबे में प्रारम्भिक बुनियादी शिक्षा को निःशुल्क बनाने की आवश्यकता का वर्णन नहीं किया।

विद्यार्थियों की बढ़ी हुई फ़ीस से शिक्षा में जो रुकावट पड़ी, अध्यापकों की कम तनख्वाह होने के कारण शिक्षा में जो रुकावट पड़ी और पड़ेगी उसका वर्णन नहीं किया।

ग्राम पंचायतों को सच्चे स्वराज्य के रूप में परिणत करने के सोशलिस्ट पार्टी के चौखम्भा राज्य (Four pillars of the State.) के सिद्धांतों को अपना कर आगे ग्राम पंचायत राज को सच्चा राज बनाने के सुझाव का वर्णन नहीं किया।

न्याय विभाग को शासन से क्यों अलग नहीं किया इसका वर्णन नहीं किया। विकास योजनाओं की असफलता का वर्णन नहीं किया।

राज्य के प्रशासन में बढ़े हुये खर्च को कम करने के सोशलिस्ट पार्टी के बड़ी से बड़ी एक हजार और कम से कम एक सौ रुपया तनख्वाह के सुझाव पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया।"

माननीय स्पीकर महोदय, जो गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का संकल्प उपस्थित किया गया है उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि गवर्नर महोदय ने सरकार आगे चल कर किस रास्ते पर देश की गरीबी और बेकारी को दूर करेगी और वर्गहीन और वर्णहीन समाज की रचना करेगी, इसकी ओर उचित रूप से ध्यान आकर्षित नहीं कराया है।

मैं आपके सामने थोड़े में जो हम सब लोग इस सदन में चुन करके भारतीय संविधान के अनुसार आये हैं और जिस आम निर्वाचन के द्वारा हम लोग आये हैं उसमें जिस तरह की धांधली और जिस तरह की गड़बड़ी हुई है उसको बताना चाहता हूं और मेरा विचार है कि उसमें विधान की धाराओं का भी उल्लंघन किया गया है। मत पेटिकाओं का क्या स्वरूप हो, मत पेटिकाओं पर सील और मोहर कैसे लगायी जायं, इन तमाम बातों में सारे सूबे में गड़बड़ी की गयी है। कोई कह सकता है

[श्री राजनारायण]
कि यह मामला तो पेटीशन (याचिका) का है। परन्तु एक, दो, तीन, चार मामले हों तो उन पर पेटीशन दायर किये जायं। सारे सूबे में जब इस तरह की अव्यवस्था हुई है तो उस पर पेटीशन कहां तक दायर किये जा सकते हैं। यह मामला तो कोई ड्रास्टिक स्टेप उठाने (कठोर कार्यवाही करने) से ही सुधर सकता है। पहले हमारी ओर से सुझाव दिये जा चुके हैं। मैंने एक पत्र भी माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था। आज जो इस चुनाव में अनियमितताएं बरती गयी हैं, उससे सूबे में जो जनतांत्रिक प्रणाली है उस पर जनता का अविश्वास पैदा हो गया है। अगर आप इस अविश्वास को दूर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जनता इस बैलेट (शलाका) के रास्ते को छोड़ कर बुलेट (गोली) का रास्ता अख्तियार करे। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा इस सदन से अपील करना चाहता हूं कि मेरे पहले के मुख्य मंत्री को लिखे गये पत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित होना चाहिये।

एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की मनोवृत्ति सर्वदा तानाशाही रही है। सरकार अपने बहुमत के गर्व में विधान सभा के नियमों का भी समय समय पर उल्लंघन करती गयी है। अभी अभी आपके सामने जो नयी कैबिनेट की घोषणा हुई, गवर्नर महोदय यहां नहीं थे, नैनीताल में विद्यमान थे। १६ तारीख की रात में एक प्रेस कान्फरेंस बुलायी जाती है और कैबिनेट के सदस्यों के नाम उसमें घोषित किये जाते हैं। इलाहाबाद के एक दैनिक-समाचार पत्र ने यों समाचार निकाला है कि पंडित कमलापति जी इस कैबिनेट में ले लिये गये, इसकी सूचना उनको माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी और माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत जी ने दी और बनारस के नागरिक आजादी के साथ उनका स्वागत करने के लिये मेल के समय पर उपस्थित हुए। कल इस सम्बन्ध में गवर्नर महोदय से मैंने अपने मित्र और काउंसिल के सदस्य श्री राजाराम शास्त्री के साथ मुलाकात की। गवर्नर महोदय ने स्पष्टरूप से कहा कि उन्हें किस तरह से अखबारों में यह खबर निकली, किस तरह से कैबिनेट का ऐलान हुआ, उसकी कोई सूचना नहीं है। मैं समझता हूं कि जब एक बार पुरानी कैबिनेट रिजाइन (पदत्याग) कर दे, इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री लिस्ट उपस्थित करें, उसके बाद भी...।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपने संशोधन पर नजर रखें।

श्री राज नारायण—मैं इसी तरह से और जितनी अनियमितताएं बरती गयी हैं उन पर इस समय अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि समय कम है।

आज की खाद्य परिस्थिति कैसी है? सोशलिस्ट पार्टी की ओर से बराबर सुझाव दिया गया कि आप जमींदारी बिला मुआविजा ले लें। मगर उस सुझाव की कोई परवाह नहीं की गयी। जमीन का बंटवारा किया गया। अनएकोनामिक होल्डिंग्स (अलाभकर जोतों) को एकोनामिक बनाया जाय। जब तक एकोनामिक होल्डिंग नहीं होगी तब तक खेती का सवाल कैसे हल हो सकता है? अन्न सेना का सुझाव दिया गया। जब यह सुझाव दिया गया तो इसका मजाक उड़ाया गया। परन्तु बाद में शब्दों में उसे लिया गया और तत्व की अवहेलना की गयी, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर सच्चे मानी में आप खाद्य-समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आप जमीन का बटवारा कीजिये।

अभी मैंने सुना कि शायद १७५ दफा जिसके द्वारा बेदखली बंद थी वह खुलने जा रही है। मैं इस हाउस के सामने अपील करना चाहता हूं कि किसी तरह से भी अगर बेदखली खुलती है तो उत्पादन में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिये इस को जल्दी से जल्दी रोका जाना चाहिये और जमीन का बंटवारा होना चाहिये। जमींदारी उन्मूलन योजना में जमीन के बंटवारे की योजना की कहीं भी चर्चा नहीं है। जब जमीन के बंटवारे की बात की जाती है, तो कहते हैं कि इतनी जमीन कहां है, लेकिन हम तो यह कहते हैं कि जितनी जमीन है उतनी बांटिये। जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे वापस लीजिये यानी

जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है उससे वापस लीजिये। जिनके पास कम जमीन है और अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनको बढ़ाकर इकोनामिक (लाभकर) कीजिये। जितनों की समस्या सुलझा सकें उतनी सुलझाइये। दूसरों के लिये दूसरी व्यवस्था की जायगी।

इसी के साथ साथ, स्पीकर महोदय, मुझे यह कहने में गर्व है कि इस गवर्नमेंट की तानाशाही के अन्दर मुझे भी चार बार जेल काटने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। जिस तरह से कि अंग्रेजी राज्य में हमारे मंत्री वगैरह जेल काट कर भी सरकार का विरोध करते रहते थे उसी तरह से मैं भी गौरवान्वित होता हूं कि मैंने चार बार जेल काटी है और आज भी हमारे इस हाउस में चार सम्मानित सदस्य हैं जिनमें से किसी को ढाई साल की और किसी को दो साल की सजा हुई है। यह सजायें इनको क्यों हुई हैं? देवरिया के सत्याग्रह के सिलसिले में इनको सजायें हुई है।

मैं आपके सामने आंकड़े पेश करना चाहता हूं। वह आंकड़े मैं सन् १९४८ की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से पेश कर रहा हूं। १२ फरवरी से २१ मई तक की जो अंतिम रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि इस जिले की चार आने छै आने फसल रह गई है। जो रिपोर्ट है वह कहती है कि सन् १९४७-४८ में १,७४,००० एकड़ जमीन जोती गई जिसमें ५३ हजार टन गल्ला पैदा हुआ। सन् १९४८-४९ की रिपोर्ट है कि १,८०,००० एकड़ जमीन जोती गई और ५६,००० टन गल्ला पैदा हुआ। इससे अगर आप हिसाब लगायेंगे तो मालूम होगा कि जिस सन् में चार आने से छै आने फसल की रिपोर्ट है उनमें तो एक एकड़ के पीछे ८ मन २४ सेर गेहूं पैदा हुआ और जिस साल नुक़सान की रिपोर्ट नहीं है उसमें एक एकड़ के पीछे ८ मन १६ सेर गेहूं पैदा हुआ। यह सरकार के डिपार्टमेंट के आंकड़ों की पोल है।

यहां पर जो आडीटर की सन् १९४९-५० की रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि १४ करोड़ रुपये से ऊपर रुपया नाजायज़ तरीक़े पर ख़र्च हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के जमाने में हमारे सूबे के अन्दर इस तरह से १४ करोड़ से ज्यादा रुपया नाजायज़ तरीक़े पर खर्च होता हो, तो वह सरकार किस तरह से जनहित का काम कर सकती है। इस पर आप गौर कीजियेगा। यह प्रेस की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि गवर्नमेंट का शायद ही ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो जिसमें अनियमितता न हुई हो। जहां सन् १९४२-४३ में ५ आपत्तियां थीं अब १९४९-५० में १९६४१ आपत्तियां हुईं और उनमें १४,३०, ११,४५३ रुपया खर्च हुआ।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--एक वैधानिक आपत्ति है।

माननीय अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप कृपा करके बैठ जायं। माननीय सदस्य कोई वैधानिक आपत्ति पेश करना चाहते हैं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या कोई माननीय सदस्य, जो चीज अख़बार में छपी है, उसका यहां हवाला दे सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष--आप आडिट रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं।

श्री राजनारायण--गोरखपुर में गोली वर्षा हुई। मैंने माननीय पुलिस मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई, उसकी अनआफिशियल इंक्वायरी तक नहीं हुई। क्या जनतंत्र के माने यही होते हैं? इसके माने होते हैं डिक्टेटरशिप (तानाशाही)। स्वराज्य के क्या माने होते हैं? सच्चा स्वराज्य तब ही होगा जब कि किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली दूसरी शक्ति नहीं रहेगी।

"There will be no distinction. The general will will be transformed into single will and distinction between mental and Physical labour will disappear."

[कोई भेदभाव नहीं होगा। जन-सम्मति एकल सम्मति में परिवर्तित हो जायगी और मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम में भेदभाव लुप्त हो जायगा।]

[श्री राज नारायण]

यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें स्थान हमारे गुरुओं का प्राप्त हो चुका है, उन्होंने हमें इस बात को पढ़ाया होगा। मैं क्या यह कहूं कि आप यह भी तो सोचें कि न्यू ब्लड (नवीन रक्त) के माने न्यू फेसेज (नवीन मुख) नहीं हुआ करते। जहां आप जनतंत्र की बातें करेंगे तो वहां जनतंत्र में पोलिटिकल पावर (राजनीतिक शक्ति) भी डिस्ट्रिब्यूट (वितरित) हो, जनतन्त्र में इकनामिक पावर (लाभकर शक्ति) भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिये और आज के जमाने में जनतन्त्र में लीडरशिप की भी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। अगर लीडरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो जनतंत्र नहीं चल सकता। आज नये फेसेज कैबिनेट (नवीन मुख मंत्री मण्डल) में आ गये हैं, लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई। न्यू ब्लड हैज बीन ट्रांसफार्म्ड इन्टू न्यू फेसेज (नवीन रक्त नवीन मुखों में परिवर्तित हो गया है।)

माननीय अध्यक्ष--अब आपका समय खत्म हो गया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विरोधी दल के नेता...

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य बैठ जायं, क्योंकि मैंने यह कहा था कि क्रम यह रहेगा कि जिनके संशोधन हैं वे अपने-अपने संशोधन पहले पेश करेंगे। आपका कोई संशोधन नहीं है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, कृपया उनके नाम पढ़ देंगे जिनके संशोधन आये हैं ताकि पता चल जाय कि कौन-कौन संशोधन करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष--कम से कम आपको मालूम होना चाहिये था कि आपका प्रस्ताव पर कोई संशोधन नहीं है। संशोधन जिन्होंने पेश किये हैं उनके नाम ये हैं--

श्री ज्वाला प्रसाद जी सिन्हा, श्री सत्यसिंह राणा, श्री बालेन्दु शाह, श्री अवधेश प्रताप सिंह, श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री जगन्नाथ मल्ल, श्री निहालुद्दीन, श्री मदन-मोहन उपाध्याय। तो मैं नाम लेकर ही पुकारता हूं जिससे कोई कठिनाई न हो।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन पेश करता हूं कि जो प्रस्ताव अभी श्री बनारसी दास जी ने श्री राज्यपाल के सम्बोधन के आभार के लिये उपस्थित किया है, उसके अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"किन्तु इस सदन को नम्रतापूर्वक खेद है कि इस सम्बोधन में शिक्षा-क्षेत्र में चरित्र-निर्माण के लिये कोई उपाय नहीं बतलाया गया।"

मै आपके सम्मुख यह कहना चाहता हूं कि सब से प्रथम चीज यही है कि लड़कों की शिक्षा में कम से कम एक घंटा मारल टीचिंग (नैतिक शिक्षा) का होना चाहिये जिसमें चरित्र-निर्माण की ही ओर ध्यान दिलाना चाहिये। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि महात्मा गांधी के सब कार्यों से मुमकिन है कि सब लोग सहमत न हों, परन्तु इस कार्य से सब लोग सहमत होंगे कि वह अपनी प्रेयर मीटिंग्ज (प्रार्थना सभाएं) किया करते थे। उसका मतलब यह था कि चरित्र किस तरह से निर्माण हो। हमारे देश में चरित्रहीनता के कारण ही सबसे बड़ा संकट है। बच्चों के दिलों में यह बात अच्छी तरह से आ जानी चाहिये कि जो कुछ कार्य वह करेंगे उसका फल उनको मिलेगा। हमारे यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है--

'बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सद्ग्रन्थन गावा।'

यह चीज बहुत जरूरी है। यही नहीं, यह भी कहा गया है कि यह इन्सान अशरफुल्मखलूकात है। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिये। शायद कुछ लोग मुझे कुछ बहुत अजीब ढंग से देख रहे हैं, इसलिये मैं उनको अपना परिचय दे

देना चाहता हूं । क्योंकि मैं हिन्दू महासभा की ओर से आया हूं, इस वजह से लोगों की दृष्टि में शायद बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं समझा जाता। इसलिये मैं उनसे यह कहना चाहता हूं ।

"सागरेजर्रीं हो या मिट्टी का हो एक ठेकरा,
तू नजर कर उस पर जो कुछ उसके अन्दर हो भरा।"

आप यह न समझ लीजिये कि लेबिल किसका लगा हुआ है । इस ओर ध्यान न देना चाहिये। आज कल धर्म की चर्चा, मारेलिटी की चर्चा करना लोगों को बहुत आपत्ति-जनक प्रतीत होता है। यह हाल है हर एक का, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी का। मैं आपको पहले छोटे का दृष्टान्त देता हूं। वह काल्पनिक दृष्टान्त नहीं है। अगर कोई माननीय मंत्री पूछना चाहेंगे तो मैं नाम उनके चेम्बर में बतला दूंगा या अगर यहां चाहेंगे तो यहां बतला दूंगा। कोई आदमी ४० रुपये तनख्वाह पाता है तो वह कहता है कि मेरा मासिक वेतन तो ४० रुपया ही है मगर मेरी आमदनी ६० रुपया माहवार है। इसी तरह से कृषक का हाल है। अभी हाल में एक कृषक से मैंने कहा कि अपना गेहूं बेच डालो। उसने कहा भाई साहब ढाई सेर का लोग मांग रहे हैं जब दो सेर का होगा तब बेंच डालूंगा। मैंने कहा तब तक तो घुन जायगा। तो उसने कहा कि घुन लग जाने के बाद भी वही दाम मिल जायंगे । मजदूरों का हाल देखिये । अगर उसका काम देखने के लिये मेट नहीं है तो मजदूर ठीक तरह से काम नहीं करता है । कचेहरियों में देखिये । अगर एक क्लर्क ४० रुपये माहवार तनख्वाह पाता है। उसके घर में बच्चे, स्त्री और बहिन इत्यादि हैं। दरवाजे पर कुंवा है तो वह कुंयें से पानी नहीं निकालेगा। वह सोचेगा ऐसा न हो कि कोई आदमी इधर से निकले और वह देख ले कि फलां बाबू पानी भर रहा था। कचेहरियों में जो दो-ढाई सौ तनख्वाह पाते हैं वह कहते हैं कि हमारा हक तो दे दिया जाय। यह हालत हो रही है। हमारे प्रदेश में जो बड़ी भारी हाईकोर्ट है उसमें देखिये वहां जजेज, सब-जजेज और मुन्सिफ की तरक्कियां किस प्रकार होती हैं। वहां पार्टीबन्दी, जाति का पक्षपात यह सब होता है।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य, हाईकोर्ट के सम्बन्ध में आक्षेप इस भवन में न करें।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि चरित्रहीनता के कारण ही यह सब बातें हैं । २२ अगस्त, सन् १९५१ ई० को हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के सिलसिले में जो प्रस्ताव था उसके जवाब में यह कहा था कि अगर हमारा मारेल ऊंचा होता तो ऐसी दिक्कतें न होती । जब तक हम चरित्र निर्माण की ओर ध्यान न देंगे तब तक हमारा मारेल किसी तरह से ऊंचा नहीं हो सकता । चरित्र निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि हम बतलावें कि हमारे आदर्श पुरुषों ने क्या किया है, हमारी आदर्श किताबों में क्या लिखा है । यजुर्वेद के ४०वें अध्याय का १७वां मंत्र यह है--

"वायुरनिलम अमृतमथेदम भसमान्तगुंग शरीरं ।
ऊंक्रोत समर करोतु समर करोतु गुंग समर ।"

यह जीवात्मा अमर है। जब निकलती है तो वायु में मिल जाती है। स्थूल शरीर का भस्म होने पर अन्त हो जाता है और पांचों तत्व में मिल जाता है जैसा कि कहा है--

"छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा"

यह बात हंसने की नहीं है। सबके कर्म निर्धारित होने चाहिये। आज किसी का चरित्र ठीक नहीं है इसी के कारण ये बातें हो रही हैं। लोगों का मन इन बातों में बिल्कुल

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

नहीं लगता है। आज जब हम इस ओर ध्यान नहीं देते तो फिर दूसरों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। गीता में कहा है—

"यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
सयत्त्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥"

श्रेष्ठ लोग जैसा चरित्र करते हैं लोग भी वैसा ही करते हैं। जैसा आदर्श हम लोग रख रहे हैं जनता भी वैसा ही करेगी। २४ जून, सन् १९४८ ई० को श्रीमान् प्राइम मिनिस्टर साहब और स्टेट के प्रधान मंत्री के पास मैंने यह लिखा था—

"The public always emulates its leaders, if the leaders tread a wrong path should they expect their follower subordinates, petty clerks and general public is to discharge their duties honestly and sincerely."

[जनता सदैव अपने नेताओं का अनुकरण करना चाहती है, यदि नेता गलत रास्ते पर चलते हैं तो क्या वे आशा करते हैं कि उनके अनुयायी, अधीन कर्मचारी, साधारण क्लर्क और साधारण जनता अपने कर्तव्य का ईमानदारी तथा सचाई के साथ पालन करेगी।]

मैं चाहता हूं कि corruption in action (काम में भ्रष्टाचार) और indiscipline (अनुशासनहीनता) की जगह पर (योग्यता), integrity (ईमानदारी) and sincerity (और सत्यता) हो।

जैसा उदाहरण आप देश के सामने रखेंगे लोग वैसे ही आपको फालो (अनुसरण) करेंगे। आप जिस तरह का विधान बनायेंगे वैसे ही लोग चलेंगे। यह सबसे आवश्यक चीज है। (हंसी) इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आत्म निरीक्षण कीजिये। आप कभी-कभी अपने कर्तव्य में पशु से भी ज्यादा गिर जाते हैं (हंसी)। आप हंस भी लीजिये, परन्तु आप सोचिये कि आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं या नहीं।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य को अध्यक्ष को सामने रखकर ही भाषण देना चाहिये। आप जो 'आप' 'आप' कह रहे हैं उससे मालूम होता है कि वह आप अध्यक्ष के लिये कह रहे हैं।

श्री निहालुद्दीन—हुजूरवाला, आप अमेंडमेंट के मुताल्लिक भी नहीं बोल रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा मांगता हूं कि मैंने इस तरह से आपको संबोधन किया, परन्तु मैंने यह संबोधन उन भाइयों के लिये किया था जो क़हकहा लगा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। आपके मुताल्लिक यह संबोधन नहीं था। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बात इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि हमारा सब से प्रथम कर्तव्य यह है कि हम जहां तक हो सके मोरल टीचिंग्स (नैतिक शिक्षा) को अपनायें। यही चीज २२ अगस्त, सन् १९५१ ई० को कही गई थी कि हमें पब्लिक लाइफ का स्टैंडर्ड (स्तर) ऊंचा करना है। लेकिन वह इन बातों से ऊंचा नहीं होगा हमको चरित्र निर्माण के लिये स्वयं भी कोशिश करनी चाहिये। मैं शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वे बच्चों को मारेल टीचिंग देने के लिये शिक्षालयों में भी अवश्य प्रबन्ध करें।

श्री सत्य सिंह राणा—मैं आपकी आज्ञा से धन्यवाद के संकल्प के अन्त में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित अंश जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में विलीनीकरण के फलस्वरूप नव-निर्मित जिला "टेहरी-गढ़वाल में शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्र में प्रगति करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

आज से दो ढाई साल पहले उत्तर प्रदेश में तीन रियासतें थीं, टेहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस जिन्हें इस राज्य में विलीन कर जिले का रूप दिया गया। अगर उन्हें जिले का रूप दे दिया गया तो देखना चाहिये कि उन्हें जिले की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं या नहीं। अगर नहीं प्राप्त हो रही हैं तो जिस उद्देश्य से हम विलीन हुए हैं, उसका मक़सद पूरा नहीं होता। चूंकि मेरा मुख्य विषय शिक्षा के सिलसिले में है, इससे पहले मैं दो-चार शब्द अन्य विषयों पर भी कहना चाहता हूं। हमारे टेहरी-गढ़वाल में सबसे मुख्य विषय भूमि का है। वहां पर किसानों को भूमि देने के लिये अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने संवाददाताओं के बीच में भाषण देते हुए कहा कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार बिल इस रियासत और इससे बाहर के पहाड़ी प्रदेशों में लागू नहीं होगा और उनके लिये अलग संशोधन पेश किया जायगा। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान भूमि सम्बन्धी नियम से बड़ी कानूनी दिक्कतें भी आ गयी हैं। उससे सभी अदालतों में दीवानी मुक़दमों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि बहुत से मुकदमे ऐसे ही पेंडिग पड़े हुए हैं। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि बहुत से मुकदमे तीन-तीन चार-चार साल से चल रहे हैं और गरीब लोगों को उस सिलसिले में बराबर आना-जाना होता है, जिससे उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं और वे बेचारे बड़े परेशान होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहां जो जमीनें हैं वे ज्यादातर ऊसर हैं। उनकी उपज इतनी नहीं है जो सारे टेहरी-गढ़वाल के लिये पर्याप्त हो सके। मैं यह अर्ज करूं कि सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है कि इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये वहां सिंचाई के लिये जो धन हो उसका ठीक से इस्तेमाल किया जाय।

प्लानिंग कमीशन के नाम पर जितना रुपया दिया जा रहा है वह किस तरह से खर्च किया जा रहा है, इसे देखना भी जरूरी है। इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां पैदावार तो कम है ही, लेकिन जमीन भी बहुत कम है, फिर भी इस कमी को पूरा करने की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि टेहरी-गढ़वाल के लोगों को जोतने के लिये काफी जमीन मिले। हमारी सरकार फौरेस्ट सेटलमेंट करवा रही है। इससे लोगों को विश्वास था कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको पूरे तौर पर जमीन मिल जायगी। सरकार से मेरा अनुरोध है कि फारेस्ट सेटलमेंट के अनुसार महज हक हकूक का रेकर्ड ही तैयार नहीं करना है सेटलमेंट आफिसर को इस बात का अधिकार होना चाहिये कि इस प्रकार जंगलों का डिमारकेशन करे कि जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जंगलात के भीतर भी जमीन मिल सके। इससे खाने-पीने की समस्या को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। हम लोग इस प्रान्त में इसलिये विलीन हुए हैं कि इससे हमें बहुत सी सुविधायें मिलेंगी और अगर हमें वे सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं तो फिर हम पीछे हटते चले जायेंगे।

मैं आलोचना करने के ख्याल से यह सब नहीं कहा रहा हूं बल्कि मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस बात को महसूस करे कि टेहरी-गढ़वाल की उन्नति करना उसका फर्ज है, जिससे विश्वास हो कि इसमें विलीनीकरण होकर हम गौरवान्वित हुए हैं। अगर जमीन के सिलसिले में यह योजनायें लागू होती हैं तो इससे वहां की दशा सुधर सकती है। और अगर इसके लिये ध्यान नहीं दिया जाता है तो जमीन की कमी के सिलसिले में कोई कामयाबी नहीं मिल सकती है, गो कि मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हमारा जिला भी आप सब के साथ बराबरी में चले लेकिन वह तभी हो सकता है कि जो हमको सरकार से विश्वास दिलाया गया है उसके मुताबिक काम भी किया जाय।

[श्री सत्य सिंह राणा]

हम चाहते हैं कि शिक्षा के मामले में हम आगे बढ़ें। जैसा कि गवर्नर महोदय ने कहा कि हमारी शिक्षा वैल्फ्लांड होनी चाहिये, तो शिक्षा के लिये खास तौर पर इमदाद होनी चाहिये। शिक्षा के बारे में इस सदन को मैं पूरे तौर पर यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां अभी प्रत्येक पट्टी में एक या दो बेसिक व चन्द जूनियर हाई स्कूल खुल रहे हैं और उन स्कूलों की इमारत बनाने के लिये हमारी जनता चन्दा भी इकट्ठा करती रही है और वहां पर इमारत बना रही है। सरकार को यह चाहिये कि वह भी कुछ इमदाद करे। जिस समय टिहरी-गढ़वाल का मर्जर (विलीनीकरण) हुआ था तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने हमको यह आश्वासन दिया था कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जायगा क्योंकि वहां की जनता पिछड़ी हुई है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आश्वासन दिये गये उनको अब तक पूरा नहीं किया गया।

आप सब जानते हैं कि टेहरी-गढ़वाल एक पिछड़ा हुआ एरिया है। वह आगे तभी तरक्की कर सकता है जब कि उसको काफी इमदाद सरकार की तरफ से दी जाय। अगर आप वहां पर इमदाद नहीं देंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वहां पर छात्रों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है उसको ख्याल में रखते हुये आप इन बातों पर ध्यान दें। वहां पर एक जिला इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं। वह वहां के हर मामले में दिलचस्पी रखते हैं और इस ओर सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करते रहे हैं, परन्तु खेद है कि उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर वहां की जनता ने अपने पास से चन्दा इकट्ठा करके वहां की इमारत को बनवा दिया और फिर सरकार ने उनकी इमदाद अपने कमिटमेंट के अनुसार न की तो उनका सब पैसा बेकार हो जायगा। इस वास्ते मेरी अर्ज है कि सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे। दूसरी बात एक यह कहना है कि जब हम उन स्कूलों की इमारत को छाने के लिये आयरन शीट के लिये पूछते हैं तो कह दिया जाता है कि स्कूल का कोटा बावजूद लिखत पढ़त के मंजूर नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमको छाने के लिये आयरन शीट न मिले तो फिर इमारतें किस प्रकार वहां की खड़ी रह सकती हैं। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि जो आपके कमिटमेंट्स हैं उनको आप पूरा करें और तभी हमारा जिला इस दिशा में कुछ तरक्की कर सकता है नहीं तो वह इससे भी खराब हालत में पड़ जायगा।

हमारे यहां जूनियर हाई स्कूलों में सेक्शन बढ़ान की जरूरत है उसके लिये लिखा पढ़ी हो रही है, उसके लिये भी ध्यान देने की जल्द जरूरत है। इसके अलावा स्कूलों के अध्यापकों के सिलसिले में अक्सर यह कहा जाता है कि यह ट्रेन्ड नहीं हैं और यह क्वालीफाइड नहीं है। मैं यह अर्ज करूंगा कि अभी तक जिनका काम शिक्षा देने का ही रहा है और जिनको पुराना तजुर्बा है उनको ऐसा मौका देना चाहिये कि वे क्वालीफाइड या ट्रेण्ड हो जावें। मेरा ख्याल यह है कि एक तजुर्बेकार आदमी जो १० साल से काम कर रहा हो वह उससे कहीं अधिक अच्छा है जो नया ट्रेण्ड हो। इसलिये इस आधार पर ही उनको नौकरी से अलहदा करना उचित नहीं होगा।

हायर सैकेन्ड्री स्कूलों के सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ५ ऐसे स्कूल हमारे यहां हैं। इनमें से एक के लिये मैं खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि वह पूरी तौर पर सरकारी स्कूल है और सरकारी ही रहा है। लेकिन न तो वहां छात्रावास की कोई सुविधा है और न छात्रों को पढ़ाने के लिये पूरे कमरे हैं और न वहां पर दो साल से कोई प्रिंसिपल ही है। बड़े दुख की बात है कि लखनऊ में आकर किसी ने मेरे कान में यह भी खबर दी कि शायद वह स्कूल हायर सेकेंडरी न रहे बल्कि वह गिर कर जूनियर हाई स्कूल रह जाय। इससे बढ़कर क्या दुख की बात होगी कि स्कूल की बजाय उन्नति होने के अवनति हो। मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा न होने से वहां के लड़के बाहर कहीं नहीं जा सकते और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे कहीं बाहर जाकर पढ़ सकें।

महिलाओं की शिक्षा के लिये वहां तीन स्कूल हैं। लेकिन वहां इमारत का कोई इन्तजाम नहीं है। लड़कियों की संख्या इतनी तादाद में बढ़ती जाती है कि उनके लिये जगह की कमी पड़ रही है। इसके लिये अवश्य कुछ प्रबन्ध होना चाहिये। इसके लिये वहां के इन्सपैक्टर ने भी बार-बार कोशिश की है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह इसका शीघ्र कोई मुनासिब इन्तजाम वहां की परिस्थितियों को देखकर करे। सरकार को चाहिये कि वह वहां के स्कूलों पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खर्च करे। चूंकि समय खत्म हो गया है मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा यद्यपि कहना तो बहुत था। अन्त में मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि सरकार को इस ओर शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि धन्यबाद के संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु इस सदन को खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में इस राज्य में विलीन हुई रियासतों की पिछड़ी हुई दशा में सुधार तथा उन्नति करने के विषय में कोई जिक्र नहीं किया। "

इस सदन को इस बात का तो पूरा ज्ञान है कि इस प्रदेश में तीन रियासतें थीं, रामपुर, बनारस और टेहरी-गढ़वाल। मैं खासकर टिहरी-गढ़वाल के सिलसिले में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। सन् १९४९ ई०की पहली अगस्त को यह रियासत इस प्रदेश में विलीन हुई। विलीन होने के बहुत से कारण थे किन्तु एक मुख्य कारण यह था क्योंकि ये रियासत और खास करके टिहरी-गढ़वाल रियासत दूसरी रियासतों से भी अधिक पिछड़ी हुई हैं और क्योंकि इन रियासतों की आमदनी बहुत कम है, इसलिये इनमें रहने वाले निवासियों की उन्नति के लिये इनको इस बड़े प्रदेश में मिला दिया गया। एतराज चाहे रहा हो या न रहा हो लेकिन चूंकि यह जनता की भलाई के लिये कहा गया था इसलिये हम सब उसकी तारीफ करते हैं। केवल मुझे यही कहना है क्यों कि यह रियासत सब से पिछड़ी हुई थी, उत्तर प्रदेश ने एक बड़े भाई की तरह इस रियासत को अपने घर ले लिया और इसके लिये वहां की जनता बड़ी आभारी है और वह आशा लगाये बैठी है कि बड़े भाई के यहां से कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। जनता का कहना है, पहले जो हमारा राजा था उसने हमारे लिये कुछ नहीं किया और अब हम उस राजा से भी बड़े राजा के पास चले गये हैं और हमें अब बड़े भाई से अवश्य कुछ न कुछ सुविधायें मिलेंगी।

विलीनीकरण के समय टिहरी को बड़े-बड़े आश्वासन दिलाये गये थे और लोग समझते होंगे कि उनमें से बहुत से आश्वासन पूरे हो गये होंगे और मैं आशा करता हूं कि टिहरी गढ़वाल की जनता, उसकी जो भी आशायें पूरी हुई हों उनके लिये कृतज्ञता जाहिर करती होगी। यदि इस सदन के किसी माननीय व्यक्ति के विचार में टिहरी की जनता ने कृतज्ञता जाहिर नहीं की या पूरी तरह से कृतज्ञता जाहिर नहीं कर रही है तो मैं उनसे यही कहूंगा कि माननीय वही व्यक्ति कहा जाता है जो अकृतज्ञता के बावजूद अपना फर्ज सद्भावना और प्रेम के साथ-साथ अदा करता जावे। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, टिहरी-गढ़वाल रियासत १ अगस्त सन् १९४९ ई० को विलीन की गयी थी और उत्तर प्रदेश के राज्यशासन ने उसके सुधार का भार अपने ऊपर उठा लिया। अवश्य ही कुछ न कुछ सुधार हुआ होगा, किन्तु दुख इस बात का है कि इन सुधारों के बावजूद टिहरी में अभी तक सुपरिंटेंडेंट पुलिस का दफ्तर नहीं खोला गया है, हालांकि टिहरी ३ साल तक जिला रह चुका है और हालांकि वहां की मुख्य आमदनी जंगल से है, लेकिन फिर भी वहां अभी तक कनजरवेटर आफ फारेस्ट का दफ्तर नहीं खोला गया है। यह भी आश्चर्य की बात है कि ३ साल जिला रहने के बावजूद कोई सिविल सर्जन ऐसे नहीं पाये गये जो वहां मुस्तक़िल तौर पर रक्खे जा सकें। उन्हें वहां केवल दौरे पर जाने का आदेश है। यही हाल न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट जज का है। उनको भी दौड़ लगानी पड़ती है क्योंकि

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह

उनको केवल एक ही जिले का भार नहीं दिया गया है। इस सिलसिले में सब से आश्चर्य की बात यह है कि ३ साल टेहरी-गढ़वाल को जिला माना गया है लेकिन फिर भी आज तक वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं बनाया गया। यदि यह कहा जाता है कि पिछले दिनों तक रियासत होने के कारण वहां की जनता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा अपनी देखभाल करने के काबिल नहीं है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अंतिम समय तक अंग्रेजी सल्तनत ने हमें स्वतंत्रता के काबिल नहीं समझा, किन्तु जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, काम चलाने के लिये नेतागणों की कमी कभी भी महसूस नहीं हुई। मैंने कुछ कहा है मुझे विश्वास है कि मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा। यह न समझा जावे कि मैं केवल यह समझता हूं कि वहां कुछ भी उन्नति नहीं हुई। उन्नति तो दिखाई देती है। रहन सहन के स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिये आजकल वहां, खेत में काम करने वाली स्त्रियों के-लिये, केवल फाइन और सुपरफाइन धोतियां भेजी जा रही हैं।

शिक्षा के स्टैन्डर्ड में उन्नति लाने के लिये स्कूलों में केवल क्वालिफाइड (योग्यता प्राप्त) टीचर्स रखे जा रहे हैं, चाहे भले ही किसी स्कूल में मास्टरों की बहुत कमी क्यों न हो। जो मास्टर अनक्वालीफाइड हैं, जिन्होंने चार पांच वर्ष तक किसी न किसी तरह से काम चला ही लिया है, उनको, क्योंकि आप स्टैंडर्ड आफ एजूकेशन यकायक ऊंचा करना चाहते हैं, फौरन खारिज किया जा रहा है ताकि अनक्वालीफाइड होने के कारण ये विद्यार्थियों को दो और दो पांच होते हैं, न सिखा देवें। साथ-साथ एक दूसरी दिशा में भी उन्नति दिखाई देती है। जहां पहले रियासत के समय में कचेहरियों में सब कार्यवाही हिन्दी में होती थी, अब क्योंकि यह कहा जाता है कि हर एक मनुष्य को जितनी भाषायें वह सीख सके, सीखना चाहिये, खासकर टिहरी-गढ़वाल के लोगों को यह मौका दिया गया है कि वे भी अंग्रेजी भाषा सीख लें और इसीलिये हमारे जिले की कचेहरियों में जजमेंट यानी फैसले अंग्रेजी में दिये जाते हैं। इन विषयों पर भी मैं नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि जो ध्यान डाला जायगा उसको कर्त्तव्य का रूप शीघ्र ही दिया जायगा।

अब, अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से मैं टेहरी-गढ़वाल की मौजूदा परिस्थिति आपके सामने पेश करना चाहता हूं। चुनाव के दौरान में सरगरमी तो हर जगह फैली ही रहती है। वह तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टिहरी-गढ़वाल में चुनाव खत्म हुये तीन महीने हो चुके, किन्तु दुख की बात यह है कि वहां आज तक पुलिस का राज चल रहा है। जिस प्रकार का न्याय हम को समझाया गया है उस प्रकार के न्याय की वहां बहुत कम सुनवाई है। मैं इस समय जिले के किसी एक कर्मचारी के बारे में शिकायत करना जरूरी नहीं समझता हूं। कभी जरूरत पड़ेगी तो नहीं चूकूंगा इस समय केवल यही आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई एकआदमी एक कमप्लेंट (शिकायत) पेशकर देवे तो फौरन पांच छः पुलिस के आदमी भेज दिये जाते हैं और वे बिना किसी प्रकार की प्रीलिमिनरी इनक्वायरी (प्रारम्भिक जांच) के पांच छः आदमियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद जब उनकी प्रीलिमिनरी इनक्वायरी या दूसरी इनक्यायरी होती हैं और एक-दो महीने के बाद जब पुलिस की रिपोर्ट आती है और उससे दिखाई पड़ता है कि कमप्लेंट बिलकुल झूठी थी तो फिर दो महीने तक जो लोग जेल में रह चुके हैं उनसे कहा जाता है कि जाओ भाई, तुम घर जाओ, तुम्हारे खिलाफ जो शिकायत आई थी वह झूठी थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यदि इस प्रकार का न्याय होता है तो इसमें ताज्जुब नहीं है कि लोगों में असंतोष फैले। मैं आप से यही प्रार्थना करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके ऐसी कार्यवाही रोक दी जावे।

खासकर एक विषय के संबंध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। आपको मालूम है कि केवल टिहरी-गढ़वाल जिले ही में जनता जनार्दन ने बलवान न धनवान कांग्रेस संस्था के नाम पर खड़े हुये उम्मीदवारों को छोड़कर हम कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाकर यहां आपके सामने भेजा है। क्योंकि उन्होंने हमें यहां आपके सामने भेजा है, हम यह अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि अदब के साथ किन्तु निडर होकर टिहरी-गढ़वाल की जनता की शिकायतें व मांगें आपके सामने पेश करें। आप यह न समझिये कि चूंकि वहां के तीनों सदस्य स्वतंत्र सदस्य हैं तो

टेहरी-गढ़वाल एक स्वतंत्रता का स्वप्न देख रहा है। ऐसी बात नहीं है। तो जैसे मैं कह रहा था, क्योंकि टिहरी गढ़वाल से कोई भी कांग्रेसी उम्मीदवार सफल नहीं हुआ और क्योंकि अब लोगों के बीच में ऐसी आपत्तियां फैलाई जा रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार द्वारा, कारण जो भी हो, किन्तु यह बात दरअसल सही है कि वहां के लोग सताये जा रहे हैं। मगर दुख की बात और लाचारी यह है कि जबकि वहां का एक कर्मचारी ऐसा विचार प्रगट करता है कि बिना लोगों में डर की भावना पैदा किये राज्यशासन नहीं किया जा सकता तो बेचारी अनपढ़ और अशिक्षित जनता यही सोचती है कि शायद यह विचार, जोकि एक कर्मचारी प्रगट कर रहा है, लखनऊ में बैठे हुये मंत्रिमंडल का भी है। मैं जानता हूं कि यह कदापि नहीं हो सकता। किन्तु आप जानते हैं कि अशिक्षित और अनपढ़ जनता को समझाना कठिन है।

अन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि इस जिले में सरकार की ओर श्रद्धा बढ़ाई जाय और क्योंकि यह जिला ५१ जिलों में से सबसे पिछड़ा हुआ है, इस जिले के ऊपर इस सदन को खास-तौर पर ध्यान रखना चाहिये। आखिर आपको याद रखना चाहिये कि टिहरी गढ़वाल जिला न होता तो अपकी गंगा और यमुना कहां होतीं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—सूचना के लिये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग संशोधन पेश कर रहे हैं उनको सदन के साधारण वाद विवाद में फिर से अवसर प्राप्त होगा या नहीं।

माननीय अध्यक्ष—उनको फिर मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ-साथ साधारण वाद विवाद कर लें तो उचित होगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से महामान्य राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में यह संशोधन जोड़ दिया जाय—

"परन्तु खेद है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद इस प्रदेश के लगभग एक करोड़ नागरिकों के पुनर्वासन की कोई चर्चा नहीं है।"

श्रीमान् जी, महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर मैं बधाई उन्हें अवश्य देता हूं, परन्तु खेद इस बात का है कि महामान्य राज्यपाल ने जमींदारी उन्मूलन के बाद, जो २२ लाख जमींदार हैं और उसके अवलम्बन में जो लगभग एक करोड़ रहते हैं, उनके पुनर्वासन के बारे में कुछ नहीं किया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर (मैं एक विधान का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं)। मैं, श्रीमान्, यह निवेदन कर रहा हूं कि यह जो प्रस्ताव संशोधन का प्रस्तुत किया गया है यह जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के अनुसार मुनासिब संशोधन नहीं है। क्योंकि पुनर्वासन की व्यवस्था तो उसी ऐक्ट में कर दी गयी है और आप यह कहते हैं कि राज्यपाल महोदय ने पुनर्वासन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो यह संशोधन उचित नहीं है और न इसकी कोई आवश्यकता है। यह कोई नया एतराज नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य ने जो वैधानिक आपत्ति उठायी है, मैं नहीं समझता हूं कि इस विषय में कोई वैधानिक आपत्ति हो सकती है। यदि कोई सदन का सदस्य यह चाहे कि वह अपना विचार इस पर प्रगट कर सके कि जमींदारी उन्मूलन कानून के बाद जमींदारी के लिये जो उचित व्यवस्था होनी चाहिये, उसका महामान्य राज्यपाल के संबोधन में जिक्र नहीं है, वे यह कह सकते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—यह मान लिया जाय कि प्रदेश की उन्नति तथा विकास के लिये यह आवश्यक था कि जमींदारी का उन्मूलन हो, तो मैं यह समझता हूं कि बहुमत दल को यह भली भांति सोचना चाहिये कि हमारे पुनर्वासन का जो प्रश्न है वह उससे कहीं अधिक महत्व का प्रश्न है। जमींदारों के लिये, उन के बाल बच्चों के लिये, उन की स्त्रियों के लिये, मैं कहता हूं कि जमींदारों ने यदि अत्याचार किया, दुराचार किया, या अन्याय किया तो क्या उनके निर्दोष

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

बच्चों और स्त्रियों ने भी ऐसा पाप किया है और क्या वे अपने पिता या पति के दुराचारों अथवा अत्याचारों के उत्तरदायी ठहराये जायेंगे ? जो रियासतों के कर्मचारी हैं, जो कि एक मालिक के नौकर हैं आज वह आपके साथ होंगे। आप जो आज्ञा प्रदान करेंगे वे वह करेंगे। कल वे हमारे साथ थे। जो हम कहते थे वह करते थे। यदि अन्याय किया तो हम तालुकेदारों और जमींदारों ने किया। पाप किया तो हमने किया। उन कर्मचारियों उन बेचारे कर्मचारियों ने कुछ भी नहीं किया है। इसका दृष्टिकोण राजनैतिक ही नहीं, वरन् आध्यात्मिक तथा सामाजिक भी है। राजनैतिक दृष्टिकोण मैं इसलिये रखता हूं कि २२ लाख जमींदार और उनके अवलम्बित जो कल निरुपाय, असहाय और साधनहीन हो जायेंगे वे कहीं क्रोध के आवेश में, जो कि उनकी गलती होगी या असहायता के कारण, कोई ऐसा मार्ग न अपना लें जो कि देश के लिये हितकर न प्रतीत हो और जिसमें उनका भी अनिष्ट हो।

आज आप यह समझते हैं कि हर देश में साम्यवाद का प्रमुख कारण असंतोष, निर्धनता और बेकारी है, वह चाहे यूरुप का देश हो चाहे एशिया का, परन्तु वास्तविकता यह है कि असंतोष ही कम्युनिज्म को बढ़ाता है। मैंने माना कि चाहे वह गलती करें, परन्तु देश के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा, उसके फलस्वरूप देश में क्या अशांति होगी, इस पर भी आप को गौर करना चाहिये। मैं थोड़ा सा भयातुर हूं कि बहुमत दल कहीं यह न समझे कि मैं उनको धमकी दे रहा हूं। मैं यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यह भी एक पहलू है जिस पर आप ध्यान दे लीजिये। मैं मानता हूं कि अगर जमींदार यह करेंगे तो वह अच्छा नहीं करेंगे, मैं यह भी मानता हूं कि कम्युनिस्ट होने से उनका कोई लाभ नहीं। परन्तु यह ध्यान रखिए कि क्रोध के आवेश में बुद्धि स्थिर नहीं रहती। मानवता में जहां सद्गुण हैं वहां दुर्गुण भी विद्यमान हैं। मानव में दुर्बलताएं भी होती हैं जिससे असहायता में क्रोध के आवेश में वह बहुत से ऐसे कर्म कर बैठता है जो अनौचित्य होते हैं। परन्तु बहुत से लोग जो बेरोजगार और असहाय हो जायंगे वे कहां जायेंगे ? मैं मानता हूं कि संविधान के ३१ वें अनुच्छेद के अनुसार आप हमको मुआविजा देते हैं, उसकी पूर्ति भी कर देते हैं, परन्तु यह न भूलिये कि जो चीज आप हमसे ले रहे हैं उसकी उचित कीमत आप दे रहे हैं। यह आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। मैं मान सकता हूं कि आप के रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं परन्तु गम्भीरतापूर्वक इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं बहुमत से अनुरोध करूंगा कि ताल्लुकेदार और जमींदार आपके भारतवर्ष के ही रहने वाले थे और यहीं रहेंगे। न वे पाकिस्तान जायंगे, न रूस जायंगे और न अमेरिका जायंगे, बल्कि उनको भारतवर्ष में ही रहना है। अगर ये आपके भाई नालायक थे तो क्या आपकी बदगुमानी है कि हमको सुधार करके हमारे लिये कोई ऐसा मार्ग निकाल दें जिससे हम भी उस दुनिया में अपना ऊंचा मस्तक करके रह सकें।

महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम और भूमि सुधार व्यवस्था के संबंध में जो कुछ हमने किया था उसको उच्चतम न्यायालय ने मान्यता प्रदान की है और उसको निर्दोष ठहराया है। मैं इस विषय पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज अगर आप का फर्स्ट अमेंडमेंट आफ़ दि कांस्टीट्यूशन न आया होता तो मालूम हो जाता कि कितने गहरे पानी में आप हैं और कितने गहरे पानी में हम हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय से जो कि एक अनुभवी और राजनीतिक और उदार व्यक्ति हैं सविनय अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय पर ध्यानपूर्वक कोई ऐसा क़दम उठायें जिससे आप अपने सिद्धान्तों काही पालन न कर लें क्योंकि मैं सिद्धांत पर कोई आपत्ति नहीं करता बल्कि हम तो यह अनुरोध करते हैं कि जमींदार जो आप के भारत के निवासी हैं उनके रहने के लिये, खाने के लिये और पुनर्वासन के लिये कुछ न कुछ कर दीजिये जिससे वह भी अपने जीवन में सीना ऊंचा किये हुये आम सड़कों पर चल सकें। नहीं तो अगर वे कल भूखों मरते

हैं, फटे कपड़ों में घूमते हैं तो यह ठीक है कि आप कहेंगे कि कल यह तालुक़ेदार था, ट्रेजरी बैंचेज पर बैठता था और आज यह फटे हाल हजरतगंज की गलियों में मारा मारा फिरता है। इसमें मेरा ही अकेला अपमान नहीं होगा बल्कि देश भर का अपमान होगा। यह समय है, काल चक्र है। आज यह काल-चक्र हमारे ऊपर है, कल हो सकता है कि कहीं यही काल-चक्र किसी दूसरे पर न आ जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सविनय अनुरोध करूंगा कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दें। वह इसको कोई धमकी या क्रोध के आवेश में न समझें कि यह तालुकेदार अनर्गल बातें वैसे ही उड़ा रहा है, बल्कि मैं सच्ची बात कह रहा हूं जो देश के हित के लिये है और देश की उन्नति के लिये आवश्यक है। जहां जमींदारी उन्मूलन की आवश्यकता थी वहां जमींदारों के पुनर्वासन की भी आवश्यकता है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष, मैं अपने अमेंडमेंट पर जोर देना नहीं चाहता हूं। साधारण वादविवाद में भाग लेने के लिये मैं अपना अधिकार सुरक्षित रखना चाहता हूं।

माननीय अध्य क्ष—माननीय सदस्य के दो संशोधन हैं, क्या वह दोनों को ही वापस लेना चाहते हैं?

श्री राम नारायण त्रिपाठी—जी हां, मैं दोनों संशोधनों को ही पेश नहीं करना चाहता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से महामान्य राज्यपाल के संबोधन के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें यह संशोधन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े दिये जायें:—

"किन्तु इस सदन को इस बात का दुःख है कि (१) गवर्नर महोदय के संबोधन में ग्राम पंचायतों द्वारा गत कई वर्षों के टैक्सों की वसूलयाबी में ग्रामीण जनता पर किये गये अत्याचारों का उल्लेख नहीं किया गया।

(२) इस मंहगाई के जमाने में अल्प वेतन-भोगी अध्यापकों को कई माह तक वेतन न दिये जाने पर अध्यापकों के प्रान्त व्यापी असन्तोष का जिक्र नहीं किया गया।

(३) पुलिस द्वारा निरीह जनता पर व अन्य विरोधियों पर खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर किये गये अत्याचारों का वर्णन नहीं किया गया।

(४) उद्योगों की व्यवस्था और प्रबंध का नियोजन कैसे किया जाय जिससे देश की ग़रीबी मिटे इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया, खासतौर से सूत न मिलने की वजह से कोरियों और जुलाहों की तबाही का वर्णन नहीं किया गया।"

सब से पहला जो मेरा संशोधन है वह ग्राम पंचायतों के बारे में है। अभी राज्यपाल महोदय के भाषण के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें पंचायत राज की बड़ी ही तारीफ़ की गई है। जहां तक पंचायतों का ताल्लुक़ है, मैं भी यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेसी शासन-काल में गत पांच वर्षों के शासन में जितने भी कानून बनाये गये होंगे उनमें सबसे अच्छा कानून अगर कोई बनाया गया है तो वह बालिग मताधिकार पर चुनी हुई पंचायतों का कानून बनाया गया है। उसमें बालिग मताधिकार के आधार पर पंचायतों की आधारशिला रखी गई है जिसमें इस बात की उम्मीद थी कि प्रजातंत्र आगे बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा और पनपेगा लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जहां पर प्रजातांत्रिक भावनाओं का

[श्री गजेन्द्र सिंह]

प्रचार किया गया था, आधारशिला रखी गयी थी उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे कानून भी बनाये गये हैं जिनसे पंचायतों को जो टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था उससे आज जनता में प्रजातंत्र की ओर से दुर्भावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, चूंकि पंचायतें जो टैक्स किसानों पर कायम करती है उससे जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है । हलवाई की छोटी-छोटी दूकानों पर टैक्स लगाये गये हैं, नाई पर टैक्स लगाया गया है, लोहार पर भी टैक्स लगाया गया है, किसान के खेतों पर टैक्स लगाया गया है, इस तरह से टैक्सों की भरमार हो गई है । अगर इस पंचायती राज्य को टैक्स का राज्य कहा जाय तो कोई भी अत्युक्ति न होगी । अभी चुनाव के दरमियान में यह देखा गया कि टैक्स की उगाही बन्द कर दी गयी थी लेकिन जैसे ही चुनाव सम्पन्न हुआ अब फिर बड़े जोरों से टैक्स की उगाही शुरू हो गई है । इस उगाही के लिये डिग्रियां जारी की जा रही हैं, उनके बैल छोड़े जा रहे हैं, उनसे वह डिग्रियां जबर्दस्ती वसूल की जा रही हैं और इससे पूरे प्रान्त में एक असंतोष की लहर पैदा हो रही है । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें । सोशलिस्ट पार्टी ने इस सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी कई एक संशोधन रखे थे । सोशलिस्ट पार्टी ने एक सुझाव रखा था कि पंचायतों की ओर से टैक्स न लगाये जायं क्योंकि अगर पंचायतों की ओर से टैक्स कायम किया जायगा तो जनता को प्रजातंत्र पर से विश्वास उठेगा । इसलिये सरकार को अपनी आमदनी के कुछ हिस्सों को पंचायतों के लिये देना चाहिये, जैसा कि बम्बई और मद्रास की सरकारों ने किया है । मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे ।

इसके साथ ही साथ पंचायतों के मंत्रियों की एक पोस्ट क्रियेट की गयी है । पंचायतों की साल भर की जितनी आमदनी होती है वह पूरी की पूरी इन मंत्रियों की जेबों में चली जाती है । मैं चाहता हूं कि इन मंत्रियों की जो पोस्ट क्रियेट की गई है उसको अबालिश (समाप्त) किया जाय और गांवों में बहुत से पंच और सरपंच ऐसे जरूर मिल जायेंगे उन्हीं को थोड़ा सा बोझ एलाउन्स दे दिया जाय तो वे बखूबी पंचायतों का कार्य कर सकते हैं और इस तरह से जो पंचायतों व टैक्स का बर्डेन (बोझ) किसानों पर पड़ता है उसको हलका किया जा सकता है । इसके साथ ही साथ पंचायतों की स्वतंत्रता का भी अपहरण किया जा रहा है और यह अपहरण मंत्रियों द्वारा, पंचायत राज्य इंस्पेक्टरों व आफिसरों द्वारा किया जा रहा है । पंचायतों को इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी किताब या अखबार मंगा सकें । उनको अखबारों की एक लिस्ट दी जाती है और कहा जाता है कि इन्हीं में से जो चाहो मंगा लो । अगर वह संघर्ष मंगाना चाहें, या कोई सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या संघी विचारधारा का पेपर मंगाना चाहें तो नहीं मंगा सकतीं । इनको इतनी आजादी नहीं है । मैं चाहता हूं कि इस मामले में पंचायतों को बिल्कुल आजाद कर दिया जाय ताकि वह अपने यहां प्रत्येक विचारधारा के अखबार मंगा सकें । देश का हित कांग्रेस विचारधारा से हो, सोशलिस्ट विचारधारा से हो या कम्युनिस्ट विचारधारा से हो, इसको सोचने का उनको मौका और आजादी होनी चाहिये । देश में हर एक विचारधारा को पनपने देना चाहिये । प्रजातंत्र का महत्तम उद्देश्य यही है । मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ।

इसके साथ ही साथ मैं इटावा का जिक्र करता हूं । हमारे यहां पंचायतों को इतनी आजादी नहीं है कि अपनी किताबें बांधने के लिये बस्ते भी खुद मोल ले सकें, बाक्सेज भी मोल ले सकें । हमारे यहां पंचायत राज्य आफिसर ने एक इंडेंट किया और हजारों की तादाद में बाक्सेज मंगाये, हजारों रुपये का फायदा एक दूकानदार को कराया । तो कहने का मतलब यह है कि पंचायतों की आजादी का अपहरण न किया जाय । उनको स्वतंत्रता-पूर्वक आगे पनपने और बढ़ने दिया जाय । इससे जनता की प्रजातंत्र पर आस्था दृढ़ होगी ।

अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो जनता का प्रजातंत्र की तरफ से जो विश्वास हटता जा रहा है, धीरे धीरे वह विश्वास हट कर तानाशाहियत की ओर भी जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज जो मैंने इस भवन में रखी थी वह है अध्यापकों के वेतन के बाबत। मुझे यह पता चला है कि हरदोई, रायबरेली जिले में लालगांव नाम की एक जगह है वहां एक अध्यापक महोदय रहते हैं, वह कई दिन से पत्ते खाकर अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। उनको ५ महीने से वेतन नहीं मिला है। रायबरेली जिले में, इटावा जिले में अध्यापकों की हालत का मुझे तजुर्बा है। कानपुर के अध्यापकों से भी मिलने का मौका मिला। उन्होंने बतलाया कि ४-५ महीने से उनको भी वेतन नहीं मिला है। अध्यापकों को वैसे ही कम वेतन मिलता है। ४-५ महीने तक उनको वेतन नहीं दिया जायगा तो किस तरह से वे गुजारा कर सकेंगे। यह घटना जो मैंने आपके सामने रखी यह "स्वतंत्र भारत" अखबार में मैंने पढ़ी है। यह बड़ी शर्मनाक घटना है। अगर सोशलिस्ट पार्टी की सरकार होती, मुख्य मंत्री के स्थान पर हमारे विरोधी दल के नेता होते, हम लोग वजारत की कुर्सियों पर होते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस घटना के सुनने के बाद या तो हमने फौरी कोई इंतजाम किया होता, या अगर हम इंतजाम न कर पाते तो मैं यकीनन कहता हूं कि हमने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया होता।

मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन के अन्दर और बाहर भी कई बार इस बात को बड़े गर्व से कहा है और मैंने अखबारों में भी पढ़ा है कि कोई भी आदमी भूखों नहीं मरने पायेगा। मैं जानता हूं पंडित पंत के राज्य में कोई आदमी भूखों नहीं मरने पाया, लेकिन मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं लालगांव के अध्यापक की घटना के द्वारा, हो सकता है उनके राज्य में कोई आदमी भूखों न मरा हो, उनके राज्य में आज भी आदमी भूखों मर रहे हैं और पत्ते खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अध्यापक, जो हमारे राज्य की आधारशिला हैं वे भूखों मरें और पत्ते खा खाकर जीवन व्यतीत करें, यह बहुत शर्मनाक बात है। एक तरफ तो लोग समाज में ऊंचे-ऊंचे महलों में रहते हों, लाखों रुपये उनके पास हों, कूलर्स और हीटर्स उनको उपलब्ध हों, बिस्कुट और डबल रोटी खाते हों और दूसरी तरफ समाज के अन्दर कुछ लोग भूखे मरते हों, पत्ते खाकर रहते हों, इससे बढ़ कर शर्मनाक बात क्या हो सकती है? फिर हम लोग अपने को पूज्य बापू का उत्तराधिकारी समझते हैं। स्वर्ग में बापूजी बैठे होंगे और वह यह सब देख रहे होंगे। उनका सिर शर्म के मारे झुक रहा होगा। मैं इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

इसके साथ ही साथ मैंने एक प्रस्ताव पुलिस की ज्यादतियों की बाबत, निरीह जनता पर पुलिस के अत्याचारों के बाबत, पोलीटिकल पार्टीज के साथ किये गये व्यवहार के बाबत रखा। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है पुलिस के अत्याचार पहिले से बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। मैं दूसरे जिलों की बात नहीं कहता, अपने ही जिलों की बात कहता हूं और उसको सदन के सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस वाले पुलिस के थानेदारों को अपने कब्जे में किये हुये हैं। उन्होंने उन्हें चुनाव के समय अपने काम के लिये इस्तेमाल भी किया था। इसका नतीजा यह हुआ है कि वे आपे से बाहर हो रहे हैं, सोचते हैं कि यह जो एम० एल० एल० हैं वे सब हमारे ही बनाये हुये हैं और इस कारण से वे कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हैं।

इटावा, जिले में ऐरवा एक थाना है वहां चपुन्ना गांव में पिछले महीने में एक मीटिंग हुई थी और उसमें वहां के थानेदार के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया था, उसमें यह भी था कि पुलिस के अत्याचार कांग्रेसियों पर भी किये जा रहे हैं। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि मैं पुलिस के अत्याचारों का स्वयं भोगी हूं।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

दफा ११७ में केसेज चलाये जा रहे हैं। इस सूबे की सोशलिस्ट पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी पर दफा १०७–११७ में एक केस चल रहा है। इटावा की पुलिस नें एक राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ता को, जो पहिले कांग्रेस में थे, फिर पी० आर० डी० में चले गये और आजकल कम्युनिस्ट हैं, को बुरी तरह से पीटा और गालियां दीं। तमाम शहर में इतना जोर का स्ट्राइक हुआ, मीटिंग हुई जितनी जोर से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके अलावा पुलिस के और अत्याचारों की बाबत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बड़पुरवा थाने में वहां के थानेदार ने एक आदमी को गोली मार दी। अदालत में उसका केस चल रहा है इसलिये उसके मुताल्लिक इस सदन में कोई बात करना नहीं चाहता। चौकिया के थानेदार ने एक शख्श को इस तरह से पीटा कि वह मर गया, उसका केस भी अदालत में चल रहा है, इसलिये उसका भी जिक्र करना नहीं चाहता। सहायल के थानेदार ने डकैती को चोरी में दर्ज कर दिया और रिश्वत ली, यह मामला भी अदालत में चल रहा है इसलिये इसका और जिक्र नहीं करूंगा।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (पुलिस मंत्री)—आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। (श्रीमान, मैं विधान का एक प्रश्न प्रस्तुत करता हूं) अदालत में जो मामला होता है उसके बारे में यहां कुछ नहीं कहा जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष---जो मामलात अदालत के विचाराधीन हैं उनका हवाला यहां नहीं देना चाहिये।

श्री गजेन्द्र सिंह--पुलिस द्वारा जो जुल्म किये जा रहे हैं उनकी बाबत सदन का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता था।

अब मैं उद्योग-धंधों की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक उद्योग-धंधों का संबंध है, सोशलिस्ट पार्टी का यह मत रहा है कि बड़े-बड़े उद्योग-धंधों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। कपड़े के उद्योग, सीमेंट, लोहे और शक्कर के उद्योगों का समाजीकरण किया जाय। इन उद्योगों से एक बहुत बड़ी तादाद में लाभ होता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं। शुभमूर्ति राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर धन्यबाद के संकल्प के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिय जायं---

"किन्तु विधान सभा को खेद है कि शुभमूर्ति राज्यपाल के संबोधन में कारखानों के मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए सरकार की ओर से जो वादे किये गये हैं उनमें मजदूरों की बेकारी को दूर करके और मजदूरों की छंटनी और बैठकी को बन्द करके काम के हक को यकीनी बनाने का, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी दिलाने का, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे में मजदूरों के निर्वाह के लिये उचित प्रबन्ध करन का, मजदूरों को कारखाने में हिस्सेदार का पद दिलाने का और हड़ताल के समय सरकारी अफसरों तथा मिल मालिकों के हाथों से मजदूरों की जान तथा मान की रक्षा का वायदा नहीं किया गया है।"

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में कहा है कि पिछले कुछ महीनों में श्रम स्थिति सामान्य रूप से शांतिपूर्ण रही। श्रम स्थिति शांतिपूर्ण रही, ऐसी चीज नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां कहीं भी मजदूर कोई चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं उसे दबाने की कोशिश की जाती है। जहां कहीं भी मजदूर कोई चीज मांगते हैं, अपनी मांग को पेश करते हैं, उन्हें हर तरह से दबाया जाता है। आपने अभी-अभी देखा कि गोरखपुर में जब कि मजदूरों ने बहुत सीधे तरीके से जाकर डी० एम० के सामने अपनी जो दरख्वास्त पेश की, उसका नतीजा क्या हुआ, वह आपके सामने है, मजदूरों को भड़काया गया और भड़काने के बाद उनके ऊपर

गोली चलायी गयी जिससे ४ मजदूर गोली के शिकार हुये। इस वक्त भी इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है।

इसी तरह से टेक्सटाइल यानी कपड़ों के कारखानों और तेल के कारखानों से सैकड़ों मजदूर छांट-छांट कर बाहर किये गये हैं। अगर इसी तरह से मजदूरों को छांट-छांट कर बाहर करने का सिलसिला जारी रहा तो सब मजदूर निकाल दिये जायंगे और सब जगह शांति ही शांति हो जायगी। अगर इसी तरह की शांति कायम करनी है तो यह जो शांति दिखलाई पड़ती है, मैं समझता हूं कि यह उसी तरह की शांति है जो तूफान उठने के पहले हुआ करती है, क्योंकि मजदूरों के दिलों में जो जजबात उठ रहे हैं, जो भावनायें उठ रही हैं वे दबाने से रुक नहीं सकतीं बल्कि उनकी मांगों को पूरा करके उसे रोका जा सकता है। आपने यह भी सुना होगा कि कानपुर के मजदूरों की बोनस की मांग है, उसके लिये कई महीनों से लड़ाई चल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक उधर कोई भी ध्यान नहीं दिया है।

अभी कुछ ही दिन हुये, चुनाव के मौके पर सरकार की तरफ से एक गजट निकला था कि चीनी मिल के मजदूरों को यह बोनस मिलेगा, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हिन्दी में गजट सरकार की तरफ से निकला है उसमें लिखा है कि तीन आने प्रति मन बोनस मिलेगा। मजदूरों ने यही समझा कि हमें तीन आने प्रति मन बोनस मिलेगा। लेकिन जो अंग्रेजी का गजट निकला उसमें था कि दो आने प्रति मन बोनस मिलेगा। अब इसको क्या समझा जाय? इसे चुनाव जीतने का तरीका समझा जाय या क्या समझा जाय। इसे तो सरकार ही अच्छी तरह से जानती है कि एक जगह तो तीन आने प्रति मन लिखा जाता है और दूसरी जगह दो आने प्रति मन लिखा जाता है। अभी यह भी कहा गया है कि खेतिहर मजदूरों की तरक्की के लिये काम किया जा रहा है और उसके लिये एक इन्क्वायरी कमेटी भी बन चुकी है जिसमें जांच-पड़ताल चल रही है। हमारी सरकार इन्क्वायरी कमेटीज बनाने में बहुत चतुर है। बहुत सी इन्क्वायरी कमेटीज बन चुकी हैं, यह हाउस के सदस्यों को मालूम है। हाउस के लोगों को यह भी मालूम है कि लेबर इन्क्वायरी कमेटी बनायी गई और उस पर नहीं मालूम कितना रुपया खर्च किया गया और उसके कुछ अंशों को कहीं-कहीं लागू करके पूरी इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। अगर इसी तरह से करना है तो फिर क्यों जनता का इतना रुपया इन कमेटियों पर खर्च किया जाता है? सरकार अगर यही करती है तो चाहे इन्क्वायरी कमेटी बनावे या न बनावे हालत तो वही रहनी हैं। तो फिर क्यों रुपया बरबाद किया जाता है? जैसी मजदूर की हालत पहले थी वैसी ही अब भी है।

यह इनक्वायरी कमेटी का ढोंग गलत मालूम पड़ता है। जब कोई मजदूर अपने हक़ के लिये लड़ाई लड़ता है या वे हड़ताल के लिये नोटिस देते हैं या कोई मांग उपस्थित करते हैं तो उनके ऊपर सरकार की मैशिनरी और मिल मालिक के जितने अत्याचार हैं वे सब किये जाते हैं। लेकिन वही मिल मालिक अगर कानून को भंग करता है तो उसे कोई सजा नहीं दी जाती है। मैं माननीय अध्यक्ष का ध्यान खितौनी मिल के ऊपर दिलाना चाहता हूं। कानून यह है कि जब कोई मामला किसी अदालत में पेश हो तो कोई मजदूर बिना उस अदालत की आज्ञा के नहीं निकाला जा सकता। वहां के मिल मालिक हमारे अपर हाउस के सदस्य राय बहादुर केदारनाथ खेतान हैं और इसी सदन के मेम्बरों द्वारा चुन कर वह वहां भेजे भी गये हैं। इस मिल के कितने मुक़दमे अपैलेट ट्रिब्युनल में हैं और कितने कन्सीलियेशन बोर्ड में हैं और बिना किसी इजाजत मोती लाल सिंह को, जोकि वहां की यूनियन का सेक्रेट्री है, निकाल कर बाहर कर दिया गया। उसके बारे में बहुत से खत सरकार के पास भेजे गये लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। न मिल मालिक पर मुक़द्दमा चलाया जा रहा है और वह मजदूर बेकार पड़ा हुआ है; इतना ही नहीं क़ानून तोड़ने की मिलमालिकों की कुछ आदत सी पड़ गयी है। जो फैसले अदालत से होते हैं उनको भी वे नहीं मानते, और इसके लिये सरकार भी कुछ नहीं

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

करती है। इसके उदाहरण बहुत से दिये जा सकते हैं। सहारनपुर के मिल मालिक को एक आदत सी पड़ गई है कि वह कोई भी फैसला किसी भी अदालत का हो उसे नहीं मानता। लेकिन आज तक सरकार यह नहीं बता सकती है कि उसने कभी भी उसके खिलाफ कार्यवाही की हो।

हमारे यहां औद्योगिक झगड़ों के तय करने की जो मशीनरी बनायी गई है उससे तो मजदूर एक दम बेकार सा हो गया है। अगर मजदूर की कोई मांग है तो पहले तो वह उसे सरकार के कन्सीलियेशन आफिसर के पास भेजे। वह अफसर कन्सीलियेशन बोर्ड बनाता है और आपस में समझौता कराने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर वह सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में भेज देता है। अगर मजदूर की पहुंच लेबर डिपार्टमेंट तक नहीं है और यदि आई० एन० टी० यू० सी० को छोड़कर किसी दूसरे आर्गेनाइजेशन का मामला है तो फिर उसकी कोई पूछ भी नहीं हो पाती है। इसके बहुत से सबूत तो मेरे पास हैं। यह हालत है जिस तरह मजदूरों के मामले सुलझाये जाते हैं। महीनों और सालों फैसला होने में लग जाते हैं। यह सोचने की बात है कि इस दरमियान में वह मजदूर जो निकाल दिया जाता है, क्या करे। इस तरह से सरकार के लेबर डिपार्टमेंट से मुकद्दमेबाजी में मजदूरों को परेशान किया जाता है।

इतना ही नहीं, मैं एक दो चीज और आपको बतलाना चाहता हूं जिनके बारे में सरकार ने जो कुछ किया है वह कितनी गड़बड़ी की चीज है। कटकुइयां मिल में बहुत दिनों से गड़बड़ चल रही थी। सरकार ने उस मिल को लिया और उसको लेने के बाद उसके ऊपर एक मिल मालिक को कंट्रोलर बना दिया। एक कंट्रोलर को मुकर्रर करने के बाद आज उस मिल की हालत यह है कि वहां पर मजदूरों की हालत बहुत खराब है। ४-५ लाख का घाटा पहले ही था लेकिन अब वहां पर १०-१२ लाख का घाटा है और उसपर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। जो उसके कंट्रोलर मुकर्रर किये गये हैं वह वहां पर कभी तशरीफ नहीं ले जाते, यहां लखनऊ में ही रहते हैं और हर महीने उन्हें अपनी तनख्वाह भर लेने से मतलब है। अगर इस तरफ सरकार अपना ध्यान नहीं देती है तो इसका नतीजा यह होगा कि इस मिल की हालत और भी खराब हो जायगी। मजदूरों ने कई दफा सरकार के सामने दरख्वास्त की कि इस मिल के अन्दर बहुत गड़बड़ी चल रही है इसकी जांच की जाय लेकिन सरकार ने उसकी जांच नहीं कराई। गुनेश्वर जी जो यूनियन के मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि इस कटकुइयां मिल के बारे में अगर सरकार जांच नहीं कराती है तो मेरे ऊपर मुक़द्दमा चलाया जाय उन आक्षेपों के आधार पर जो कि उन्होंने बारबार कहे हैं ताकि उनको मौका मिल जाय कि वह अदालत के अन्दर अपनी सफाई दे सकें और मिल की हालत को रख सकें कि वहां पर कितनी बेइमानी की जाती है और किस तरह से वहां रुपया बरबाद किया जाता है। मगर इस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और वह चुप है। वहां पर जितने अधिकारी हैं उनके कुछ मजदूर जो कृपापात्र हैं उनको मिल से तनख्वाह ठीक समय पर मिल जाती है। इतना ही नहीं बल्कि वहां पर एक आफिस सुपरिंटेंडेंट है, जो पहले पडरौना में थे। वहां पर उनकी बहुत सी गड़बड़ियां पकड़ी गयीं और उन गड़बड़ियों के कारण उनको वहां से निकाल दिया गया। जब उनको वहां से निकाल दिया गया तो उनको इस मिल में रख लिया गया है। इस कटकुइयां मिल में जितने मजदूर हैं उतने ही अफसर हैं। मजदूरों के साथ इस मिल में बहुत अत्याचार किया जाता है।

मैं दो-एक बात और कहना चाहता हूं जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी है कि जनरल बातें भी कही जा सकती हैं, तो मैं पडरौना के बारे में कहना चाहता हूं कि पडरौना के उत्तरी क्षेत्र में भीषण ओले गिरे थे और उन ओलों का नतीजा यह हुआ कि वहां फसल तो बरबाद हुई ही, जितने दरख्त थे उनकी खालें तक निकल गई और जो वहां पर बन्दर और पक्षी थे वह सब मर गये और कई आदमियों की भी ओले की चोट से मृत्यु हुई। इसकी रिपोर्ट हर जगह भेजी गयी, सरकार के पास

भी भेजी गई, लेकिन आज तक वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई रिलीफ (सहायता) वहां के लोगों को नहीं दिया गया। वहां की जनता आज अन्न के लिये परेशान है। एक तो देवरिया जिला वैसे ही अन्न के मामले में पिछड़ा हुआ है लेकिन यह और भी तबाही वहां पर आ गई है जिसके लिये सरकार को ध्यान देना जरूरी है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि वहां के ऊपर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी वहां का कोई इन्तजाम करें। अगरचे वहां जल्दी से इन्तजाम नहीं किया गया तो हालत खराब हो जायगी।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनःआरम्भ हुई।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द और जोड़ दिये जायं---

"किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों की जो रिपोर्ट पेश की है, उसके सुधार के लिये कोई क्रियात्मक सुझाव नहीं रखा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इस भवन में आपके चुनाव पर बधाइयां दी जा रही थीं, मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी कुछ आप से कहूं, पर मुझे वह मौका न मिला। इसलिये आज मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। हम लोग इस भवन में नये हैं, बच्चे हैं। राजनीति के मैदान में हम लोग बाहर तो खेले हैं लेकिन इस भवन के नियमों से हम लोग अभी तक ज्यादा परिचित नहीं हैं। वैसे नियम तो हम पढ़ रहे हैं फिर भी हो सकता है कि हमसे कभी कोई ऐसी ग़लती हो जाय जिसकी वजह से आप हमें डांट दें। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमें छोटे बच्चे समझ कर के अगर कभी ग़लतियां भी होंगी तो उन्हें आप क्षमा करेंगे। यह मैं आज आप से प्रार्थना करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में चुनाव की कुछ ज्यादा चर्चा नहीं थी सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि यह पहला चुनाव स्वराज्य के बाद हुआ है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि इस भवन में स्वराज्य की लड़ाई के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे छांट करके यहां भेजा। बहुत से मेरे भाई जो इधर हैं उनको मैं बहुत कम जानता हूं। मैं अपने उन दोस्तों को ज्यादा जानता हूं जो सामने बेंचों पर बैठे हुये हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने उस दिन कहा कि उनसे आपका सम्पर्क ३०-३२ वर्ष का है। मैं भी २०-२२ वर्ष से इसी देश की सेवा करता रहा हूं। लोग आज मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी टोपी का रंग इन टोपियों से कुछ फर्क है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं और भी मुसीबतजदा हूं और मेरे चुनाव में हिन्दोस्तान की सारी हुकूमत टूट पड़ी। हिन्दोस्तान के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव के दिन मेरे पोलिंग स्टेशन के शहर में थे। यहां के मुख्य मंत्री, यहां के खाद्य मंत्री, यहां के शिक्षा मंत्री, यहां के बहुत से मंत्रिगण हमारी उन पहाड़ियों पर आये। इससे एक फायदा तो हुआ। दस-बारह रोज पहाड़ की कन्दराओं में रहने से हमारे शिक्षा मंत्री का बदन तो कम से कम थोड़ा सा छट गया और हमें बहुत सी बातें उस चुनाव के अन्दर सुनने को मिलीं।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री उस प्रदेश से आये हैं जिस प्रदेश में मैं भी पैदा हुआ हूं। वह उसी पहाड़ के हैं जहां का मैं भी हूं। उसी पहाड़ की ठंडी हवायें उन्हें लगी हैं, जो मुझे लगी हैं। जब वह पहाड़ पर आये तो उन्होंने हमारे यहां की जनता को यह बताने की कोशिश की कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी के बड़े भारी नेता आचार्य नरेन्द्रदेव को हराने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो कि चूर्ण की गोलियां बनाता है। मुझे दुःख है..

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य का किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में जो इस भवन के हैं, इस तरह की हंसी या मजाक करना उचित नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप यह समझते हैं कि मैंने कोई आक्षेप किया है तो मैं उसे वापस लेता हूं लेकिन मैं उन भाषणों को सुना रहा हूं जो हमें सुनने को मिले हैं।

आज इस हाउस में अगर हिन्दोस्तान की सोशलिस्ट पार्टी के नेता आचार्य नरेन्द्रदेव होते तो दुनिया की नजरें आज इस हाउस की तरफ होतीं कि वह क्या कहने जा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि आचार्य जी सफल नहीं हुये, क्योंकि इस हाउस में मैं समझता हूं कि विद्वानों की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं मालूम पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष --आप जरा बैठ जायं। माननीय सदस्य पहले कह चुके हैं कि उनको अनुभव नहीं है। बहुत सी चीजें जो वह कह जाते हैं मैं गवारा कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक इस भवन की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध है मुझे टोकना ही पड़ेगा। यह जो आपने कहा कि इस भवन में ऐसे आदमियों की आवश्यकता नहीं है, यह इस भवन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है,। यह माननीय सदस्य स्वयं कबूल करेंगे और इस तरह के शब्द इस भवन के सम्बन्ध में नहीं कहेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। मैं यह कह रहा था कि वर्षों तक जब से इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई मैंनें भी अपने इन मित्रों के साथ जो मेरे सामने की बेंचों पर बैठे हुये हैं जेलखानों में अपने सर के नीचे तसले का तकिया रखकर अपनी जिन्दगी बहुत काटी है। मैंने जब पहले अंग्रेजों का राज्य था उस वक्त उनका विरोध किया था और हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलते ही मैंने सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया और मैं उसके अन्दर आया। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, और आपकी तरफ से अपने दोस्तों को यह बताना चाहता हूं, कि मैं आपके विरोध में नहीं हूं। मैं कांग्रेस को इसलिये छोड़ कर आया कि जिन वादों को हमने जनता से किया था वे पूरे नहीं हो सके।

आज कहा जाता है कि कांग्रेस का उद्देश्य कोआपरेटिव कामनवेल्थ है। मैंने अपने माननीय मुख्य मंत्री के भाषणों को भी बड़े गौर से पढ़ा है। हाल ही में नैनीताल पर एक जगह उन्होंने कहा कि हम एक क्लासलेस (वर्गहीन) और कास्टलेस (जातिहीन) सोसाइटी आन दि बेसिस आफ कोआपरेटिव कामनवेल्थ (सर्व सामान्य हितकारी सहकारी के आधार पर समिति) बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कोआपरेटिव कामन वेल्थ के माने क्या हैं। मैंने भी बहुत सी कोशिश की लेकिन मैं नहीं समझ पाया। मैंने भी काफी डिक्शनरी ढूंढ़ी है, लेकिन मुझे तो इसके मतलब नहीं मिले। कोई इसकी कुछ व्याख्या करता है और कोई कुछ करता है। मैं तो यह चाहूंगा कि अगर कहीं कांग्रेस का उद्देश्य यह होता कि हम हिन्दुस्तान में क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी कायम करना चाहते हैं तो शायद यह हो जाता कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस में मर्ज (विलीन) हो जाती। हम दोनों संस्थाओं का एक उद्देश्य होता और वह यह कि क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी।

मुझे बड़ा दुःख होता है कि हमारे महामान्य राज्यपाल ने यह कहा है कि हमारे यहां स्त्री और पुरुषों में कोई भेद नहीं रखा जायगा। सबको समान मौका मिलेगा। मैं बड़े दुःख से कहना चाहता हूं कि हमारी बहुत सी बहनें और मातायें इस भवन की सदस्य हैं लेकिन जहां तक मंत्रिपद का सवाल है उनमें से किसी को भी यह मौका नहीं दिया गया कि वह भी मंत्रिपद पर अपना काम कर सकें। मैं क्या कर सकता हूं

मैं तो उनसे संवेदना ही प्रकट कर सकता हूं । मुझे शैडो कैबिनेट में इर्रीगेशन और इन्फारमेशन का पोर्टफोलियो दिया गया है। मैं अपना मंत्रिपद उन्हें दे सकता हूं अगर वे इधर आने की कोशिश करें। यों तो हाउस के जितने विषय हैं उन सब पर मेरी कुछ न कुछ जानकारी है, लेकिन यह पोर्टफोलियो मुझे दिये गये हैं, मैं उन्हें दे सकता हूं । इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूं सिर्फ उनसे हमदर्दी जाहिर कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं उस प्रदेश से आया हूं हिमालय से जहां के हमारे माननीय मुख्य मंत्री हैं। मुझे दुःख है कि हमारे यहां के मुख्य मंत्री होते हुये भी आज अगर देश में कहीं सबसे ज्यादा गरीबी है तो वह हमारे पहाड़ों में ही है। मेरे दोस्त टेहरी के महाराजकुमार साहब ने आपको बताया कि टेहरी में कितनी गरीबी है। हम लोग भी उतने ही ग़रीब हैं। हमारे यहां शिक्षित बहुत हैं। ८० फीसदी लोग हमारे यहां पढ़े-लिखे हैं। लेकिन आज हमारे यहां लाखों नवजवान ऐसे हैं जो मैट्रिक पास हैं मिडिल पास हैं लेकिन उनकी बदकिस्मती ऐसी है कि आज वे दूसरों के बरतन मल रहे हैं। उनके लिये कोई रोजगार इस प्रान्त में नहीं है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री कभी कहा करते थे और मुझे सन् १९४१ ई० की उनकी बम्बई की स्पीच याद है । उन्होंने कहा था कि हमारे कुमायूं के जो नवजवान बच्चे यहां बाहर काम करते हैं स्वराज्य हो जाने के बाद उनको यहां नौकरी करने का मौका नहीं दिया जावेगा। आज बहुत साल गुजर गये। आज हमारे यहां बेकारी और भी बढ़ गई है। आज हमारे यहां चलने के साधन नहीं हैं, आज हमारे यहां मोटर नहीं चल सकती, आज हमारे यहां कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं, आज हमारे यहां खाने को नहीं मिलता, सारी चीजें खत्म हो गई हैं और किसी का ध्यान उधर आकर्षित नहीं होता।

जहां तक मुख्य मंत्री का सवाल है मैं उनकी बहुत इज्ज़त करता हूं। मैं कोई दरबारी नहीं हूं और इसलिये भी नहीं करता कि उनसे मुझको कोई कांग्रेस का टिकट मिल जायेगा। मैं उनकी इज्जत करता हूं इसलिये कि वह विद्वान् हैं और इसलिये भी कि मैं उनके साथ काफी रहा हूं और हम लोग एक ही जेल में एक ही कमरे में थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वे अपने शरीर के मोटापे को कम करने के लिये दही पिया करते थे और मैं अपने मोटापे को बढ़ाने के लिये घी खाया करता था। मैं उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूं। मैं यह भी कह सकता हूं कि मैंने देश की जब आजादी की लड़ाई हुई तब माननीय मुख्य मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला कर देश की आजादी की लड़ाई में उनका साथ दिया। अंग्रेज लोग चाहते थे पांच हजार रुपये पर मेरा सर। उन्होंने कहा था कि जो मदन मोहन उपाध्याय को जिन्दा या मुर्दा लायेगा उसे पांच हजार रुपया मिलेगा। उन अंग्रेजों के सामने तो मैंने न कभी सर झुकाया और न सर दिया, लेकिन आज इस हुकूमत के सामने सर भी झुकाता हूं और उन्हें जरूरत हो मेरे सर की तो सर देने के लिये तैयार हूं, लेकिन अपने सिद्धान्तों से हटने वाला नहीं हूं।

हमारे इलाके का सौभाग्य रहा कि हमारे गांव के लोगों ने अबकी बार पं० जवाहर-लाल नेहरू को देखा, जो अब तक नहीं देखा था। पंडित जी उधर कभी नहीं गये। अबकी हमने उन्हें मौका दिया। देश की हुकूमत हिल गयी। सभी पहुंच गये। जब गांव में पं० जवाहरलाल जी पहुंचे तो मैंने कहा कि दर्शन करने तो जरूर जाओ, लेकिन सफेद टोपी छोड़ कर के लाल टोपी पहन कर जाओ और बहनों से कहा कि लाल साड़ी पहन कर जायं ताकि पंडित जवाहर लाल जी को मालूम हो जाय कि इस देश के अन्दर कांग्रेस ने क्या किया है। इस देश के अन्दर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है और बावजूद सारी ताकतें लगाने के वहां की गरीब और बेकार जनता ने मुझे यहां छांट कर भेजा है।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

मैं जानता हूं कि हम अल्पमत में हैं, लेकिन गरीब जनता की जो दिक्कतें हैं उनको यहां इस सदन में रखना मेरा कर्त्तव्य है, क्योंकि जब यह बातें अखबारों में छपेंगी तो जनता को मालूम होगा कि हमारा प्रतिनिधि वहां गया था उसने हमारी दिक्कतें हाउस के सामने रखीं। इसलिये मैं यहां पर आया हूं। मगर मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश की गरीबी दूर नहीं हुई। हमारे देश की बेकारी दूर नहीं हुई।

हमने सुना है कि हमारे यहां कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा में होने वाला है। कारण यही है हमारे देश की गरीबी और बेकारी। कम्युनिस्ट कोई बाहर से तो आते नहीं। हम लोगों में से ही कम्युनिस्ट बनते हैं। लोग यह नहीं समझते कि कौन सोशलिस्ट है, कौन कम्यूनिस्ट है। वह तो यही जानते हैं कि हमारी ग़रीबी दूर होना है और जो उसको दूर करने के लिये सामने आये वह उसके साथ चलेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि कुमायूं के नौजवानों पर मेरा कब्जा है। मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि अगर वे मेरे नेतृत्व में चलेंगे तो इन पांच सालों के अन्दर मैं बेकारी और ग़रीबी को दूर करवा दूंगा। अगर बैलेट के रास्ते से काम न चला तो "बुलेट" का रास्ता अख्तियार किया जायगा, मुझे इसको कहने में जरा भी संकोच नहीं है। अंग्रेजों से लड़ाई मैंने इसलिये लड़ी कि मैं अपने देश को उठा सकूंगा और अपने देश के नौजवानों से काम ले सकूंगा। आज हमारे देश के नौजवान फौज में भर्ती हैं। हमारे यहां के नौजवान आज चपरासी छोटे-छोटे पद पर हैं। जिसकी पहुंच होती है वही बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकता है। जब मौका आयेगा, बजट आयेगा, तो मैं बताऊंगा। हमारे इस सेक्रेटेरियट में, इसी प्रान्त में, ऐसे-ऐसे लोग रखे गये हैं जो नाइन्थ क्लास फेल हैं और उनके मुकाबले में हमारे यहां के ग्रेजुएट भी नहीं लिये जाते। सुपीरियर सर्विसेज में भी एक्जेम्पशन (छूट) मिलता है उन्हें जिन्होंने शिक्षा भी नहीं पाई है। इसलिये अध्यक्ष महोदय के जरिये मुझे मौका मिलेगा मैं बतलाऊंगा।

मुझे आशा है कि मेरे बहुत से भाई जो यहां हैं वह मुझे मौका देंगे। यह न समझेंगे कि सिर्फ इन्फार्मेशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट दस ही मेरे पास हैं, बल्कि मैं औरों के बारे में भी जानकारी रखता हूं। सड़कें बनाई गयीं। ११ करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च किया गया। अगर ११ करोड़ रुपया सड़कों पर बिछा दिया गया होता तो वह बहुत अच्छा होता। इससे क्या फायदा हुआ कि सड़क पर मिट्टी डाल दी गयी और बरसात में फिर वह सारी बह गयी। लोग कहते कि उत्तर प्रदेश में चांदी की सड़क बना दी। हमारे मंत्री महोदय उस पर चलते तो टायर ट्यूब बहुत कम घिसते। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है। मेरी बदकिस्मती है। १५ मिनट का समय मिला है, इसलिये मैं समाप्त करता हूं।

श्री निहालुद्दीन---अध्यक्ष महोदय, हुजूरवाला की इजाजत से मैं जैल की तरमीम पेश करना चाहता हूं---

धन्यवाद के प्रस्ताव के आखिर में नीचे लिखे जुमले इज़फा किये जायं---

"लेकिन विधान सभा को खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय के ऐड्रेस में जो खाद्य नीति आगे के लिए बतायी गयी है वह इस प्रदेश की खाद्य समस्या हल करने के लिये और अकाल में फंसे पूर्वी जिलों के गंभीर खाद्य संकट को दूर करने के लिये नाकाफी है।"

हुजूरवाला के सामने जो सुबह से तरमीमें पेश हो रही हैं, उनमें करीब-करीब हर पहलू पर जो कि हिज एक्सीलेंसी गवर्नर के ऐड्रेस में जिक्र किये गये हैं, जिक्र हो चुका है। मेरे नजदीक सूबे में सब से अहम सवाल जो गवर्नमेंट के लिए, हम

लोगों के लिये, किसानों के लिए और हर काम करने वालों के लिए हैं वह गिजा की कमी है जो इस वक्त हम पूर्वी अजला में देख रहे हैं। यह मेरी तरफ से नाइंसाफी होगी अगर मैं यह अर्ज करूं कि गवर्नर बहादुर ने अपने ऐड्रेस में इस मसले के ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली। उन्होंने यकीनन २७ पैराग्राफों में से दो पैराग्राफ में इस सवाल के ऊपर हम लोगों की तवज्जह दिलायी। मगर अफसोस है कि जिस नजरिए से मैं इस सवाल को देखना चाहता हूं, हिज एक्सीलेंसी ने उसे न देखा। यही वजह है कि मुझे तरमीम पेश करनी पड़ी। मैं इसके ऊपर कोई जजबाती तकरीर नहीं करना चाहता। सिर्फ अपने साथियों के सामने हुजूरवाला के जरिये से तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इस मसले पर वहां के जो मुकामी एम० एल० एज० और एम० पीज० हैं उनका नजरिया क्या है, पूर्वी अजला के रहने वालों के जजबात क्या हैं? हुजूरवाला की इत्तिला में आया होगा कि देवरिया जिले में सिर्फ ७०,००० हजार रुपया जुरमाना, कानून शिकनी जो गिजाई कमी की वजह से करनी पड़ी उसकी वजह से हुआ। सजा या जुर्माना जो हुए उसकी मुनासिबत और नामुनासिबत पर मैं कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। सिर्फ एक वाकया का जिक्र करना चाहता हूं। ७० हजार रुपया जुर्माना हुए और सात सौ आदमियों को सजा काटनी पड़ी। इन सात सौ में कुछ सोशलिस्ट पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, कुछ इस भवन के मेम्बर हैं। यह भी वाकया हुजूरवाला की इत्तिला में आया होगा कि पूर्वी अजला के करीब-करीब सब कांग्रेस पार्टी के एम० एल० एज० ने इस्तीफा दिया। सवाल यह है कि यह क्यों है? अर्ज करने का मतलब यह है कि वहां पर जो सूरत और हालत पैदा हो रही है उसकी पूरी अहमियत को हम इस वक्त नहीं समझते और अगर हम उसका अहसास करें तो यह मुश्किल निहायत आसानी से हल हो सकती है।

गवर्नर महोदय ने बताया कि चन्द लाख रुपया वहां पर इमदादी कामों के लिए दिया गया है। कुछ तकाबी के लिए दिया गया है। कुछ वहां पर मुफ्त इमदाद दी गयी। यह मैं अर्ज करूंगा कि "शबनम से प्यास नहीं बुझती।" यह बक्ती और थोड़ी सी इमदाद आप दे रहे हैं या हम दे रहे हैं उससे यह सवाल हल नहीं हो सकता है। सवाल तो बहुत पेचीदा और अहम है और कुल सूबे की सतह के ऊपर इस सवाल पर गौर करना पड़ेगा।

सबसे असली गल्ती जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है और जिसको कि आज तक गवर्नमेंट पांच साल के अन्दर समझने में कासिर रही है वह यह है कि बराबर सूबे में चीख और पुकार इस बात की रही है कि सूबे में गिजा की कमी है। गिजा के लिहाज से यू० पी० डेफीसिट प्राविन्स (कमीवाला प्रदेश) कहा जाता है। मैंने चन्द अखबारात में मजमून दिये और चन्द मर्तबा इस ऐवान में भी अर्ज किया था कि यह बिल्कुल गलत वाकया है कि हमारा सूबा डेफीसिट प्राविन्स है। मैंने जो आदादो शुमार उस वक्त दिए थे उनका दोहराना यहां मैं मुनासिब नहीं समझता। मगर चन्द थोड़े से आदादोशुमार यहां अर्ज कर दूं तो बेमहल न होगा। अगर हम यह खयाल अपने दिमाग से निकाल दें और उसके बाद कोई काम करना शुरू कर दें और कंट्रोल के बंधनों को हटा दें और गल्ले के उन जराअों को, जो पहले रायज थे, सूबे के एक जिले से दूसरे जिले में गल्ला पहुंचने में आसानियां फराहम कर दें, तो मैं हुजूरवाला को यकीन दिलाता हूं कि गल्ले की कमी पूरी हो सकती है। हुजूरवाला को शायद इत्तिला हो कि हमारे यहां तिजारत करने वाले बनिये लोग एक-एक पाई के मुनाफे के ऊपर सैकड़ों मील से गल्ला लाते और पहुंचाते हैं।

हमारे यहां ६ करोड़ एकड़ जमीन है। इसमें से ३,६९,१७,१८१ एकड़ जमीन जेरे काश्त है यानी जिसमें गल्ला पैदा होता है। यह कुल जमीन सूबे का वह

[श्री निहालुद्दीन]

रकबा है जो जेरे काश्त हो सकता है यानी ६१ फीसदी है। यह आदादोशुमार मैं अपनी तरफ से और अपने बनाये हुये नहीं कहता हूं बल्कि आपकी रिपोर्ट के हैं। जो सालाना रिपोर्ट्स एग्रीकल्चर और इर्रीगशन डिपार्टमेंट की होती है उनके जरिये मैं यह अर्ज कर रहा हूं। यहां पर १,२२,५४,५५२ एकड़ जमीन है। जो मजमूई जमीन रकबे की २०.३३ फीसदी है जिसमें काश्त हो सकती है। मैं यह अर्ज कर दूं कि करीब ४ करोड़ एकड़ जमीन है जिसमें हम काश्त कर रहे हैं। सूबे की आबादी इस वक्त ६ करोड़ है। इसमें गढ़वाल और टेहरी भी शामिल हैं लेकिन रकबाये जेर काश्त के बारे में यह है कि गढ़वाल और कुमायूं के अजला से जो नक्शे आ रहे हैं उनमें कहा है कि यह डैटा आंकड़े इस वक्त नहीं है कि कितनी जमीन यहां पर जेर काश्त है। मेरा अन्दाजा यह है कि चार करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन हमारे पास है। तखमीना पैदावार, नक्शा और आदादोशुमार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे पास हैं जिसमें बतलाया जाता है कि एक फसल में ५ मन से लेकर ९ मन तक एक एकड़ पैदावार है। मैंने हिसाब लगाया तो आध सेर फी कस के हिसाब से, जिसमें बच्चे-बूढ़े सब शामिल हैं गल्ला खाये। इस सूबे में गल्ले की कमी नहीं है। मेरा ख्याल तो यह है कि महज डाक्टर को रखने के लिये ही बीमारी का ऐलान किया जा रहा है। फूड डिपार्टमेंट को कायम रखने के लिये ही यह कहा जा रहा है कि यू० पी० डेफीसिट प्राविन्स है।

उन आदमियों को जो पहले तिजारत में लगे हुये थे, गेहूं-गल्ला एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और जिनका जरिया माश इस पर था उनको अपने रोजगार से अलग करने के लिये कंट्रोल जारी किया है। कंट्रोल के मुताल्लिक मेरे एक दोस्त जो इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के एक मुमताज प्रोफेसर थे और इस सूबे के और हिन्दुस्तान के फूड डिपार्टमेंट से उनका करीबी ताल्लुक रहा, उन्होंने लिखा है फूड का कंट्रोल बतौर एक वार-टाइम मेजर के जायज और सही है, मगर तौर गवर्नमेंट की पालिसी के फूड पर कंट्रोल रखना यह एक मुल्क के लिये तबाहकुन और अफसोसनाक वाकया है। मैं अर्ज करूं जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर इस नजरिये से आप देखें कि मेरठ और रुहेलखंड जो यकीनन सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स (बचत वाले जिले) हैं वहां अगर इस वक्त आप फौरी यह शुरू कर दें कि गल्ला आसानी से पूर्वी जिलों को भेजा जा सके, रेलवे में गल्ले और खाने की चीजों को ले जाने की कोई मुमानियत न रहे और बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और वे डिस्ट्रिक्ट्स, जो डेफिसिट हैं वहां पर से कंट्रोल हटा लें, तो आप यह यकीन जानिये कि यह गुत्थी सुलझ जायगी वर्ना यह बीमारी जो है वह मुस्तकिल हो जायगी और हम लोगों को दुनिया के सामने जवाब देने का कोई मौका नहीं रहे ।। गल्ला आपके यहां है कमी नहीं है, सिर्फ कन्ट्रोल का बंधन है जिसकी वजह से यह कहत हो रहा है ।

दूसरा सवाल यह रहता है कि मुस्तकिल तौर से क्या जराय और तरीके अख्तियार किये जायं जिससे इन अजला में सहूलियत पैदा करें। मैंने अभी जमीन के रकबे के आदादो-शुमार दिये। हमारे पास इस वक्त १ करोड़ २२ लाख ५४ हजार एकड़ जमीन ऐसी है जो जेरेकाश्त आ सकती है। हुजूर वाला, आपकी इत्तिला के लिये मैं यह भी कह दूं कि २५ हजार एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है जो जमींदार उठा नहीं सकते इस खौफ और डर में कि यह हुकूक गैरमुतय्यन है कि देने के बाद क्या होगा। वह जमीन खाली पड़ी हुई है, उसे कोई जोतने वाला नहीं है। जो आल इंडिया फीगर्स इसके अलावा हैं यह हमको ज्यादा मदद नहीं देते। ५ ईयर्स प्लान के पेज ७७ पर यह बतलाया गया है कि १ करोड़ से ज्यादा जमीन वह पड़ी हुई है जो मुल्क में पार्टीशन के पहले जेरेकाश्त थी और अब काश्त में नहीं है। इस जमीन को काश्त में लाना हमारे सूबे का पहला काम है ।

इसके बाद दूसरे काम जो है वह यह है कि पानी की आसानी पैदा करें। मैं इस बात से इन्कार नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट के सामने प्लान्स (योजनाएं) हैं कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जायद से जायद कुएं बनें, बिजली वहां फराहम हो। हालत यह थी कि जिस वक्त पार्टीशन हुआ उस वक्त मेरठ और बुन्देलखंड अजला में पानी की आसानियां थीं, नहरें और ट्यूबवेल्स वहां बने हुये थे। पार्टीशन के बाद जो कोशिश गवर्नमेंट की रही वह बुन्देलखंड की तरफ रही और वहां पानी की आसानी और बांध बनाने की आसानियां दी गईं, पूर्वी जिलों को नजरअन्दाज कर दिया गया। गवर्नमेंट ने पिछले साल एक कमेटी मुकर्रर की थी जिसने ५ साल का एक प्लान पेश किया है। मई ५० में एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अब मेरा वक्त खत्म हो गया है, इसलिये मैं अपनी तक़रीर खत्म करता हूं।

माननीय अध्यक्ष--जितने संशोधन मेरे पास आये थे वे सब खत्म हो गये। दो संशोधन इस वक्त मेरे पास आये हैं लेकिन अगर मैं संशोधनों को इसी तरह लेना शुरू करूं तो जो लोग आम बहस में भाग लेना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। बोलने के लिये बोलने का भी यह एक रास्ता हो सकता है जो कुछ भी वे इस वक्त कहना चाहते हैं आम बहस में वह कह सकते हैं। इसलिये जो संशोधन मेरे पास पहिले आ चुके थे उनके अलावा मैं और कोई संशोधन नहीं ले रहा हूं। आम बहस अब शुरू होगी और जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के ऊपर अथवा संशोधन के ऊपर बोलना चाहेंगे वे १५ मिनट बोल सकते हैं। हर एक को १५ मिनट बोलने का अधिकार रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय राज्यपाल के भाषण में पृष्ठ ४ पर आया है टाइटनिंग देअर बैल्ट्स लेकिन हिन्दी में जो उसका अनुवाद किया गया है वह इस प्रकार है-- लोगों को अपने भोजन की मात्रा में कमी करने के लिये तैयार रहना होगा। क्या वाद-विवाद करने के लिये इसको सरकारी अनुवाद माना जाय।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य के पास महामान्य राज्यपाल का संबोधन और उसका अनुवाद दोनों हैं। जो अनुवाद किया गया है उसमें अंग्रेजी का जो सही अर्थ समझा गया है उसको ठीक प्रकार से लिखा दिया गया है, क्योंकि अंग्रेजी के जो मुहावरे होते हैं वे दूसरी किस्म के होते हैं और हिन्दी में दूसरी किस्म के।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--महामान्य राज्यपाल के भाषण के संबंध में एक छोटा सा प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री बनारसी दास जी ने उपस्थित किया और जिसका समर्थन माननीय राधाकृष्ण अग्रवाल जी ने किया। विरोध में विरोधी पार्टी के नेता श्री राज नारायण जी ने एक लंबी सूची विरोधों की उपस्थित की। जिस समय वे अपना संशोधन मूल प्रस्ताव के संबंध में उपस्थित कर रहे थे तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि एक माल गाड़ी चली जा रही है जिसके डिब्बों का कहीं वार-पार न हो एक के बाद एक डिब्बा आता जाता हो और लम्बी लाइन लगी ही हुई हो। इसी प्रकार का उनका यह प्रस्ताव था। उनकी ओर से जो संशोधन उपस्थित किया गया है अगर वह स्वीकार कर लिया जाय, तो मैं इस भवन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उस मूल प्रस्ताव की शक्ल वैसी ही हो हो जायगी जैसा कि एक पुच्छल तारा होता है जिसकी पूंछ बहुत ही लम्बी होती है। वह अच्छा भी दिखाई नहीं पड़ता वरन् अशुभ भी माना जाता है। इसलिये ऐसा संशोधन स्वीकार करना एक अशुभ कार्य होगा, मूल प्रस्ताव को बिगाड़ना होगा।

मैं तो माननीय सदस्यों को यही सलाह दूंगा कि वे उस संशोधन पर बिल्कुल गौर ही न करें और उसको अस्वीकार कर दें। कई और माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन उपस्थित किये। किसी ने गीता का उपदेश दिया, किसी ने सोशलिस्ट पार्टी की डींग हांकी और किसी ने कहा कि मुझ से ज्यादा अच्छा कोई उम्मीदवार ही न था। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी भी वहां गये लेकिन सोशलिस्ट पार्टी ने कमाल कर दिया। किसी ने जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में जो पुनर्वासन की व्यवस्था की गयी है उसके बारे में कहा। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

बिल इस भवन में आया और यह कानून बना, पास हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हुआ। महामान्य राज्यपाल के भाषण में यह घोषणा भी हो गयी कि पहली जुलाई से जमींदारी खत्म होगी। रूल्स भी बन गये उसके अनुसार उनको पुनर्वासन भी मिलेगा लेकिन मैं समझता हूं कि पुनर्वासन के ऊपर संशोधन लाकर उन्होंने इस भवन का १५ मिनट समय नष्ट किया। मेरी समझ में बिलकुल उसकी आवश्यकता नहीं थी जब कि पुनर्वासन का पूर्णरूप से कानून बना है, नियम बना है और उन्हें अपनी किस्मत पर संतोष करना चाहिए, हालांकि मुझे उनसे काफी हमदर्दी है। और हमारे सामने बैठे हुये राजा साहब जगम्मनपुर जो पहले भी थे उन्होंने जमींदारी एबालीशन बिल पर काफी बहस मुबाहिसा किया। वे अब भी यहां उपस्थित हैं। जो कानून पुनर्वासन के लिये बना है उससे उन्हें संतोष करना चाहिये और उसके लिये जो व्यवस्था की गयी है उसे उन्हें मान्य करना चाहिए।

राजा वीरेन्द्र शाह--आपने जो मेरा नाम लिया है कि मैं जमींदारों की तरफ से यहां आया हूं ऐसी बात नहीं है। मैं जनता की तरफ से आया हूं। इसलिये आप इसे वापस लें। (हंसी)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--पिछली बार आप जमींदारों की तरफ से आये थे, इसलिये मैंने उसे कहा था।

माननीय अध्यक्ष-- इसके ऊपर यहां वादविवाद न हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--एक तो पुनर्वासन की बात कही गयी है। इस प्रकार से कई पहलुओं पर लोगों ने अपने संशोधन उपस्थित किये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि महामान्य राज्यपाल ने इस अवसर पर जो-जो आश्वासन हमें दिये हैं, जिस प्रकार से हमें आगे भविष्य में कार्य करने के सुझाव उपस्थित किये हैं वे सभी इस प्रकार के हैं जो काफी आशाप्रद हैं और अगले पांच वर्ष में अगर हम अपने इस प्रदेश की हालत को दुरुस्त करने के लिये पूरे मनोयोग से काम करें, मिलजुल कर काम करें, तो काफी कामयाबी होने की आशा है। उन्होंने सिंचाई के साधनों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही है। अभी पूर्वी जिलों में सिंचाई की बड़ी कमी है। पिछले वर्षा काल में पानी नहीं बरसा जिससे सूखा पड़ा और अन्न की कमी हुई। अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, तो हमारे देश की गल्ले की समस्या हल हो सकती है। गल्ले की कमी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिंचाई के साधन न होने की है और गवर्नमेंट की तरफ से कुएं बनवाने के लिये और दूसरे प्रकार से सिंचाई के लिये भविष्य में जो कोशिश की जा रही है उसको महामान्य राज्यपाल ने संक्षेप में अपने भाषण में बतला दिया है, जैसे ट्यूववेल की योजना है, बड़े-बड़े बांधों से नहरें निकाल कर पानी देने की योजनायें हैं जो काफी आशाप्रद हैं और उससे हमें काफी संतोष हुआ है।

इसके अतिरिक्त महामान्य राज्यपाल ने पीड़ित क्षेत्रों की सहायता के संबंध में भी बहुत कुछ कहा है। हमारे माननीय मित्र श्री निहालुद्दीन साहब ने इस ओर भवन के सदस्यों का ध्यान दिलाया है लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे महामान्य राज्यपाल के भाषण को एक बार फिर गौर से पढ़ें और जिस प्रकार की हमदर्दी का इजहार पीड़ित क्षेत्र वालों के साथ किया गया है, जिस प्रकार उनकी तकलीफें दूर करने के लिये सारी व्यवस्था की गयी है उससे उन्हें पूरा संतोष होना चाहिए। महामान्य राज्यपाल का ध्यान उनकी तरफ भी बहुत है और पीड़ितों के प्रति उनके दिल में काफी विचार है।

शिक्षा के संबंध में भी राज्यपाल महोदय ने इशारा किया है। शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिये कि जिससे हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन का संबंध हो। हम इस बात की तरफ हमेशा से सोचते आये हैं कि हमारी शिक्षा ऐसी हो कि जिससे हमारी आर्थिक समस्या हल हो। पहले भी इस भवन के सदस्यों को इस प्रकार इस बात पर विचार करने का अवसर मिला है कि

हम अपनी शिक्षा की योजना को किस प्रकार परिवर्तित करें जिससे हमारी शिक्षा की योजना हमारी आर्थिक और सामाजिक जीवन से सम्बन्धित हो जाय।

मैं एक बात की तरफ विशेष रूप से माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चहता हूं कि जो बार बार यहां पर प्रश्न उठाया गया है कि सरकारी नौकरियों में जैसा अनुशासन होना चाहिये उन सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार, उनका चरित्र जैसा होना चाहिये वैसा सन्तोषजनक नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों की ऐसी धारणा और अनुमान है। उसके सम्बन्ध में महामान्य राज्यपाल ने इशारा किया है कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जो इन सब बातों पर गौर करके ऐसा कोई कायदा बनायेगी कि जिससे यह शिकायत दूर हो जाय और कर्मचारियों के वर्ग का सहयोग मिल जाय और जनता की सद्भावना कर्मचारियों को प्राप्त हो जाय। उनमें अनुशासन हो, वे चरित्रवान हों इन सब बातों की तरफ महामान्य राज्यपाल ने इशारा किया है और हमें आशा है कि हम उसमें भी कामयाब होंगे।

महामान्य राज्यपाल ने इस बात को भी कहा है कि हमारे देश में यद्यपि खाद्यान्न की कमी है लेकिन जैसा कि और प्रदेशों में हुआ है वहां पर गल्ले की कीमत को बढ़ाया गया है केन्द्रीय सरकार से सब्सिडी (सहायता) के न मिलने की वजह से वह हमारे यहां नहीं बढ़ाया गया है तो, खाद्यान्न की कीमतों को नहीं बढ़ाया गया है। इस बात का इशारा किया गया है कि अगर इस समय नहीं बढ़ाया गया है और इस तरह की व्यवस्था जारी रही तो इससे करीब ९ करोड़ रुपये का खर्चा होगा। ९ करोड़ रुपया खाद्यान्न के सिलसिले में हमें खर्च करना पड़ेगा। यह अवस्था चिन्ताजनक है। हमको केवल ९ करोड़ रुपया खाद्यान्न की प्राप्ति के लिये खर्च करना पड़ेगा जब कि हम यह रुपया गल्ले की और पैदावार बढ़ाने में खर्च कर सकते थे और उसके लिये साधन जुटाने में सरफ कर सकते थे। तो वास्तव में यह एक चिन्ताजनक स्थिति है जिसके ऊपर हमको गौर करना है कि किसी प्रकार से यह जो खर्च करना पड़ेगा वह खर्च करना न पड़े। इस माननीय सदन के सदस्यों को विशेष रूप से, ठंडे दिल से इस बात पर विचार करना है।

महामान्य राज्यपाल ने पंच वर्षीय योजना के बारे में भी संकेत किया है। इसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंच वर्षीय योजना बहुत पहले बन चुकी है तो इसके संबंध में जो कमियां और खामियां कही जाती हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है वह कमियां उनके दिल के मुताबिक हो भी सकती हैं जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो कांग्रेस पार्टी के विचारों के प्रतिकूल उनके विचार होते हैं। उन्होंने यह कहा कि जमीन का फिर से बटवारा होना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि १० गुना लगान जो वसूल किया गया है उससे किसानों पर मुसीबत आ गई और उसमें परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि बेदखली खुलने वाली है दफा १७५ की। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि अगर बेदखली खुलेगी तो जो इसका क़ानून है उसके मातहत खुलेगी। उनका जो यह भ्रम है यह ग़लत है। अगर वे क़ानून पढ़ लेंगे तो उनको यह संदेह नहीं रहेगा। लेकिन यह दस गुने की और जमीन के बटवारे की बात तो वे बड़े जोरों से और लाउड स्पीकरों पर घूम-घूम कर कह आये जनता में कि हम जावेंगे तो जमीन बाटेंगे और बिला मुआविजा जमींदारी खत्म करेंगे, और न जाने क्या-क्या नयामतें वे देंगे, इसलिये आप लोग हमको वोट दो। मगर जनता ने आपका विश्वास नहीं किया। आपने बड़े सब्ज बाग़ दिखलाये लेकिन जनता समझती थी कि कहने में और करने में बहुत फर्क है। जिसके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली नहीं है वह ऐसे वादे कर सकता है और आप जानते थे कि आपके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली तो है नहीं। जो कुछ भी आप से कहते बना, झूठ सच कह कर कहीं से कुछ दो-चार नुमाइन्दे हासिल कर लाये, तो चुनांचे आपने कहीं-कहीं कामयाबी लोगों को धोखे में डालकर हासिल कर ली। लेकिन जहां जनता समझती थी तो उसने समझा कि यह धोखे की चीज है। इन सब बातों से यहां कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिये हम आपको राय देंगे कि झूठी बातें छोड़ कर आप हमारे सहयोग से मिल कर काम कीजिये ताकि जनता का कल्याण हो।

श्री राजनारायण--मैं यह जानना चाहूंगा कि वक्ता महोदय ने जो झूठी बात कही वह कौन-सी झूठी बात है, जरा उस पर प्रकाश डालें या अपना झूठ शब्द वापस लें।

माननीय अध्यक्ष--इसके ऊपर स्पष्टीकरण का कोई समय नहीं है। इसका जवाब आयकी तरफ से जो कोई बोलेंगे वे देंगे। उन्होंने गोल बात कही, कोई खास बात नहीं कही।

श्री रामजी सहाय--अध्यक्ष महोदय, जो यहां महामहिम का संबोधन प्रस्तुत है और जिस पर हम आभार प्रदर्शन करने के लिये प्रस्तुत हुये हैं उसके बारे में हमने विरोधी दल के नेता के भाषण सुने हैं। उनके अभियोग पत्रों को भी सुना है और उन्होंने यह साफ अभियोग कांग्रेस दल पर भी लगाया कि कांग्रेस ने इस चुनाव में अनियमित कार्यवाहियों से और पक्षपात पूर्ण ढंग से चुनावों को जीता है। लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है इसके उलटा है। हमने देखा कि यहां का जो यह समाजवादी दल है इसने हरदम के लिये तो नहीं लेकिन चुनाव के लिये उसका जो ढांचा था वह फ़ासिस्ट ढांचा था। वह जातीयता को बढ़ाते थे, हिंसा को उत्तेजना देते थे और विवेचना को नहीं बल्कि भावनाओं को उत्तेजना देते थे और इस तरह से उन्होंने चुनाव जीते। लेकिन फिर भी सोशलिस्ट पार्टी के कितने नेता धराशायी हो गये हैं। मैं जानता हूं कि पहाड़ों में जातीयता ने काम किया और वहां से कुछ ये लोग चुन कर के आये हैं।

जो सम्बोधन उपस्थित है मैं समझता हूं कि यह इतना सुन्दर है कि आज तक इस भवन में ऐसा संबोधन मैंने नहीं सुना। इसमें जमींदारी उन्मूलन की ओर संकेत किया गया है जो एक हिंसाहीन क्रांति है जो कि सदा के लिये अमर रहेगी। जिस तरह से जमींदारी उन्मूलन क़ानून को इस भवन ने पारित किया था और अधिनियम के रूप में वह अब हमारे सामने है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन् आने वाली व्यवस्था में क्या होगा। उसमें लगान उगाही मुख्य बात होगी, उसका रूप क्या होगा और क्या ढंग होगा। रसीदों के बारे में बड़े झगड़े होंगे। मैं सरकार का ध्यान इस ओर अभी से आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे।

एक बात हमारे यहां के जो शासन को चलाने वाले सार्वजनिक सहकारी कर्मचारी हैं उनके विषय में कही गई और उनके चरित्र के संबंध में जो बात कही गई वह बड़ी उल्लेखनीय है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां से भ्रष्टाचार मिट जाय। अगर हम अपने यहां इतना ही कर दें तो हम समझते हैं कि हमने काफी प्रगति कर ली। हमारे जिलों में भ्रष्टाचार निवारिणी समितियां बनीं लेकिन उनका परिणाम अन्ततोगत्वा क्या हुआ यह बात दूसरी है। लेकिन फिर से उसी बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता तो इस बात की है कि हम जो कुछ करें वह एक भावना से प्रेरित हो कर करें।

दूसरी बात जो कही गई वह खाद्य स्थिति के बारे में कही गई और पूर्वी जिलों के संकट की ओर संकेत किया गया। स्वयं माननीय खाद्य मंत्री जी उन दुखग्रस्त गांवों में गये और उन्होंने जा कर दस-बारह घरों को देखा और वहां मुश्किल से दो एक घरों में दो सेर, चार सेर अनाज निकला और बाक़ी घरों में कुछ नहीं था। मैं अभी वहां से आ रहा हूं और वहां की बड़ी दुखद अवस्था है, वहां के कुएं सूख गये हैं और मैं स्वयं जिस गांव में रहता हूं वहां भी पानी दूसरे गांव में से पीने के लिये लाना पड़ता है। पानी पीने तक का लोगों को कष्ट है, क्योंकि कुओं के पानी का तल गिर गया है। मैं समझता हूं कि सरकार के जो ट्यूबवेल हैं और जो गांवों में कुएं सूख रहे हैं उनका कुछ इंतजाम करना चाहिये और पानी की जो सतह है और धरातल है उसको ठीक करना चाहिए। जो बोरिंग का नया सृजन हो रहा है उसका मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। हमें उनके चालकों पर ध्यान देना होगा तभी वहां पर सुविधा के साथ पानी मिल सकेगा।

मैं अपने कुछ भाइयों की विशेष आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि समाजवादी भाइयों के केवल प्रदर्शन और हड़तालों से कोई कार्य नहीं होता। विचार कार्य का अन्त है लेकिन जिस विचार की धारणा कार्य की ओर नहीं रहती वह प्रगति में बाधा ही हो सकती है और इन तरीकों से अधिक समय तक जनता को भ्रम में नहीं रखा जा सकता। मैं अब अधिक समय इस सदन का नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे नये सदस्यों को अपने नये विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए। आने वाले ५ सालों में बड़ा भारी भार हमारे ऊपर है और उसको पूरा करने की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इस तरह से जो महामान्य राज्यपाल ने सम्बोधन किया है मैं उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं तथा मूल धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संयुक्त दल की ओर से जो संशोधन पेश किये गये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल को उनके संबोधन पर बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनका यह संबोधन एक तो विदाई का संबोधन है और वह अब हमारे प्रान्त को छोड़ कर जा रहे हैं। मैंने पहले भी सदन का सदस्य होने के नाते उनके संबोधन को सुना है और जो सेवा उन्होंने प्रान्त की की है उससे हम संतुष्ट हैं और मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं।

अब मुझे आपकी सेवा में अपने विचार प्रकट करने हैं। पहले तो मुझे यह कहना है कि सम्बोधन में बातें तो बड़ी-बड़ी बतायी गयीं और बहुत उत्तम हैं लेकिन हमें देखना यह है कि इनपर क्या कार्य होता है। संबोधन में जो चीजें बतायी गई हैं सरकार की ओर से, उन पर अमल होगा, इसमें मुझे बहुत भय है। मुझे जो भी अनुभव पहले पांच साल में हुआ और अब भी जो मैं देख रहा हूं वह यह देख रहा हूं कि काग़ज़ात में बड़ी-बड़ी स्कीमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा सुन्दर रूप में रखी जाती हैं जिससे जनता यह समझे कि हमारी जनप्रिय सरकार बहुत ज़ोरों में काम करने वाली है। पर होता कुछ नहीं है।

सरकार ने यह रखा है कि हमारा सबसे मुख्य कार्य अन्न को बढ़ाने का है। हम लोग विरोधी दल की तरफ से पहले भी कह चुके हैं और मैं आज भी दोहराना चाहता हूं कि जो साधन खाद्य के बढ़ाने के संबंध में हैं उनको इकट्ठा कर देना चाहिए।

आपने जो मंत्रिमंडल बनाया है और उसमें जिस तरह से डिपार्टमेंट्स बांटे गये हैं, उसके संबंध में कई दफा कहा गया कि ऐग्रीकल्चर और इरिगेशन एक साथ होने चाहिये परन्तु आज तक उसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पी० डब्लू० डी० के तीन खंड किये गये लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि नहर सिंचाई और कृषिमें कितना संबंध है। हम जानते हैं कि इस कारण कितनी कठिनाइयां हम लोगों को उठानी पड़ती हैं। मैं अपने ज़िले बुन्देलखंड की बात बता सकता हूं कि हमारे यहां अनाज अच्छा पैदा होता है लेकिन हमारे बेतवा-कैनाल के जो अधिकारी थे उन्होंने यह जानते हुये कि इस साल वर्षा कम हुई है, नदियों में जल आगे चल कर कम हो जायगा, बेतवा कैनाल को नहीं चलाया और वह १५,२० दिन नहीं चली। तब भी अन्त में हर नहर चालू कर दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि आखिर में वह पानी नहीं दे सके। हमारे यहां की जनता पानी मांगती रही लेकिन वहां का अनाज सूख गया। मैं आपके जरिये सरकार से बतलाना चाहता हूं कि वहां सूखा पड़ा हुआ है, अनाज की पैदावार बहुत कम हुई है लेकिन फिर भी वहां नहर का रेट पूरा लगाया गया है और वसूल हो रहा है गोकि पानी एक दिन भी नहीं मिला है। मैं आप से कहता हूं कि आपके कर्मचारियों की ज़रा सी भूल से जो कई गुना ज्यादा अनाज पैदा हो सकता था वह नहीं पैदा हुआ। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार हमारे बुन्देलखंड के चारों ज़िलों में जो नहरों का रेट पूरा वसूल हो रहा है उसमें कमी करेगी और छट देगी।

मैं अब जमींदारी उन्मूलन के बारे में बतलाना चाहता हूं कि जो कुछ हमारे माननीय मौर्य जी ने बड़े जोरों में मुझे जमीदारों का नुमाइंदा कहा तो मैं निहायत अदब के साथ कह

[राजा वीरेन्द्र शाह]

सकता हूं कि मैं पहले जमीदारों का नुमाइंदा था । पर इस वक्त जो मैं आया हूं तो मैं उनकी सूचना के लिये बतलाना चाहता हूं कि मैं जनता से चुन कर आया हूं और किसी मंत्री से कम वोट मैंने नहीं पाये हैं । १० हजार वोटों से जीत कर आया हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आन पर्सनल एक्सप्लेनेशन । मैंने कोई लांछन नहीं लगाया । मैंने कहा कि पहले जमींदारों की तरफ के प्रतिनिधि थे ।

राजा वीरेन्द्र शाह---यदि आपने नहीं कहा तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा नहीं किया । मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आदमी के कार्य के ऊपर जनता वोट देती है । जनता इसलिये वोट नहीं देती कि आप बहुत बड़े हैं। आप भले ही बहुत बड़ी तादाद में आये, लेकिन वह दिन दूर नहीं कि अगर आपने अपना कार्य नहीं दिखलाया, तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं उनका कहना सही हो जायगा और आप इतनी तादाद में दिखलाई न देंगे । जनता ने आपको यह फिर मौका दिया है । आपको सावधान होकर चलना चाहिए । इतरा कर नहीं चलना चाहिये । समय कम है, कहना बहुत है ।

अभी हमारी तरफ से हमारे महाराज कुमार टेहरी ने यह बतलाया कि ऐसे देशी राज्य के भाग जो पिछड़े हुये थे वह मिलाये गये । तो मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे जिलों में भी एक कदौरा वावनी स्टेट के नाम से एक हिस्सा जालौन जिले में मिला है । आप वहां की जनता से कहते हैं कि वहां का राजा खराब था लेकिन आप भलीभांति जानते हैं कि उस छोटे से टुकड़े की सारी आमदनी लेकर आप अपने प्रान्त में खर्च करते हैं । यह भी नहीं कि वहां की ही आमदनी वहां की कमियों को दूर करने में खर्च हो । कदौरा-वावनी के स्कूलों की हालत देखिये, वहां की सड़कों की हालत देखिये, बेकारी की हालत और पेंशन पाने वाले भूखा रहते हैं, उनकी हालत देखिये कि क्या हो रहा है । यह आप को देखना चाहिये कि जिस चीज को आप लें उसका कबूमर न बना दें । कहीं ऐसा न हो कि वहां की जनता भी आपके ऊपर लांछन लगाये कि जैसे राजे हुआ करते थे वैसा ही आप करते हो।

अब मैं जमींदारी उन्मूलन के बारे में कहूंगा । एक पार्टी को उम्मीद है कि जमींदारी उन्मूलन से हमारे प्रान्त के किसानों को फायदा होगा । मेरा तो ऐसा विश्वास नहीं है । आप जो चाहें कहें । मैं नहीं समझता कि इससे किसानों को कोई खास स्थायी फायदा मालूम होता हो । यह तो एक वादविवाद की चीज है । मान लीजिये कि आप ने जमींदारी खत्म कर दी, लेकिन जो खतरा उसके बाद आने वाला है उसको भी आप सावधानी से समझ लीजिये । जहां तक माननीय राज्यपाल ने यह कहा कि हमें सहयोग देना चाहिये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब जनता ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चय किया कि जमींदारी अबालीशन कर दिया जाय तो जमींदार उसको खुशी से मान लेंगे और आपका साथ देंगे, लेकिन उसके साथ-साथ आपको भी ध्यान देना चाहिये कि आप जमींदारी का खातमा कर रहे हैं लेकिन उनकी व्यक्तिगत प्रापर्टी को लेना या उनकी खासतौर पर किसी तरह से मानहानि करना और मखौल उड़ाना आपको शोभा नहीं देता, जैसा कि उस रोज माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम जमींदारी प्रथा को खत्म कर रहे हैं जमींदारों को नहीं । आपके बहुत से रिश्तेदार अब भी किसान और जमींदार हैं और अब भी हम कहते हैं कि वे एक हल के दो बैल हैं, आपको उनको हर तरह से सहायता करना चाहिये, और सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें बड़ी खुशी है कि हम आज से किसान हो रहे हैं लेकिन यह चीज नहीं होनी चाहिये जैसे सरकार ने अभी एक बिल पेश किया है कि २१ तारीख से ऐसी पाबन्दी लगा दी जाय कि मैं जानना चाहता हूं कि अब दिन ही कितने हैं कि वह ऐसी चीज करती है । ऐसी छोटी-छोटी चीजें करते सरकार को शोभा नहीं देती । आपने जमींदारी अबालीशन बिल में काफी चीजें रख दी हैं जिनसे वह ऐसा कार्य नहीं कर सकेंगे। लेकिन, खैर यह तो सरकार के देखने की बात है ।

मैं ला ऐंड आर्डर (अमनो अमान) शान्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि आज देहात में क्या दशा है, आज देहात में यह दशा है बुन्देलखंड के चार जिलों को मैं जानता हूं। डकैतियां बढ़ती जा रही हैं। गांवों में आदमी रात को सो नहीं पाते। यहां सब एम० एल० ए० साहबान बैठे हैं। अगर आपकी पार्टी इजाजत दे और वह इमानदारी से अपनी बातें कहें तो मालूम होगा कि रोज डकैतियां पड़ती हैं, रोज पुलिस दौड़ती है। मैं अपने जिले की बतलाना चाहता हूं। एक रात में शाम से लेकर सुबह तक एक गांव को लूटा गया। ५८ हजार की डकैती हुई और आज तक डकैतों का पता नहीं। मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारियों ने प्रयत्न नहीं किया। लेकिन एक ऐसी असाधारण परिस्थिति पैदा हो गयी है कि आप को सावधान हो कर सोचना चाहिए। आपको सोचना है कि आज जो जमींदारी जा रही है, इसके बाद आपकी शांति और व्यवस्था में बहुत फर्क पड़ेगा। उस स्थिति को आपको सम्हालना होगा।

आजकल कोई भी भला आदमी गांव में रहने से डरता है। जिन प्रांतों में जागीरें ले ली गई हैं, उन प्रान्तों में यही मचा हुआ है। ऐसी-ऐसी गुटबन्दियां हैं जो एक-दूसरे पर लांछन लगाती हैं और काम करने वाले को कोई नहीं पूछता। उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। जो अन्यायी हैं उनको आपकी पार्टी के लोग भी छिपाते हैं। मैं ईमानदारी से बतलाता हूं कि अगर हमारी पार्टी का कोई आदमी ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप के विरुद्ध चुनाव में लड़े या आप का विरोध किया या आप के खिलाफ कोई आवाज उठायी, इसलिये दबाया जाय जैसे टेहरी-गढ़वाल में आतंक मचा हुआ है, यह अनुचित है। मैं कहता हूं कि आपको खुफिया पुलिस से जांच करवा कर तब कोई कार्रवाई करनी चाहिए।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं पंचायत राज के बारे में, क्योंकि उस विभाग के मंत्री बैठे हुये हैं। हम सब को बड़ी आशा थी कि और सरकार ने अपने को बड़ा गौरवान्वित बतलाया कि हमने यह कार्य किया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो दशा श्री गजेन्द्र सिंह जी ने बतलायी कि पंचायत राज टैक्स वसूल करने में किसानों को जेल भेजा जाता है, उनकी कुर्की की जाती है और पंचायत के कर्मचारियों को उस से वेतन दिया जाता है यह बहुत अनुचित है। सरकार के इतने विभागों के लिये बजट में रुपया रखा जाता है लेकिन पंचायत राज, जो सबसे मुख्य है, उसके कर्मचारियों के लिये एक पैसा भी तनख्वाह के रूप में नहीं दिया जाता। उनकी तनख्वाह देने के लिये गांव वालों को मजबूर किया जाता है। यह तो वही गंवारू मसल हुई कि "मियां की जूती मियां की चांद"। यह हमें शोभा नहीं देता। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आइन्दा से हम आशा करें कि उनको वेतन सरकार देगी और ग्राम पंचायतों के जरिये से ग्रामोत्थान का काम अधिक से अधिक होगा और हम भी उसमें सहर्ष काम करेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू––श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख है, उसका समर्थन करता हूं। महामान्य राज्यपाल ने और हमारी सरकार ने जो कुछ किया है और जो कुछ उनका आगे करने का विचार है उसका बड़ा सुन्दर चित्र सदन के सामने रखा गया है। आज हमारा देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें निर्माण योजनायें प्रमुख स्थान रखती हैं और जितना निर्माण कार्य करना है उनका चित्र सामने ही है। इस कार्य में ज्यादा टीमटाम या ज्यादा ऐसी बातें जो चमत्कार दिखाने वाली हैं वह सामने नहीं आयेंगी। निर्माण का कार्य कितना बड़ा है इसका हमारे बहुत मित्रों को, जो अभी पिछले चुनाव में आये हैं और विशेषकर वह सदस्य जो कि देहाती निर्वाचन क्षेत्र से आये हैं, विशेष रूप से इसका अनुभव होगा।

आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उत्पादन बढ़ायें। इसके संबंध में सरकार ने जो कुछ किया है और जो कुछ वह आगे करने जा रही है और जो पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत वह करने जा रही है वह सराहनीय है। इन योजनाओं

[श्री शिवनाथ काटजू]

द्वारा यह चेष्टा की जा रही है कि उत्पादन बढ़ाया जाय, अनाज की पैदावार बढ़े, हमारे यहां के मवेशियों की नस्ल अच्छी हो, हमारे यहां के किसानों को सिंचाई की सुविधा हो और उनको खाद अच्छी मिले। यह सब समस्यायें हमारे सामने हैं। साथ ही साथ यह भी है जैसा कि राज्यपाल ने बताया कि पूर्वी जिलों में जहां कठिनाइयां हैं वहां सरकार की ओर से काफी इमदाद दी गई है। इसके साथ साथ बहुत सी बड़ी बड़ी योजनायें हैं जो कुछ समय लेंगी। उनकी पूर्ति में सम्भव हैं किसी में दो वर्ष लगें और किसी में तीन वर्ष लगें। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे यहां की जनता इन योजनाओं के ऊपर उतना ध्यान नहीं देती है जितना कि उसको देना चाहिये। डेढ़ वर्ष के करीब हुआ जब मैं शारदा कैनाल के निकट जो हाइड्रो इलैक्ट्रिक योजना चल रही है, को देखने गया। वहां जो इंजीनियर्स और लेबरर्स थे उन्होंने कहा कि वह इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जब वह पूरा हो जायगा तो २०० मील लम्बे और १०० मील चौड़े रकबे में, यानी इतने वर्ग क्षेत्र में काफी तब्दीली हो जायगी। बिजली आजायेगी और नहरें बन जायेंगी। लेकिन हमारे यहां के प्रांत के लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मुझे यह भी मालूम हुआ कि शायद यहां के मंत्रिमंडल ने अखबार वालों से कहा कि वहां जाओ और देखो। वे लोग गये और रात के ८ बजे पहुंचे और उसको पूरे तौर से देखा भी नहीं और शायद चाय वगैरह पी कर वापस चले आये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अक्सर देखा है कि नुमाइशों में यह बतलाया जाता है कि चीन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है और अमेरिका में क्या हो रहा है लेकिन यह नहीं बतलाया जाता कि हमारे देश मे हमारे नवयुवक और इंजीनियर्स किस तरह से देश के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्य आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, धीरे चलेंगे उनमें आवाज कम होगी और इस प्रकार की आशा करना कि उनमें कोई तड़क भड़क हो या जल्दी से उसका कोई नतीजा निकले उचित नहीं है।

मेरे एक भाई ने यह भी बताया कि चुनाव में गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने कहा कि चुनाव ठीक तरह से नहीं हुये। चुनाव का जहां तक प्रश्न है विधान के अन्तर्गत वह यूनियन का एक विषय है और एलेक्शन कमीशन विधान के अन्दर एक स्वतंत्र संस्था है। लेकिन इसके ऊपर यहां पर प्रकाश डाला गया है। जैसा मेरा अनुभव है और मेरे बहुत से मित्रों को अनुभव होगा कि सम्भव है कुछ गलतियां हुई हों। यहां के लोग कुछ अनपढ़ थे और कहीं कहीं वे वोट किसी बक्स मे डालना चाहते थे और डाल दिया किसी दूसरे बक्स में, या बक्सों पर बैलट पेपर रख दिये। लेकिन यह कहना कि बक्स तोड़े गये और बेईमानियां की गईं तो कम से कम जहां तक मेरा अन्दाजा है मैं कह सकता हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में या आसपास की कांस्टीट्युएंसी में ऐसी कोई बात नहीं हुई और वह एक प्रकार से सम्भव नहीं था क्योंकि कायदे ऐसे जकड़े हुये हैं और एक के ऊपर एक इस प्रकार की कड़ी हैं कि जब तक ४०-५० आदमी उस षडयंत्र मे न शामिल हों तब तक बैलट पेपर्स का बदलना एक प्रकार से सम्भव नहीं है। लेकिन जहां कहीं हुआ हो उसके लिये रास्ता है। उसके लिये एलेक्शन पेटीशंस होंगे और उसके सम्बन्ध में इस वक्त कहना ठीक नहीं है। मेरे मित्र ने कहा कि अगर चुनाव ठीक से न हुये तो बैलट पेपर्स की जगह बुलेट्स चलेंगे। कहां चलेंगे, इस सदन में चलेंगे या बाहर चलेंगे इस पर उन्होंने ठीक तरह से प्रकाश नहीं डाला। उन्होंने यह भी कहा कि उन के पीछे काफी जनसंख्या है। अगर उनके पीछे जनसंख्या है तो हमारे पीछे भी काफी जनसंख्या है और हम अपनी तरफ से यहां नहीं आये हैं। इस प्रकार से बुलेट का शब्द प्रयोग करना कहां तक उचित है यह मैं उन्हीं पर छोड़ूंगा। वह मेरे मित्र हैं। उनका मतलब शायद यह था और एक प्रकार से उनका मतलब ठीक भी हो सकता है, कि जैसे और देशों में हुआ कि जब वहां के देश वासियों को वहां के विधान पर विश्वास नहीं रहा तो उन्होंने दूसरा मार्ग ग्रहण किया। लेकिन जहां तक

मेरा विचार है आज हमारा देश इस विधान के ऊपर श्रद्धा रखता है और इस विधान के अन्तर्गत चलकर हम अपने देश को तरक्की दे सकेंगे।

महामान्य राज्यपाल ने हमारे यहां के न्याय संबंधी विषय पर भी प्रकाश डाला और मैं भी सरकार का इस ओर विशेष ध्यान दिलाऊंगा। आज अदालतों में बहुत सारे मुकदमें बिना फैसले के पड़े हुए हैं और यह सवाल अदालतों में या हाईकोर्ट में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस समस्या को देखते हुये ही हमारी सरकार ने अप्रैल सन् १९५० ई० में वांचू कमेटी बनाई थी और वांचू कमेटी ने अपनी रपोर्ट दी। रपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई लेकिन उसकी समरी (संक्षिप्त विवरण) अखबारों में छपी थी। उस समरी के अनुसार उन्होंने कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस वक्त सम्भव नहीं है कि मैं उनपर कुछ कहूं। सम्भवतः यह विषय यहां आयेगा और फिर समय मिलेगा। लेकिन मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस कमेटी ने यह कहा है कि पंचायती अदालतों का काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है और कमेटी का यह सुझाव है कि पंचायती अदालतों के सदस्य चुने न जायं बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स मैजिस्ट्रेट द्वारा नामजद किये जायं। मेरा अपना विचार है कि जिस प्रकार से आज काम चल रहा है यही उचित है।

आप लोगों में से बहुतों को मालूम होगा कि पंचायतें कहीं-कहीं विरादरी के नाते से चुनी गई थी और यह उस समय नहीं देखा गया था कि उचित प्रकार के लोग पंचायतों में चुने गये हैं या नहीं। लेकिन अब जहां तक मैंने देखा अब लोगों को काफी इसका अनुभव हो रहा है कि हमने चुननेमें गलती की। जब उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है तो मैं समझता हूं कि वह अपनी जिम्मेदारी को निभायेंगे और अगले चुनाव मे जो कुछ संशोधन इस संबंध में हो सकेगा वह होगा और अगर उनसे यह अधिकार ले लिया जाय और मैजिस्ट्रेटों के सुपुर्द कर दिया जाय तो यह कोई ज्यादा सुन्दर बात न होगी क्योंकि मैजिस्ट्रेट खुद तो कुछ करेंगे नहीं, यह बात थानेदार, पटवारियों और तहसीलदारों पर जायगी। आज अब हमने जनता को अधिकार दिये हैं और जब जनता यहां की विधान सभा के सदस्यों को चुन सकती है तो कोई कारण नहीं कि वह अपने ग्राम के पंच या पंचायतों और कचेहरियों के पंचों को नहीं चुन सकती।

महाराजकुमार टेहरी ने टेहरी के सम्बन्ध में कहा। मेरा संबंध भी कुछ रियासतों से है और मेरे पूर्वज भी रयासतों से आये हैं। मैं समझता हूं कि जहां छोटी छोटी रियासतें बड़े प्रांत में मिलाई गई हैं वहां कुछ असुविधायें बेशक हुई हैं, वहां पहले जो कुछ मुकदमें होते थे वहीं तै हो जाया करते थे, उनको दूर प्रांत के किसी केन्द्रीय स्थान पर नहीं जाना होता था। उनके यहां अस्पताल वगैरह की सुविधायें होती थीं जो हमारे यहां तहसीलों और गांवो में नहीं होतीं। लेकिन एक सबसे बड़ा लाभ एक बड़े प्रांत में रियासत के मिलने से होता है वह अपना एक विशेष स्थान रखती है। जो रियासतें प्रांत में मिल गई हैं उसका फल यह हुआ है कि उस रियासत का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नागरिक हो गया है, उनको नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो गये हैं और उसी अधिकार के नाते आज मेरे मित्र इस सदन में बैठे हैं और सम्भव है कि वहां का कोई नागरिक जो यहां इस सदन में आये वह कभी हमारे मंत्रिमंडल में भी आ सके। आज उस छोटी सी रियासत का एक नवयुवक इस विशाल देश के ऊंचे से ऊंचे पद को ग्रहण कर सकता है, जो यह छोटी-छोटी असुविधायें हैं जिन पर उन्होंने दृष्टिपात किया है मैं आशा करता हूं कि वे बहुत शीघ्र ही दूर हो जायेंगी।

मैं एक विशेष बात पर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां कई स्थानों पर बारिश कम हुई है और जंगल कट गये हैं उसके कारण जो नतीजा हुआ है उसपर अब काफी सोच विचार हो रहा है। यह समस्या हमारे इस देश की ही नहीं है, बल्कि संसार व्यापी समस्या हो रही है। पृथ्वी की संख्या ५० वर्ष पहले ८५ करोड़ ५० लाख थी और अब २ अरब ३५ करोड़ हो गई है। तो जाहिरा बात है कि उस समय जितनी उत्पत्ति होती थी वह उस समय की जनता के लिये काफी थी और आज जब जनसंख्या चौगुनी हो गई है तो जितनी कठिनाइयां हो सकती हैं वह आज हैं। इसके साथ ही साथ भूमि में स्वायल इरोजन (भूमि का कटाव) हो रहा है। तो हमारे लिये केवल एक

[श्री शिवनाथ काटजू]

उपाय है जो और देशों में हो रहा है वह यह है कि हम विज्ञान की सहायता ले कर उत्पादन को बढ़ावें। मैंने देखा कि पिछले तीन चार महीनों से हमारी सरकार इस ओर काफी काम कर रही है। जगह-जगह ट्रेक्टर्स भेजे जा रहे हैं। ट्रैक्टरों की सहायता से अच्छे बीजों द्वारा यह सब काम किया जा रहा है। सिन्दरी फैक्टरी में खाद भी तैयार हो रही है और वह भी थोड़े दिनों में आने लगेगी।

श्री रामनाथ तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विचार मेरे माननीय मित्र जगन्नाथ मल्ल जी ने देवरिया आदि की फैक्टरियों के बारे में प्रकट किये उनके मुताबिक तो उन्हें खुद ही सोचना चाहिये। जिस वक्त वर्क्स कमेटी चल रही थी तो उस वक्त इन्हीं लोगों ने सरकार से और मिल मालिकों से कहा कि यह नहीं होना चाहिये। कुछ सदस्यों ने बहुत कोशिश की लेकिन मैजोरिटी नहीं चाहती थी। मजदूरों को गलत आश्वासन देकर १९४८-४९ में एक गलत प्रस्ताव पास कराया और फिर उसके बाद लड़ाई शुरू की जिसमें शिब्बन लाल जी ने सत्याग्रह शुरू किया और मजदूरों में गलत उत्साह भरा गया। उनसे कहा गया कि अगर तुम लोग हमको वोट दोगे तो तुम्हें ७५ रुपया वेतन के दिला देंगे। कुछ ऐसी बातें लोगों में फैल गईं जिनकी वजह से हम लोगों का संगठन क्षीण हो गया। इससे यह प्रकट हो जाता है कि जो भी समस्या सामने आती है वह ठीक तरह से हल नहीं होने पाती है। हम लोगों को ट्रिब्युनल में लड़ाई के लिये जाना पड़ता है और इन्हीं लोगों के कारण मजदूरों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं होने पाती है। मजदूरों के अन्दर व्याख्यान देते हैं और उनको सही रास्ते पर जाने नहीं देते, गलत प्रचार करते हैं। बैतालपुर में जो दुख की बात हुई उसे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। अगर अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो मैं उसके बारे में भी कह दूं।

माननीय अध्यक्ष--मैं किसी विशेष बात के कहने के लिये नहीं कह सकता, जो भी उचित हो उसको आप कहें।

श्री रामनाथ तिवारी--कुछ साल पहले बैतालपुर में चीनी के बोरे के अन्दर से पत्ता निकला था। यह सब उन लोगों की करतूत से हुआ। उन्होंने इस साल भी मजदूरों को गलत आश्वासन दिया। जब चीनी टाइम आफिस में पकड़ा गया था और जिससे ऐक्साइज से मिल मालिकान बच जायें उन्होंने मजदूर से उसको मान लेने के लिये कह दिया लेकिन उसकी पार्टी के सदस्यों से मिल कर मिल मालिकन ने मजदूरों पर चार्ज लगा दिया। अब एक शख्स को नोटिस दिया गया है कि तुम पर चार्ज क्यों न लगाया जाय। इस तरह चार-पांच मजदूरों पर चार्ज लगाया जा रहा है। अभी यह मामला इन्क्वायरी में है। हम लोगों ने ऐतराज किया था कि इनका हेड आफिस उत्तर प्रदेश में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य ऐसा भाषण दें जो माननीय सदस्यों की समझ में आसानी से आ सके।

श्री रामनाथ तिवारी--उनका हेड आफिस कलकत्ता में है, जहां बहुत सी फैक्टरियां चलती हैं। हेड आफिस के मजदूरों का शुगर फैक्टरीज के मजदूरों से कोई ताल्लुक नहीं है। मजदूरों ने जब अपनी मांग की तो शुगर फैक्टरीज के मजदूरों ने इसका विरोध किया। फर न्यायालय में इस मामले को रखा गया और उस पर फैसला हो चुका है कि वह उत्तर प्रदेश से बाहर है, इसलिये बोनस का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी उसके बाद उन लोगों ने इस मामले को आगे बढ़ाया है। लेकिन बार बार जब हम लोग अपना कर्त्तव्य करने के लिये आगे बढ़ते हैं तो ये लोग पीछे हट जाते हैं और मजदूरों को धोखा देते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिये या मजदूरों को गलत आश्वासन देने के लिये ये लोग ऐसे उत्सुक न हों।

श्री उमाशंकर---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भाषण हम लोगों के सामने किया और जो उन्होंने हम लोगों को धन्यवाद दिया है, उसके हम आभारी हैं। लेकिन जो भाषण राज्यपाल महोदय का हम लोगों के सामने है, और जिसकी कुछ पंक्तियां आपने पढ़कर सुनायीं, उसको हमलोगों ने गौर से सुना। यह भाषण नया नहीं है। जो बातें भाषण में आयी हैं। माननीय मुख्य मंत्री का भाषण सुनने का जिनको मौका मिला होगा वे इससे अवगत होंगे कि सारी चीजें उसके अन्दर हैं। इस भाषण को अमेरिका में अगर कोई आदमी पढ़ेगा तो उसे मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य आज स्वर्ग बन गया है। वहां के किसान राज्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वर्ग भोग रहे हैं, वहां के मजदूरों को स्वर्ग का सुख मिल रहा है। लेकिन आज आप गांवों में चले जाइये, एक एक विभाग से जो बातें आ रही हैं, उसे आप देखेंगे तो मालूम होगा कि यह भाषण इस सरकार के प्रचार के आधार पर बना है। इसको जो पढ़ेगा वह स्वयं समझ जायेगा।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य ऐसी किताबें उठा उठा कर और संकेत करके अपना भाषण न दें।

श्री उमाशंकर---मैं इसे वापस लेता हूं।

तो मैंने आपको बतलाया कि यह भाषण वास्तविकता से दूर है। मैं राज्यपाल महोदय की नियत पर विश्वास करता हूं, लेकिन मुझे यह डर है कि उन तक हमारी वास्तविक हालतें पहुंच नहीं पाई हैं। यदि वे हमारी बात जानते कि आज यू०पी० के राज्य की क्या हालत है तो वे जरूर कुछ सलाह दिये होते, वे कुछ बतलाते। पिछले जमाने में हमारी सरकार ने जो गलतियां की हैं, वे अब उसे नहीं करनी चाहिये, वे चेतावनी जरूर देते, मगर आज भाषण में उसका अभाव है।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में शिक्षा के बारे में भी लिखा है कि इस बीच में बहुत उन्नति हुई है, लेकिन मैं आपको बतलाता हूं कि शिक्षा की हालत यह है कि मेरा छोटा सा मुफस्सल जिला आजमगढ़ है। वहां अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में जहां ५२ जूनियर हाई स्कूल चलते रहे, आज जब कि हमारी हुकूमत है, जनता की हुकूमत है, जनता राज्य कर रही है तो ५२ स्कूलों में ५ स्कूलों को रिकाग्नीशन मिला है। इस तरीके से ४५ या लगभग उसी के करीब स्कूलों का रिकाग्नीशन छीन लिया गया है। इनके लड़के इम्तहान में नहीं बैठ सकते हैं। हमारे एक साथी ने मेहनत करके, बड़ा परिश्रम करके, लंगोटी पहन कर, घूम घूम कर एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोला है और उसके लिये वह महीनों से दरवाजे-दरवाजे रिकाग्नीशन (राजकीय स्वीकृति) के लिये दौड़ रहे हैं। रिकाग्नीशन की सारी शर्तें भी उन्होंने पूरी कीं। जिन ५ मेम्बरों ने उसके लिये रिक्मेंडेशन किया है उनमें सभी आजमगढ़ ही के हैं। सब लोग रिक्मेंडेशन करते रहते हैं, लेकिन उनको रिकाग्निशन नहीं मिल रहा है। आज वहां के गरीब आदमी जिनको अपना तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं मिल रहा है, उनके लड़के पढ़ने नहीं जाते हैं, फिर भी कैसे कहूं कि शिक्षा की उन्नति हुई है। स्कूलों की तादाद में उन्नति हुई है। लेकिन वह सरकार के कारण नहीं हुई है। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार यह जानती नहीं है कि स्कूलों की तादाद में उन्नति उसके कारण नहीं हुई है

हिन्दोस्तान में जब स्वराज्य आया तो पहले ही से जनता उतावली थी और वह चारों ओर से टूट पड़ी है और दौड़ रही है कि हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें, मगर सरकार की ओर से ठेस पहुंचाई जाती है, धक्का दिया जाता है और परेशान होकर लोग वापस चले जाते हैं। हम आशा करते थे कि इसके लिये राज्यपाल महोदय सरकार को कुछ चेतावनी देंगे। मगर वह बात इसमें नहीं है।

हमारे बहुत से भाई यहां तानाजनी कर गये हैं कि हमारे बड़े बड़े नेता धराशायी हो गये हैं। मैं आपका साथी रह चुका हूं और मुझे याद है कि आरम्भ में जब असेम्बली की मेम्बरी

[श्री उमाशंकर]

के लिये हमारे बहुत से बड़े नेता खड़े हुये थे तो सबके सब धराशायी हो गये थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी हम कामयाब नहीं हुये थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे सिरमौर थे और जिनको बड़े प्रेम से हम अपने सिर-माथे चढ़ाते थे, वह भी शायद इलाहाबाद के म्युनिसिपल बोर्ड में हरा दिये गये। आज तो हम ३ से ३० हो गये हैं और जो भाई यहां तानाज़नी कर रहे थे, अगर उनमें बड़ा जोर था तो वह अपने जिले से क्यों नहीं आये? लोग समझते हैं कि वह अपने जोर से आ गये हैं। मैं समझता हूं कि यह उनका भ्रम है। यह महात्मा गांधी की तपस्या और उन नौजवानों की तपस्या है जिन्होंने मुल्क को आजाद किया है। वे कांग्रेस का चोला उतार कर जिस दिन जनता के सामने आजावेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर देखा जायगा कि वे कैसे कामयाब होते हैं। उनको गर्व नहीं करना चाहिये।

जमींदारी उन्मूलन की बात को लेकर कई सदस्यों ने यह जाहिर किया है कि हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा भारी काम किया है और बड़ी भारी शान्ति मय क्रान्ति होगई है। लेकिन १ जुलाई के बाद जब यह शान्तिमय क्रांति आपके सामने आवेगी तब आप उसका मजा देखेंगे। जब मुख्य मंत्री मेरे जिलें में गये थे तो उन्हें नज़र आया था कि किसानों के घरों में नोट सड़ रहे हैं, लेकिन अब वह वहां जाकर देखें तो मालूम होगा कि वहां उनके घरों में चूहे दंड मार रहे हैं और उनके बच्चे परेशान हैं। यह स्थिति १० गुना जमा करने के बाद है। वहां पीपल के गोदा के लिये भीड़ लगती है, बटवारा होता है और मालूम होता है जैसे लाठी चलेगी। कहा जाता है कि यह डाल हमारी है और यह तुम्हारी है। यह हालत वहां जहां मुख्य मंत्री देखा करते थे कि नोट सड़े जा रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अब वहां जाकर देखें। अब ताकत बजाय जमींदार के पटवारी के हाथ में चली गई है और वही लगान लेगा। एक जमींदार है भूतपूर्व जस्टिस। क्या मैं नाम ले सकता हूं किसी व्यक्ति का?

माननीय अध्यक्ष---नहीं, यह उचित नहीं होगा।

श्री उमाशंकर---आज़मगढ़ के ज़िले में एक बड़े सम्मानित ज़मींदार हैं, जिनके पास २०० बीघा सीर है। मेरे क्षेत्र में उनका घर है, इसलिये मैं जानता हूं। उनके यहां दो बैल रखे गये हैं यह दिखाने के लिये कि वह खेती करते हैं। वहां उस सीर पर उनका नाम लिखा जाता है। खेत जोतता है किसान और नाम लिखा जाता है ज़मींदार का।

एक जगह की बात नहीं है। ऐसी कई जगह की बातें हैं। एक ज़मींदार साहब हैं, वह दूसरी जगह के रहने वाले हैं। उनका उस गांव के अन्दर कोई हल नहीं है, लेकिन उस गांव के अन्दर ५० फीसदी खेत उनके नाम से लिखा जाता है। यह हालत हो गई है। आपने जो कानून बनाया है, उससे बेदखली नहीं होगी, परन्तु जब खेत उनके नाम नहीं है तो आप क्या करेंगे। आपकी अदालत में दरख्वास्त दी जाती है, वहां पर सुनवाई नहीं होती है। अधिकारियों के पास शिकायत की जाती है, तो वह कह देते हैं कि साहब हमको फुरसत नहीं है कि हम गांव में जायें। जब जमींदारी खत्म हो जायेगी और यह ऐक्ट काम में आयेगा, तब आपको मालूम होगा कि इससे कितनी परेशानी है। तो फिर कौन सा सुख इस जमींदारी के खत्म होने से मिलेगा।

आप वोट तो जरूर पा गये हैं। इसके बल पर आप चाहे जो कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि वोट आपने गांधी जी के नाम पर पाया है। आज वह कांग्रेस नहीं है जो सन् १९३० ई० में रही है। आज वह कांग्रेस नहीं है जो सन् १९४२ ई० में रही है। आज तो यहां पर सरकारी अधिकारी कांग्रेस के नाम पर हुकूमत करते हैं। लेकिन जब यह जनता के अन्दर से भ्रम दूर हो जायगा तब लाल टोपी वहां पर बैठेंगी। आप वहां पर नहीं रहेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को भी बदलने में हमको समय लगा है। इसी तरह से हमको जनता को यह बताने में समय लगेगा कि आपका असली रूप क्या है, लेकिन हमारी कामयाबी निश्चित है। इस देश में सिवाय समाजवादी पार्टी के और दूसरी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती है और न यहां चल सकती है। इसकी मिसाल मैंने आपको बताई कि आज

हम लोग यहां पर ३ से ३० होकर आये हैं। आपकी पार्टी में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको कामयाबी तो जरूर हो गई है, लेकिन उनके अपने इलाके में कोई बात करने वाला नहीं है। आज जो आपकी जीत है, वह अंग्रेजों के ज़माने जैसी है, लेकिन यह जीत ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती..

माननीय अध्यक्ष--आप, "आप आप" का प्रयोग बहुत कर रहे हैं और यह प्रयोग मेरे लिये हो रहा है।

श्री उमाशंकर--बहुत अच्छा। मैं आपके द्वारा भवन को बतलाना चाहता हूं कि आज हमारे साथी बहुत से गवर्नमेंट के साथ हैं और हम भी उनके कदम पर चलने वाले लोग हैं और हमारा विरोध नहीं था, लेकिन अब हम अपने को उनसे बिल्कुल भिन्न पाते हैं। इसलिये आपके द्वारा मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अब वह भी राहेरास्त पर आजायं और तीसरा खतरा उनके और हमारे, जो सामने है, उसका हम और वे मिलकर इस समय मुकाबला करें। सोशलिस्ट पार्टी इस लिये कायम नहीं हुई है कि उसको किसी पद का लोभ हो और न सोशलिस्ट पार्टी के किसी आदमी को मिनिस्ट्री का लोभ है। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि आप जनता की हालत को सुधारें और उसी सुधार के लिये हृदय से हम आपके सामने अपने संशोधन रखेंगे। यह आपकी मर्जी पर है कि आप उसको स्वीकार करें या न करें। अगर आप सोशलिस्ट पार्टी की बात मानते तो आपको गल्ले के मामले में गोली चलाने की जरूरत न पड़ती। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि सोशलिस्ट पार्टी की सलाह को मानिये और उसकी सलाह पर गौर कीजिये। अगर वह किसी तरह से भी आपको गलत मालूम दे तो उसको तर्क द्वारा गलत साबित करें और वास्तव में गलत हो तो उस को छोड़ दीजिये। लेकिन मैं देखता हूं कि आप मुंह पर खुद तो बोलते नहीं कि यह बात गलत है, लेकिन बाद में आप उसी पर चलने लगते हैं। जिसको असम्भव बताया जाता है बाद में उसी पर चलने लगते हैं। और हमारा कोई मकसद नहीं है। आप यह न समझें कि हम पद के भूखे हैं। हमें पदों की जरूरत होती तो आज जो लाल टोपी पहने हैं वह भी आप ही के सेवक रहे हैं और आपके हुक्म का पालन करते रहे हैं। अगर पद चाहते तो वहीं उसी तरह से रह सकते थे, लेकिन हमारा यह काम कौन पूरा करता और इसी काम के लिये हम अलग हुये हैं। इसी को हमें पूरा करना है।

श्री सीताराम शुक्ल--श्रीमान् अध्यक्ष जी महोदय, मैंने बहुत ध्यान से विरोधी दल के संशोधनों को सुना और उनकी दलीलों पर भी विचार करता रहा। हुजूर वाला, एक उर्दू का शेर है

कोई सोता हो अगर तो उसे बेदार करें।
किस तरह जागने वाले को जगाये कोई।।

जब उस तरफ से महज विरोध करने के लिये ही बिरोध किया जाता है तो फिर क्या उत्तर दिया जाय। शिकायतों को रुक रुक कर पढ़ते जाते थे। फ़रमाते क्या हैं कि साहब यह तरीका गलत है और राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया वह ठीक नहीं है और जब तक सोशलिज्म नहीं आता है और हमारा तरीका आप अख्तयार नहीं करते हैं तब तक काम नहीं चल सकता है। तो हुजूर वाला जरा विचार करें कि यह शिकायत करना कि फलां चीज इसमें नही है, कहां तक ठीक है। यह शिकायत तो ठीक और मुनासिब हो सकती है कि फलां चीज है मगर नामुनासिब है, लेकिन बड़े बड़े नेता, पढ़े लिखे और काबिल लोगों की तरफ से यह कहा गया कि इसमें यह चीज नहीं है, फलां चीज नहीं है। हुजूर वाला, कौन सी किताब है जिस में सारी चीजें मौजूद हैं। क्या कुरान में सब दुनिया की चीजें मौजूद हैं, दुनिया की कोई किताब नहीं है जिसमें सब चीजें मौजूद हों। आप वेद उठा कर देखिये उसमें भी सब चीजें नहीं हैं, इंजील में सब

[श्री सीताराम शुक्ल]

चीजें नहीं हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी किताबों में सब चीजें नहीं हैं तो फिर यह कहना कि इस भाषण में फलां चीज नहीं है कहां तक मुनासिब हो सकता है ।

हुजूरवाला, बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया कि फिर से जमीन का बटवारा करना चाहिये। हुजूर वाला, वह और हम सब एक ही झोली के चट्टे बट्टे हैं। आप भी कांग्रेस ही में रह कर तमाम टैकटिक्स और तरकीबें सीख सीख कर गये हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि अब हम अपना कोई प्रोग्राम ले आवें और कांग्रेस वाले आपसे हार खावें तो अब ऐसी गलती नहीं होगी। इस मुल्क में किसान बहुत ज्यादा हैं, उन्हें खुश करने के लिये आपने नारा लगाना शुरू कर दिया कि जमींदारी प्रथा का नाश हो और आप का प्रोपेगेंडा होने लगा कि गांधी जी तो बिरला हाउस में ठहरते हैं वह तो पूंजीपतियों के आदमी हैं। कांग्रेस बड़े आदमियों की जमात है। हमारे प्रतिनिधि जब शासन में आवेंगे तो वह जमींदारी प्रथा का नाश कर देंगे। कांग्रेस ने कहा कि आप तो जब शक्ति में आवेंगे तब नाश करेंगे जमींदारी का, लेकिन हम तो आज ही जमींदारी का नाश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम भूमि फिर से बांटेंगे और छीन कर खेतिहर मजदूरों को देंगे। अरे भाई, तुम अभी तो भूमि बांटोगे, फिर कहोगे कि मकान बांटेंगे, फिर कहोगे कि कमरे बांटेंगे, कुरता बांटेंगे और यह भी शायद कहो कि जूते बांटेंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिये कि मकान और कमरे बांटने से गरीबी नहीं जा सकती है। अगर गरीबी जा सकती है तो वह सिर्फ जमीन की पैदावार के बढ़ाने से ही जा सकती है। इस तरह से छीन कर एक दूसरे को देने से गरीबी नहीं जा सकती है। लेकिन उस तरफ कदम बढ़ाने के बजाय आप धमकी देते हैं गोली की। इसका जवाब श्री शिवनाथ काटजू ने दिया है मगर वह वकील ठहरे इसलिये उन्होंने हंसी के साथ उसका जवाब कहा। मगर मैं जवाब देता सीधे शब्दों में कि, यहां कुम्हड़ बतिया कोउनाहीं, जो तर्जनी देखि मरि जाही। आप धमकी देते हैं गोली की। जो कांग्रेस जन अंगरेजों की गोली से नहीं डरे, बम्ब से नहीं डरे, वे आपकी गोली से कैसे डर जायेंगे। अगर आप गोली चलायेंगे तो उसका नतीजा आप को मिल जायगा। आपकी गोली का जवाब देने के लिये हमारे पास पुलिस बहुत काफी है। अगर आपके तर्कों का जवाब हम तर्क से दे सकते हैं तो हम आप के पिस्तौल का जवाब पिस्तौल से भी दे सकते हैं। हम हुकूमत करने आये हैं, भाला हिलाने नहीं आये हैं। आप प्रोग्राम बतलाइये, मश्विरा दीजिये कि किस तरह से ज्यादा अनाज पैदा किया जा सकता है। धनियों को गाली देना आसान है। एक आदमी जब मोटर से निकल जाता है तो ईर्ष्या होती है। इसलिये ईर्ष्या उभार देना बहुत आसान है, लेकिन ईर्ष्या को सुनकर कोई शिक्षित आदमी आपके साथ नहीं जायगा। आप यह बतलाइये कि इस तरह से अगर आप हुकूमत करेंगे तो मुल्क की पैदावार कैसे बढ़ जायगी। मसलन आपने जमींदारों से सारी जमीन छीन ली और धनियों से सब रुपया ले लिया तो कितनी जमीन में आप क्या बोइयेगा, कितने ट्रैक्टर लीजियेगा, कितने ट्यूबवेल लगवाइयेगा, कितनी जमीन में कितना गल्ला पैदा कीजियेगा, कितने कारखाने खोलियेगा। और यह बतलाइये कि आज नहीं बल्कि पांच साल के बाद आप प्रति किसान मजदूर को कितना खाना, कितना कपड़ा, कैसे मकान दीजियेगा। अगर आप अच्छा बतला दीजियेगा तो मैं ३२ साल की कांग्रेस की दोस्ती छोड़कर सोशलिस्ट बन जाऊंगा। यह कह देना आसान है कि कांग्रेस सरकार अच्छी नहीं है, लेकिन इससे शिक्षित समाज आपके साथ नहीं जायेंगे और जब तक इन्टेलिजेंशिया आप के साथ नहीं जायगी तब तक आपको कामयाबी भी नहीं मिलेगी ।

हुजूरवाला, माफ करें, मैं इसी सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि इस लाल टोपी को देख कर पब्लिक घबड़ाया करती थी, इसीलिये पुलिस की पगड़ी में से लाल रंग कम कर दिया गया है। आपने लाल टोपी लगाई, इससे पब्लिक घबड़ाती है। सफेद टोपी आपके बुजुर्ग हन ते थे। शुक्लाम्बर धरं विष्णु। शुक्लाम्बर आपके देवता भी पहनते थे। इसलिए मेहरबानी करके आप इस घर आइये और तब आपकी बात मानी जायगी।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य 'आप' का प्रयोग बहुत कर रहे हैं और परस्पर बातें कर रहे हैं जो यहां की प्रथा के अनुकूल नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल--बहुत अच्छा, माननीय अध्यक्ष, मेरे एक जमींदार दोस्त ने एक रिक्वेस्ट [प्रार्थना] सरकार से की थी। तो मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्रार्थना कम सुनी जाती है मगर हुकुम जरूर माना जाता है। मगर हुकुम वह दे सकता है जिसमें योग्यता होती है। जमींदार होना कोई गुनाह नहीं। मुझे इस बात का फख्र है कि मैं एक जमींदार के घर में पैदा हुआ। अगर मैं जमींदार के घर पैदा न होता तो शायद मैं इस मुल्क की खिदमत न कर पाता, क्योंकि अपना पेट भरने के बाद ही दूसरें की सेवा होती है। एक जमींदार तो राजा महेन्द्र प्रताप भी हैं जिन्होंने अपने राज्य पर ठोकर मार दी और कह दिया कि हम गिरफ्तार हों, लेकिन वतन आजाद रहे। मगर आपने तो जमींदारी बचाने के चक्कर में पड़कर जमींदारी खो बैठे। राजर्षि भर्तृहरि ने कहा है कि:

क्षान्तंन क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्तं न संतोषतः
सोढ़ं दुःसहशीत तपनं क्लेशान्न तप्तं तपः।
ध्यातं वित्तमहर्निशं नियतं प्राणैर्न शम्भोः पदम्
तत्तत्कर्म कृतं यदेव मुनिभिस्तैस्तैः फलै र्वंजितम्ः ।।

भावार्थ यह है कि क्षमा तो किया किन्तु धर्म समझ कर नहीं बल्कि डर के मारे बरदाश्त कर लिया; घर को छोड़ा किन्तु संतोष पूर्वक नहीं मुकदमा, व्यापार बारात, आदि के सिलसिले में। जाड़ा, गर्मी, और बरसात सहे मगर तपस्या नहीं की, मनमें हमेशा धन का ख्याल बना रहा, लेकिन शंकर जी के चरणों का ध्यान नहीं किया। तात्पर्य यह है कि जो जो काम संतों ने किया वह सब हमने भी किया परन्तु फल उलटा मिला, अर्थात् संत स्वर्ग गये और हम नर्क पहुंचे। उसी प्रकार हिन्दू जमींदार, आर० एस० एस०, और हिन्दू सभा के सिलसिले में तथा मुस्लिम जमींदार, मुस्लिम नेशनल गार्ड के सिलसिले में जेल गये और जुर्माने दिये मगर फल उलटा मिला, अर्थात् देशभक्त को जेल जाने के बाद हुकूमत में हिस्सा मिला और जमींदार की जमींदारी जब्त हो गई। मगर घबड़ाने की बात नहीं, समय बदलता रहता है। यदि अब भी आपने सही रास्ता पकड़ा, अर्थात् स्वदेश को सुखी और शक्तिशाली बनाने के काम में दिल से यदि आप लोग लग जायेंगे तो कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि पांडित्य की पूजा तो हो के रहेगी, लेकिन कुछ दिन यदि और हमने लापरवाही की तो यह मौका भी हाथ से जाता रहेगा। तात्पर्य यह है कि जैसे आशा से पहले स्वराज्य मिल गया है उसी प्रकार उम्मीद से पहले सुधार भी हो जायगा। विरोधी वृन्द से मैं अन्त में यह निवेदन करता हूं कि सरकार की सही शिकायत कीजिये तो उसे जनता सुनेगी। मुझे भी शिकायत है और "शत्रोरपि गुणा वाच्या, दोषा वाच्या न रिपोरपि" के अनुसार कहता भी हूं कि बोलना, लिखना, सोचना, और जिस लगन से हमारे मंत्रियों ने काम किया वह प्रशंसनीय है, किन्तु हमारे माननीय मंत्री वृन्द, विशेष कर माननीय प्रधान मंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पंत जी, परिश्रम से ज्यादा काम करते हैं, परिश्रम इतना करते हैं कि न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र और न सोने की परवाह। यदि उनकी हेल्थ खराब हो गई तो सूबे का काम खराब होगा और सूबा खराब होगा तो देश का नुकसान होगा। उनका शरीर पब्लिक का है उन्हें हद से ज्यादा काम करने का कोई अधिकार नहीं है। यह जायज शिकायत जरूर कीजिये ताकि यदि वे अपनी कमजोरी दूर करें, अर्थात् समय के पाबन्द रहने लगें तो स्वराज्य की तरह शीघ्र सुधार भी हो जायगा। फलस्वरूप लोगों को अच्छा खाना, कपड़ा, मकान और दवा वगैरह मिलने लगेगी।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--अध्यक्ष महोदय, इस सभा भवन में पहली बार मुझे कुछ बोलने का अवसर देकर आपने जो कृपा की है उसके लिये मैं बड़ा कृतज्ञ हूं। मैं जानता हूं कि मेरे इस पहले भाषण के ऊपर इस तरफ बैठे हुये हमारे बुजुर्ग लोग केवल एक हंसी के और कुछ नहीं करेंगे और प्रेस एक नये मेम्बर की मेडेन स्पीच (प्रथम भाषण) पर शायद

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

गौर भी न करें, लेकिन हमारे जो समाजवादी मित्र हैं उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो कुछ निवेदन करूं, सम्भव है उसमें कुछ ऐसी बातें उन्हें मिल सकें जिससे वह अपनी विचार-धारा को भी सुधार सकें।

समाजवादी दल के प्रति मेरे मन में आदर और श्रद्धा है। उन्होंने यहां पर बहुत सी बातें कहीं जिनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें स्वीकार भी करना चाहिये और उनके प्रति सुधार भी करना सरकार के लिये आवश्यक है। सिद्धांततः छोटी मोटी बातों के प्रति आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान न दिलाकर कुछ अहम बातों की ओर यदि मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं तो अनुचित न होगा। बहुत बड़ी बात जो उन्होंने शिकायत के तौर पर कही वह यही थी कि भूमि के बटवारे के संबंध में, यानी समानरूप से भूमि बांटने के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है।

एक बात उन्होंने यह भी कही कि टैक्स का भार इतना अधिक हो गया है कि यदि उसको नहीं घटाया जाता तो जनता को बड़ी हानि होगी। तीसरी बात विपक्ष के लोगों ने यह कही कि पंचायत राज्य तो आपने बना दिया किन्तु पंचायत राज्य का जो टैक्स है वह जनता से वसूल किया जाता है। तीन चार मोटी मोटी बातें थीं। जनतंत्र के विषय में हमारे माननीय सदस्य ने यह शिकायत की कि जनतंत्र का अपहरण हो रहा है। उनसे मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि वास्तव में वे जनतंत्र के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं तो समाजवादी पार्टी के आचार्य की बातों को या केवल लास्की को पढ़ लें तो उनको मालूम हो जायगा कि वास्तविकता क्या है। यहां बैठकर जनतंत्र की ऐसी बातें करना उसका उपहास करना है। जमीन का बटवारा तो आसान है कहना। आज हमारे प्रदेश में ही नहीं, हमारे देश के सामने बढ़ती हुई आबादी की समस्या बहुत कठिन है। सबको ही विदित होगा कि इस मुल्क में, शायद इस सूबे में भी, एक मिनट में ३५ बच्चे पैदा हो रहे हैं और यह भी मालूम होगा कि मृत्यु की संख्या पिछले ५-७ वर्षों में बहुत कम हो गयी है और आज फी १००० नव-जात शिशु पीछे ८-९ मरते हैं। आपको यह भी विदित होगा कि इस जमीन के बटवारे में चीन में और और देशों के अन्दर बहुत कुछ प्रयत्न किया गया। हमारे यहां एक आदमी पीछे ७ एकड़ जमीन पड़ती है और चीन में करीब ५ एकड़ जमीन पड़ती है। यह भी हमारे सदस्यों को विदित ही होगा कि एक एकड़ जमीन पर बड़ा बोझ हमारे सूबे में है, इतना शायद ही किसी सूबे में हो। आज एक एकड़ भूमि पर दो सौ व्यक्ति, ५५ गायें, १२ भैंसें और २५ भेड़ें पल रही हैं। ऐसी हालत में यह अवश्य उचित होगा कि जमीन का बटवारा कर दिया जाय। लेकिन बटवारा हो भी कैसे? बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुये यह भी देखना पड़ेगा कि और देशों में जो प्रयत्न किये गये तथा समाजवादियों ने जो प्रयत्न किये, उनका क्या परिणाम हुआ। अंत में उससे लाभ के स्थान पर हानि हुई। इस संबंध में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। उन्हीं के बौद्धिक आचार्य अशोक मेहता साहब ने भारत सरकार द्वारा प्रमाणित एक पत्रिका में अपने एक लेख में स्वयं यह कहा है कि न्यूजीलैंड में सोशलिस्ट पार्टी की चुनाव में जो हार हुई है वह इसलिये हुई है कि जमीन का बटवारा उसने काफी पहले कर दिया था। जब आज आबादी बढ़ जाने के कारण वे फिर बंटवारा करना चाहते हैं तो वही किसान समाजवादी दल के विरुद्ध हो गये और कहने लगे कि हमारी जमीन का बंटवारा न हो। तो ऐसी बढ़ती आबादी के जमाने में और इतनी जल्दी जमीन का बटवारा करना गलत होगा। और यह भी सोचना है कि हम अपने देश में बंटवारा न करके, सिंचाई या दूसरी ऐसी चीजों से जमीन की उन्नति कर लें, यह भी सही नहीं होगा।

माननीय कृषि मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मैं श्रीमान् के द्वारा उनका ध्यान पंच वर्षीय योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी योजना में एक बहुत बड़ा दोष भी है। मैं उनसे कहूंगा कि केवल जंगलों को बढ़ा देने से या जंगलों को काट देने से और जमीन में पानी का प्रबन्ध कर देने से समस्या का हल नहीं होता।

कुछ वर्ष पहले दक्षिण अमेरिका के जार्जिया प्रांत में भी यही मुसीबत थी । उन्होंने देखा कि पैदावार बढ़ाने के लिये उनके सामने कोई तरीका नहीं है। लैण्ड रिक्लेम करने से समस्या हल नहीं होती। उस समय वहां एक दैनिक पत्र के सम्पादक ने समस्या का यह हल बतलाया कि कोई जरूरत नहीं है कि दो लाख एकड़ भूमि में खेती हो, दो लाख को एक लाख ही कर दिया जाय और उसको खूब उर्वरा बनाया जाय। उसी एक लाख एकड़ में सब साधन लगाये जायं। आज एक तरफ हम खेती बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारे जानवरों को चरने के लिये कोई साधन नहीं रह गये हैं। आज हमारी एक एक चप्पा जमीन को किसान जोतने की कोशिश कर रहा है। जानवर कहां चरें, कहां पानी पीयें ? हम चेष्टा इस बात की करते हैं कि हमारे यहां उत्पादन बढ़े, लेकिन हमारे रास्ते में कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते।

हमारे यहां एक महावीर शुगर मिल्स है। वह अपना गंदा पानी खेखड़ा नदी में फेंकती है। उस नदी के पानी से कितने जानवरों के प्राण जा रहे हैं। उसी नदी से कितना कल्याण होता था । लेकिन आज उस पानी से गांवों का एक एक जानवर यहां तक कि मछलियां तक मरती चली जाती हैं। मैं गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहता हूं तो मुझ से सभी कहते हैं कि वाटर एफ्लुएंट कमेटी की जब रिपोर्ट तैयार हो जायगी तब निश्चय किया जायगा। हम आज हाउसिंग प्राब्लम [घरों की समस्या] हल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जब कि आदमी बीमारी से मरते जा रहे हैं तो सर्वप्रथम उस ओर ध्यान देना चाहिये। आज वातावरण विषाक्त होता जा रहा है, उस को पहले दूर करना चाहिये। इसके साथ ही साथ जार्जिया प्रांत ने जो व्यवस्था की है उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिये तो शायद पंच वर्षीय योजना सफल हो सके ।

हमें यह भी देखना है कि आज हमें नौ करोड़ रुपया फूड [अन्न] की सब्सिडी [सहायता] घटाने की वजह से देना पड़ रहा है। आप सबको विदित होगा कि इस समूचे देश में कण्ट्रोल की योजना में राशन स्टाफ पर ६.५ करोड़ रूपया खर्च हो रहा है। इतना रूपया हम खर्च करें अपने सूबें में फूड की सब्सिडी के ऊपर। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कंट्रोल को कुछ ढीला करें, बाहर से रूपये को बचा कर कुछ ऐसा करें जिस से हमें हानि भी न हो, कंट्रोल भी ढीला हो सके और हम कुछ लोगों को खाना भी पहुंचा सकें ।

दूसरी बात मैं अपने आदरणीय समाजवादी मित्रों से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि कोई बात कह देना बहुत आसान चीज है। यह कह दिया कि टैक्स हटा लिये जायं और ऐसा वैसा कर दिया जाय। इस देश में सबको मालूम है और किसी से यह बात छिपी नहीं है कि जिस प्रदेश में ८,७१० करोड़ रूपये की राष्ट्रीय आय हो, उसमें ४,६०० करोड़ रूपया यानी ५५.६ प्रतिशत गल्ले पर यानी खाद्य सामग्री पर खर्चा हो जाता हो तो कैसे कहा जा सकता है कि टैक्सेज हटा लिये जायं । जो लोग ऐसी बातें कहते हैं यदि वह अध्ययन करें और समझने का प्रयत्न करें तो उनको मालूम होगा कि हमारे समूचे देश में जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उसमें ५ लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो टैक्स से प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित होते हों। हमारे समूचे देश के सब टैक्सेज मिला लिये जायं तो मालूम होगा कि १२.७ प्रतिशत से ज्यादा लोगों पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। अंग्रेजी सरकार के जमाने में साढ़े दस आने फी रुपया टैक्सेज थे और आज साढ़े ग्यारह आने हैं।

आज यह कहना कि पंचायती राज्य चलाने के लिये सरकार रूपया दे तो यह उचित नहीं होगा। एक तरफ तो आप सरकार के रिसोर्सेज [साधन] कम करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ टैक्सेज न बढ़ायें तो ऐसी अनर्गल और बेकार की बात कहने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। मैं निहायत अदब के साथ आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी समस्याओं पर विचार करने की चेष्टा कीजिये। धर्म की बात कह देना तो बहुत ही आसान चीज है। हमारे एक माननीय सदस्य ने धर्म की और चरित्र की बात कही । वह बहुत सुन्दर बात है।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

धर्म की बात तो हम चुनाव में काफी सुन चुके है और इसने हमें घायल भी बहुत किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप धर्म को समझने की कोशिश कीजिये। धर्म की बात का जिन्होंने जिक्र किया था मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह धर्म की स्त्री को भी पहिचानें उसका नाम सुमति है। इससे यदि आपकी जानकारी हो जायगी तो आप समझ सकेंगे कि धर्म क्या है और धर्म के अनुसार आप फिर अपने कर्त्तव्य की समीक्षा कर सकेंगे।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के शरीर के भारी भरकम होने की बात भी कही गई है। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि मैंने मोटे होने के लिये बहुत सा घी पिया मगर मोटा न हो सका और दुबले होने के लिये बहुत सा दही पिया लेकिन दुबला न हो सका। इन दोनों चीजों से कुछ नहीं होता। मोटा तथा दुबले के बीच में बुद्धि ही परमावश्यक है। तीसरी तथा जरूरी चीज हमारी बुद्धि है जिसके द्वारा हम थोड़ा बहुत सोचें तो समझ में आयेगा कि आज हमारी सरकार के सामने सब से बड़ी समस्या यह है कि सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, जन सहयोग नहीं मिलता है। इसलिये कि हमारे और आपके बीच जो सहयोग प्रेरणा उत्पन्न होती है उसको कुचलने का विरोधी लोग प्रयास करते हैं। जनता सरकार को सहयोग देना चाहती है पर सरकार-विरोधी सरकार के मार्ग में बाधा डालते हैं। इसलिये आपको अपने विषय में सोचना है। क्या यह उचित है ?

गल्ला वसूली के बारे में और दसगुने के बारे में बहुत सी बातें कही गईं मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि दस गुना रूपया वसूल करने में किस प्रकार से हमारे विरोधी भाइयों ने हमारे काम में बाधा डाली और उसके कारण हम पूर्णतः सफल न हो सके। क्या आप जानते हैं कि समाजवादी देशों में गल्ला वसूली के माने क्या होते हैं? जेकोस्लोवाकिया में आपको मालूम होना चाहिये कि गल्ला वसूली के क्या माने होते हैं। किसान ने गल्ला पैदा किया और सब गल्ला खेत में ही जब्त कर लिया गया। सरकार कहती है कि हमें इस गल्ले पर अधिकार है। लेकिन यहां लोग हमारी सरकार के अधिकारों के बारे में गलत धारणायें बना लेते हैं। वह यह नहीं सोचते कि सरकार किसी भी पार्टी की क्यों न हो उसके आदेशों का उल्लंघन करना किसी भी हालत में उचित नहीं होगा और न वांछनीय ही होगा। बेतुकी बातों को कहने के लिये तो कम्युनिस्ट ही बहुत हैं और वह सभी बातों को बुरा कह सकते हैं।

अंत में मैं यह चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ध्यान दें कि आजकल जिलों में राजनीतिक दलबंदी बनी हुई है। इसके साथ अब एक दलबंदी और पैदा हो गई है। हर जिले में एक एम० एल० एज० की पार्टी होती है और दूसरी अधिकारी वर्गों की दलबंदी होती है। इसलिये अगर कोई बात एम० एल० एज० की तरफ से होती है तो अधिकारी सोचते हैं कि यह उनकी तरफ की बात है इसलिये इसका उल्लंघन होना चाहिये। ऐसी चीज ज्यादा जिलों में हो गई है। इस लिये अधिकारी वर्ग के साथ हमारा जो सम्पर्क होना चाहिये वह नहीं होता है और अनुचित आलोचनायें करने में अपना समय नष्ट करना है। लेकिन जो तह की बातें हैं और जो हमें और सबको चुभ रही हैं और जिनके कारण जन समाज को हानि हो रही है उसकी ओर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि हमारा, सबका और सारे समाज का कल्याण होगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो संबोधन इस सदन के सामने पेश किया है मुझे उसे गौर से पढ़ने का मौका मिला और उसपर मैंने मनन भी किया है। शासन के लिये जितने भी उज्ज्वल उपाय हैं उन्नतिशील शासन के लिये जितनी भी बातें हो सकती हैं उन सब पर उन्होंने दृष्टिपात किया है। इसलिये मैं उनको इस सुन्दर कार्य के लिये बधाई देता हूं। अब हमें यह देखना है कि जो उज्ज्वल उपाय शासन को सुधारने के हैं वह कैसे सफल हो सकते हैं। इस तरह उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट संकेत सा कर दिया है। हम जितने सदस्यगण यहां बैठे हुये हैं और जिनके ऊपर इस देश के सब से

बड़े सूबे के शासन का भार है यानी मंत्रिगण सब मिल जुल कर पांच वर्ष में दिखावेंगे कि वह सुन्दर और उज्जवल उपाय कौन कौन हैं और कैसे कैसे वह शासन के सिलसिले में सफल होंगे।

इसी के साथ साथ माननीय राज्यपाल महोदय ने, हमारी सरकार ने गत समय में जो कामयाबी हासिल की है उसका भी जिक्र किया है। शिक्षा की तरफ उन्होंने इशारा किया और एक जटिल समस्या जो यहां की खास तौर से रही है देश के किसानों की कठिनाइयों, दुर्दशाओं और परेशानियों से अलग किया जमींदारी का उन्मूलन करके। उसका भी उन्होंने सम्बोधन में जिक्र किया है कि एक जुलाई से वह सब दिक्कतें हट जायेंगी और किसानों और गवर्नमेंट के बीच में अब दूसरा कोई नहीं होगा।

साथ ही उन्होंने एक तरफ और भी इशारा किया है यहां के निवासियों की एक और बड़ी परेशानी जो है पूंजीवाद की, उसकी तरफ भी बड़ी निपुणाई से इशारा किया है कि इससे यहां के निवासियों को कठिनाइयां हैं। अधिकतर लोग शोषित होते रहते हैं। उसे भी अलग करने की व्यवस्था की जावेगी। गरज कि इस संबोधन में माननीय राज्यपाल महोदय ने हर तरफ दृष्टिपात किया है जो संतोषजनक है।

मुझे खास तौर से इस अवसर पर जो लाभ उठाना है उसका जिक्र इस संबोधन में आया है। अध्यक्ष महोदय, इस सूबे का एक बहुत जबरदस्त हिस्सा पूर्वी जिलों का कहा जाता है। आज कल वहां के लोग बहुत परेशानी और गुर्बत की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने इस भाषण में खास तौर से उसका जिक्र किया है। पूर्वी जिलों में से एक खास जिले की तरफ उन्होंने ध्यान दिया है वह है जिला बस्ती, जिसका मैं सौभाग्य से निवासी हूं। अध्यक्ष महोदय, आज १५ वर्षों से लगातार इस सदन में आवाज उठाई गई है कि यह पूर्वी जिले बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, बहराइच और गोंडा हैं उनकी तरफ सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये। लेकिन समय के फेर से इस सरकार का ख्याल इस तरफ गया नहीं। जब अपनों की सरकार नहीं थी तब का तो हमें कोई उलाहना नहीं देना है लेकिन जब हमारी सरकार बनी तब भी हम उपेक्षा और परमविमुखता की दृष्टि से देखे जायं तो वह चीज हमें खलती है। इस सदन के समक्ष हमें यह बात स्पष्ट कर देना है कि आखिर हमारी सरकार किस प्रकार पीड़ितों की मदद कर रही है। हमारे लिये यह कहना उचित होगा कि पूर्वी जिलों में जहां पर लोग अकाल से पीड़ित हैं, आधा पेट खा कर रह जाते हैं, कमल की जड़ों और आलू के डंठलों को खा खा कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पैसा न होने की वजह से भी बहुत से लोग तरह तरह की कठिनाइयों से पीड़ित हो कर जिन्दगी बसर कर रहे हैं। इस समय अन्न संकट में हमारी भूल अब मालूम हुई है, हमारी आवश्यकता भी अनुभव हुई है।

जिस अन्न की बदौलत किसान जाड़े के कपड़े बनवा लेता था, मुकदमेंबाजी करता था, शादी ब्याह करता था, आज उसकी क्या हालत हो रही है। हमें उसकी हालत का वास्तविक रूप का पता चल रहा है। हम छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में जो गल्ला रख दिया करते थे और अपने खेत की पैदावार एक मन, दो मन जो होती थी वह खर्च कर देते थे तो पता चलता था कि शायद यहां स्माल होल्डिंग्स [छोटी जोतें] हैं, कुछ पैदावार नहीं हुई है। अब जब सरकार की तरफ से वैगन्स के वैगन्स गल्ले हमारे देहातों में पहुंचते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा कितना बड़ा पेट हो गया है, इतना देने पर भी हमारा पेट नहीं भर रहा है। आज भी एक ऐसा मुकाम इन क्षेत्रों में है जहां पर लाखों मन फाइन क्वालिटी का चावल होता रहा है। वहां की पैदावार एक मन दो मन नहीं लाखों मन रही है और अपने आप ही खाते नहीं थे बल्कि इस देश के अन्य प्रान्तों को भी अपने यहां से निर्यात करते रहे हैं। आज सरकार वहां भी गल्ला भेज रही है। उस सफेद रंग में तो फर्क नहीं आया। वहां चावल तो पैदा होता नहीं, लेकिन सफेदी जरूर नजर आ रही है। सफेद क़िस्म की बजड़ी सरकार वहां लाखों मन भेज रही है, विश्वास मानिये, किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट और जनता के बीच में हम एक कनेक्टिंग लिंक हैं, जनता ने चुन कर हमको इस सदन में भेजा है। जो सफेद रंग की बजड़ी वहां लाखों मन में पहुंचती है, मजदूर, पल्लेदार, जो पहले अच्छे

[श्री रामकुमार शास्त्री]

प्रकार का चावल छानबीन कर खाया करते थे आज उनको पर्याप्त मात्रा में यह सफेद बजड़ी भी नहीं मिल रही है । जहां तक सरकार का संबंध है हमको उससे शिकायत नहीं हो सकती । हमारे लिये यह नामुनासिब भी होगा, अनुचित होगा अगर मैं उनको लाञ्छन लगाऊं और इस की आलोचना इस अभिप्राय से करूं कि उसने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । हां, हमारे अफसरान ने जरूर उपेक्षा की इस बात की लेकिन सप्लीमेंटरी बजट के समय जब कि यहां माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे सदस्य मौजूद थे उस वक्त बतलाया था कि वहां की हालत नागुफ्ताबे हो रही है । वहां के बसने वाले जो है बारिश न होने की वजह से जो अन्न वहां पैदा होता था वह तीन साल से नहीं हो रहा है। वहां की हालत बरबाद होती चली जा रही है ।

गवर्नमेंट ने और प्रान्तों की रक्षा के लिये रेस्ट्रिक्शंस[रोक]लगा दिये हैं कि गोंडा, बहराइच, बस्ती और गोरखपुर में चावल नैपाल या दूसरे इलाकों से न आ सके । बासी, डुमरियागंज जहां तक मुझे याद है दोनों तहसीलों की आबादी १० लाख की है। माना कि ५० परसेंट फाकाकश नहीं हैं,लेकिन ५० परसेंट तो हैं जिनके पास गल्ला नहीं है, जिनके लिये सरकार का फर्ज होता है , नान आफिशियल्स और आफिशियल्स का फर्ज होता है । जो भी संस्थायें हैं उनका भी फर्ज होता है कि वे उनकी कठिनाइयों में शरीक हों। पहिले ऐसा होता था कि बहुत सी संस्थायें भी लोगों की मदद करती रही हैं, लेकिन आजकल जब कभी यह अकाल पड़ता है सारा बोझा सरकार के ऊपर ही पड़ जाता है । सरकार ने हमारी बात को सुना । मुख्य मंत्री जी वहां तशरीफ ले गये, खाद्य मंत्री जी भी घर घर घूमे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इतना रुपया पैसा सरकार द्वारा देने पर भी हमारी भूख नहीं मिटी और आज हम महसूस कर रहे हैं कि वहां के बहुत से निवासी आधा पेट भोजन पाते हैं । आज के स्वतंत्र भारत को देखा जाय तो उसमें श्री चन्द्र भाल त्रिपाठी ने वहां का एक बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है और वास्तविक स्थिति को उन्होंने दिखला दिया है।

हमारे यहां गवर्नमेंट ने कुछ टेस्ट वर्क्स शुरू किए हैं । उनके भी कुछ कायदे और कानून हैं जो पुरानी सरकार के बनाये हुये हैं। वहां पर कुछ सड़कें बनाई गई हैं, कुछ पोखरे भी खुदवाये गये हैं। नतीजा यह है कि हजारों की तादाद में यह सिलसिला जारी है जिससे साबित है कि वहां की स्थिति भयानक है। ६ : ६ आने, ८ : ८ आने में खानदानी मजदूर तक काम कर रहे हैं । मैं बड़े लोगों को नहीं कहता हूं बल्कि उन मध्यम वर्ग के लोगों को कहता हूं जो लैंड ओनर हैं, अध्यापक है, । इस बात से मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी हालत के होते हुये ऐसी क्या बात है कि सरकार ने अभी तक फेमिन डिक्लेयर (अकाल घोषित) नहीं किया है । वे कहेंगे कि आप को आम खाने से काम कि गुठलियों को गिनने से । ठीक है गुठलियों को गिनने से क्या काम । टेस्ट वर्क्स वहां पर चल रहे हैं। हजारों आदमी वहां पर काम कर रहे हैं, २० हजार आदमियों को वहां पर काम करने की व्यवस्था कर दी गयी है । काटेज इंडस्ट्री अगर कोई शुरू की जाती तो बहुत अच्छा होता। हमार यहां बैठे हुय बहुत से मंत्रिगण चरखा चलाना तो जानते ही होंगे । मैं अर्ज करूंगा कि क्या अब उसके लिये वक्त नही है । आप वहां की हालत तो देखिए। अच्छे अच्छे घर के लोग स्वेटर पहिने हुये काम करते हैं । ८ : ८, १० : १० आना की मजदूरी करते हैं, नायब तहसीलदार की लड़की टोकरी लेकर मिट्टी लाती है । कभी कभी ऐसा समझा जाता है कि ये एम० एल० ए० कहीं मुबालिगा तो नहीं देते । मैं कहता हूं कि इसके लिये किसी एक को मुकर्रर कर दिया जाय । सरपट तौर पर काम नहीं चलता है। जब मद्रास में हमारे माननीय श्री प्रकाश वहां घूमघूम कर स्थिति को जान गये तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी किसी मंत्री को थोड़ा सा वक्त दे दें जो वहां जा कर पूरी परिस्थिति को देख लें तो जो भी काम वहां हो रहा है वह व्यवस्थित रूप से होने लगेगा ।

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी परेशान रहता है कि अगर मुख्य मंत्री आये और कुछ कारगुजारी नहीं हुई तो मैं अपनी जगह पर गलत साबित हो जाऊंगा। इसलिये कोई वेल प्लानिंग होनी चाहिये। अगर आपने हजारों झौवे मिट्टी या हजारों गाड़ी सड़कों पर डलवा दी और वह बरसात में पानी में बह गयी तो आपका रुपया भी खर्च हो गया और वह चीज भी ठीक नहीं हुई। आपका कुछ ऐसा प्लान होना चाहिये कि आपका रुपया भी खर्च हो जाय और दूसरे वह चीज भी कायम रह जाय जिससे वहां के लोग फायदा उठा सकें। थोड़े में मुझे यह निवेदन करना है कि बांध गंगा का एक प्रोजेक्ट [योजना] है। बांध गंगा नदी है, सरकार का ख्याल है कि उस प्रोजेक्ट के जरिये वह वहां के २२ हजार निवासियों के लिये आबपाशी का इन्तजाम करदे तो वे अपनी गुजर औकात अच्छी तरह से कर सकते हैं। वह बीस मील के दौरान में है। १३ वर्ष में यह मौका आया है जिससे हम आगे चलकर फायदा उठा सकते हैं। मैं माननीय सदस्यगण का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस तरफ भी ध्यान लगावें। मुझे यह भी पता लगा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी रुपये पैसे से मदद करने के लिये तैयार है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कोई योजना उसके सामने रखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ कृपा करेगी।

आज इत्तिफाक से मैं माननीय रफी अहमद किदवाई साहब से मिला। वे शायद माननीय पन्त जी से ही मुलाकात करने के लिये यहां आये हुये हैं। मैंने उनसे कहा कि अब तो आप वहां के खाद्यमंत्री हैं तो आप जरा बस्ती चल कर वहां की हालत तो देख आइये। उन्होंने बतलाया कि सरकार भी कुछ रुपया देना चाहती है। तो मैं आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बस्ती ही नहीं बल्कि गोंडा, बहराइच आदि जिलों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीगण अपना सब समय यहीं पर न लगायें, बल्कि इन जिलों में भी जाने का कष्ट करें और दूसरी संस्थायें भी पूर्वी जिलों में जाकर हम लोगों को उबारें। यहां मुझे यही निवेदन करना है।

श्री हरि प्रसाद—माननीय स्पीकर साहब, पीलीभीत के पूर्वी भाग में जो नैपाल सीमा पर स्थित है वहां एक कुख्यात डाकू बशीर अभी चन्द दिन हुये मारा गया है। उसके मारे जाने पर हमारी यू० पी० की पुलिस ने वहां एक दरबार किया। वह दरबार हमारे माननीय मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता में हुआ। पुलिस वालों को बड़े बड़े इनाम दिये गये। पुलिस कर्मचारियों के लिये शाबासी भी दी गई। यह सब होते हुये भी वहां रेंडियों और लड़कों का नाच भी हुआ। यह जो कुछ भी हुआ उससे मुझे कोई मतभेद नहीं है। मगर वहां पर इस कार्य के लिये जो पुलिस के सैकड़ों आदमी मुकर्रर हुये थे उन्होंने डेढ़ वर्ष में सैकड़ों गैलन पेट्रोल फूंका। अनुमान किया जाता है कि उन लोगों ने वहां पर करीब करीब ६ लाख रुपया खर्च किया। हमारी सरकार के बड़े बड़े हाकिमों का इतनी ज्यादा तादाद में रुपया पानी की तरह बहाना, गैरजिम्मेदारी के साथ इस तरह रुपया खर्च करना कहां तक ठीक था? लेकिन छोटे कर्मचारियों के ऊपर विश्वास नहीं किया गया। इतने रुपये के खर्च हो जाने के बाद एक छोटे से सर्किल इंसपेक्टर और दो पुलिस सब-इंसपेक्टर .....

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा प्रस्ताव पर या संशोधन पर अपना लक्ष्य रख कर भाषण करें।

श्री हरि प्रसाद—सर्किल इंसपेक्टर और दो थानेदारों और चार-पांच सिपाहियों को लेकर उस जगह पर तैनात किया। तीन चार दिनों के बाद बशीर डाकू मार गिराया गया। उसके मारे जाने के बाद सरकार ने घोषणा की कि उस आफिसर को इनाम और हाई रैंक दिया जायगा, लेकिन उसके बाद आज तक उसे कोई भी हाई रैंक नहीं दिया गया।

इसके बाद जो किताब वहां के पुलिस इंसपेक्टर ने छपवाई थी वह सरकारी खर्चे से छपी और जब लोगों ने उसे मांगा तो इन्कार कर दिया गया। समझ में नहीं आता कि क्या उस किताब के देखने में कोई मिलीटरी राज था जिस लिये नहीं दी गई। यू० पी० सरकार को

[श्री हरि प्रसाद]

भी लिखा गया। किताब पर कोई कीमत नहीं थी मगर वह १,१ रुपये में बेची गई। वह रुपया किस कोष में जमा हुआ ?

माननीय अध्यक्ष--यहां कोई किस्सा सुनाने का स्थान नहीं है। मैं समझता हूं कि यहां जो प्रस्ताव है उसके संबंध में ही कोई जिक्र मिलाते हुये अगर कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य को पेश करनी चाहिये। लेकिन सिर्फ किस्सा ही सुनाने से और उसका किस्से ही में अन्त करना इस तरह का किस्सा सुनाने का यह स्थान नहीं है।

श्री हरि प्रसाद--मुझे सबसे ज्यादा यह कहना है कि हमारी सरकार ने छोटे कर्मचारियों का विश्वास न करते हुये और जो एक रुपये के हिसाब से किताब बेची उसका कोई हिसाब न रखते हुये वह ६ लाख रुपया जो जनता का इस तरह से बहाया गया उसका आज तक कोई हिसाब नहीं रखा गया। बस मुझे इस ६ लाख रुपये की बाबत कहना है।

हमारे पीलीभीत फैक्टरी में बोनस कई साल से बंटता आया है। मान लीजिये १ लाख ४ हजार रुपया बोनस में बंटने के लिये दिया जाय और उस लेबर की १ दिन की तनख्वाह २५ हजार होती है, तो २५ हजार के हिसाब से ४ दिन की तनख्वाह तो बांट दी गई और ४ हजार रुपया दूसरे साल बोनस में नहीं शामिल किया गया। कई बार सरकार से इस बात की प्रार्थना भी की गई कि बचे हुये रुपये को दूसरे साल के बोनस में मिलाकर बांट दिया जाय मगर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनसे इस रुपये का हिसाब लिया जाय। जब उस युनियन से कहा गया तो वह जवाब नहीं देते, सरकार से कहा गया तो वह जवाब नही देते, मिल मालिक भी कोई जवाब नहीं देते। सरकार से प्रार्थना है कि वह कम से कम इस रुपये का हिसाब हम लोगों को जरूर दिलवाये।

श्री कालीचरण टंडन--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विचार माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में प्रकट किये गये हैं उनमें विरोधी दल की ओर से अकसर इस बात का उल्लेख किया गया कि जनहित की जो जरूरी योजनायें थीं और जिनसे हो सकता है सीधे सीधे संबंध जनता का उनकी ओर राज्यपाल महोदय ने कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया। मेरा ऐसा अनुभव है कि जो अभिभाषण ३९ मिनट तक पढ़ा गया वह अब तक के अभिभाषणों में सबसे विस्तृत रूप से पढ़े जाने वाला अभिभाषण था और शायद कोई भी महत्वपूर्ण समस्या ऐसी नहीं थी जिसका उल्लेख इस अभिभाषण में न किया गया हो। लेकिन हो सकता है कि जैसा मेरे मित्र शुक्ल जी ने कहा, कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता कि जिसमें कोई न कोई कमी अगर ढूंढने के लिये निकाली जाय तो न निकल सके। लेकिन उन सब कमियों का निदर्शन कराना ही विरोधी दल को अपेक्षित हो तो भी यह ढंग जनहित की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता चाहे उसको कितने ही जोरदार शब्दों में रखा गया हो।

मुझे अपने उन मित्रों की, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जमींदारी उन्मूलन की योजना से इस प्रांत को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है, बात सुनकर ताज्जुब हुआ। हमारे वह साथी जिन्होंने इस पिछले २५ वर्षों में इस देश के किसानों को सहायता पहुंचाने के लिये उनका सुधार करने के लिये आवाजें उठाईं और संघर्ष किया वही साथी आज विरोधी दल के बनने के बाद उस सफलता को जो उनके भी प्रयत्न से मिली उससे आज इन्कार करते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो योजना भूमि सुधार की बनी है वह अभी तक चूंकि कार्यान्वित नहीं हो पाई है इसलिये ठीक ठीक रूपसे वह योजना विरोधी दल का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई है। अभी उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिये अब उस योजना को कार्यान्वित करने का समय आ रहा है और उसकी घोषणा माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में की है कि वह पहली जुलाई से लागू होने जा रही है। जैसे कि हमारे साथी उस १५ अगस्त का विश्वास नहीं करते थे कि एक समय आयेगा और यहां के निकम्मे नातजुर्बेकार और आपस में लड़ने वाले कहे जाने वाले लोग यहां का शासन चलाने में समर्थ हो सकेंगे। उन्होंने दुनिया को

दिखा दिया कि किस प्रकार से शासन किया जाता है। इसी तरह से हमारे प्रांत के अन्दर जो भूमि सुधार योजना बनी है जब वह कार्यान्वित हो जायगी तो वह हमारे देश के अन्दर ही नहीं बल्कि सारी दुनियां में एक अच्छे रूप में देखी और स्वीकार की जायगी।

हमारे एक दोस्त की यह शिकायत कि जो जमींदारों को पुनर्वास सहायता दी जा रही है उससे बड़े बड़े ताल्लुकेदार जो आज आमतौर पर बंगलों और मोटरों का उपयोग कर रहे हैं वह गलियों में घूमते नजर आयेंगे। इस तरह की बहस इस विधान सभा के अन्दर बहुत बार सुनी गई है और इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बहुत सुन्दर अल्फाज में दिया गया है। उसी तरह से हमारे सोशलिस्ट भाई भूमि सुधार की योजना में खामी बतला रहे हैं कि भूमि का फिर से वितरण होना चाहिये। उसका जवाब भी हमारे मुख्य मंत्री ने अच्छी तरह से दे दिया है कि हमारे यहां कितने खेती वाले लोग हैं उनमें अगर समानता की जाय तो आज जितनी जमीन हमारे पास है वह बिल्कुल नाकाफी होगी और अनइकोनामिक होल्डिंगस् [अलाभकर जोतें] बढ़ जायगी जिससे जनता का कोई भी लाभ नहीं हो सकता। मैं यह निवेदन करन चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जैसा माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि पिछले जमाने में हमको बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से जितनी प्रगति हम चाहते थे वह नहीं हो सकी। आगे भी जो कुछ हमको करना है उसमें सफलता तभी मिल सकती है जब कि जनता का सहयोग ईमानदारी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ मिलता रहे, चाहे हमको अपने खाने में कमी करनी पड़े और चाहे कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिये सभी साथियों को और सब विचारों के लोगों को मिलजुलकर काम करने की भावना से इस काम में सहायता करनी चाहिये। इसी भावना को लेकर अगर हम चलें तो हम अपने प्रांत और राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे।

मैं विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वह इसी भावना से इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहायता देने की कृपा करेंगे और इसी में अपनी शक्ति का उपयोग करें तो बहुत लाभ देश का हो सकता है बजाय इसके कि वह हमारी कमियों को ही दिखलावें। मुझे इस चीज में कोई शक नहीं है कि हमें काफ़ी धैर्य के साथ, काफ़ी इतमिनान के साथ और अपने दूसरे साथियों पर भरोसा कर के काम करना होगा।

कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती जब तक उसके अधिकारी और उसके कर्मचारी भी उस सरकार के सार्वजनिक हित की नीति के अनुसार जनता को ऊंचा उठाने में, उस की सेवा करने में ईमानदारी के साथ न चलें। मुझे यह कहते हुये शर्म मालूम होती है कि पिछले ५ वर्षों में हमारे प्रधान मंत्री ने और मंत्रिमंडल ने और विधान मंडल के सदस्यों ने जिस पूर्ण विश्वास के साथ अधिकारियों को देश के निर्माण कार्यों और योजनाओं को सफल बनाने का भार सौंपा था उसको वह अच्छे ढंग से निभाने में सफल न हो सके। कितने ही प्रोत्साहन, सहायता और इनामात वगैरह के बावजूद भी पुलिस विभाग और दूसरे कर्मचारी जो जनता के सीधे सम्पर्क में आते हैं जैसे पटवारी आदि दूसरे कर्मचारी हैं उनका कैसा व्यवहार जनता के साथ है। मैं समझता हूं कि उसी मंत्रिमंडल को और सदन को पूरा ज्ञान है और उस नीति को रोकने के लिये जो आज भी हमारे राष्ट्र की उन्नति में बाधा डाल रही है हमें जरूरी क़दम उठाना होगा, जो ठोस और व्यवहारिक होना चाहिये और जिसमें जनता का सहयोग भी मिलना हमारे लिये बहुत ही आवश्यक है।

आज भी रिश्वत का बाजार गर्म है हालांकि मंत्रिमंडल की तरफ से काफी कोशिश हो रही है और उच्च अधिकारी जांच पड़ताल से ऐसे लोगों को सजायाब कराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हाल यह है कि "मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की"। इसलिये जरूरी है कि मंत्रि-मंडल और मंत्री महोदय अपने अपने विभागों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों और जनता में से जो उनके २५ साल के अनुभव से विश्वसनीय

[श्री कालीचरण टंडन]

ट्रस्टेड, ईमानदार और जिम्मेदार कार्यकर्ता या व्यक्ति सिद्ध हुये हैं उनका विश्वास करें और उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करें और उनसे सूचना प्राप्त करें और उस सूचना के लिये शायद गवाही वगैरह नहीं मिल सकती और न मिसल के लिये मसाला ही मिल सकता है, लेकिन इतने प्रमाण मिल सकते हैं जिससे उन की ईमानदारी परखी जा सकती है और इस तरह से जिनकी ईमानदारी पर शक किया जा सकता है उन को सजा दी जा सकती है । इस तरह की कार्यवाही से काफ़ी हद तक उस प्रान्त की जनता अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकती है । अगर ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया जाता तो हमारी योजनायें चाहे वह कितनी ही सुन्दर हों कामयाब नहीं हो सकतीं । हम ने क़सम खाई है और हम सब ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे लेकिन जब तक हम उन कर्मचारियों को सजग व सतर्क नहीं कर लेते, जिनके द्वारा हमें यह सब स्कीमें चलाना है, तब तक हम इन सब चीजों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं । आज इनमें अनुशासनहीनता , अस्तव्यस्तता और अनियमितता जो हमें दिखाई देती है वह हमें अपनी शासन व्यवस्था चलाने में अखर रही है और जनता के सामने जाने पर वह हमें थोड़ा सा शर्मिन्दा होने पर मजबूर करती है, लेकिन इसके बाद भी हमें शुद्ध भावना से आगे ऐसे मार्ग का प्रयोग करना चाहिये जिससे हम आगे बड़े बड़े काम कर सकें । लेकिन अगर हम गाली का जवाब गाली से देने की कोशिश करें और महज़ विरोध के लिये विरोध करने का मार्ग अपनावें तो सही मानों में अपनी गणतंत्र व्यवस्था के उपहास की बात होगी । अतः मेरा नम्र निवेदन विशेषरूप से अपने विरोधी मित्रों से है कि वह हर चीज़ को सही ढंग से और सही रोशनी में देखने की कृपा करें । अगर वे पक्षपातपूर्ण नीति को अपना कर विरोधी भावना का यहां पर प्रदर्शन करेंगे तो वे सच्चे मानी में जनता की भावना का प्रदर्शन नहीं करेंगे । साथ ही साथ जो प्रगति हम करना चाहते हैं उसमें धक्का ही लगेगा ।

मुझे आशा है कि मंत्रिमंडल और दूसरे हमारे साथी जिस ईमानदारी के साथ अपने प्रान्त की शासन-व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हर वर्ग का उसी भावना से सहयोग प्राप्त होगा जिस भावना से राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में ज़िक्र किया है ।

(इसके पश्चात् सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
२२ मई, १९५२ ई० ।

नत्थी क

(देखिए पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्री कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

यूनाइटेड प्राविन्सेज़ शुगर फैक्ट्रीज़ कन्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई० को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये — यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३८।

विधेयक

यह उचित है कि आगे दिये गये प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविन्सेज़ शुगर फैक्टरीज़ कन्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई० में संशोधन किया जाय, — प्रस्तावना। यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३८।

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज़ कन्ट्रोल (संशोधक) अधिनियम, १९५२ ई० होगा। — संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० शुगर फैक्टरीज़ कन्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई० (जो आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) के बड़े शीर्षक 'lon title' में:— — यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३८ के बड़े शीर्षक में संशोधन।

(क) शब्द " to provide for the licensing of sugar factories and " निकाल दिये जायंगे, और

(ख) शब्द ' in ' और ' factories ' के बीच आने वाले शब्द ' such ' के स्थान पर शब्द 'sugar' रख दिया जायगा।

३—मूल अधिनियम की प्रस्तावना में : — यू० पी० ऐक्ट

(क) शब्द " to provide for the licensing of sugar factories and" निकाल दिये जांयगे; और — संख्या १, १९३८ की प्रस्तावना में संशोधन।

(ख) शब्द ' in ' और " factories " के बीच आने वाले शब्द ' such ' के स्थान पर शब्द " sugar" रख दिया जायगा।

४—मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "and shall remain in force until the 30th June, 1952" निकाल दिये जांयगे। — यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३८ की धारा १ में संशोधन।

५—मूल अधिनियम का अध्याय ३ निकाल दिया जायगा। — यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३८ के अध्याय ३ का निकाल दिया जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा २६ निकाल दी जायगी। — यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३८ की धारा २६ का निकाल दिया जाना।

७—मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (१) और (२) निकाल दी जायगी। — यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३८ की धारा २७ में संशोधन।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३८ की धारा ३० में संशोधन ।

८—मूल अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (२) में:

(क) खंड (c) निकाल दिया जायगा,

(ख) खंड (d) निकाल दिया जायगा,

(ग) खंड (e) में शब्द और अंक "Sections 13 (1) and 19 (5)" के स्थान पर शब्द और अंक "Sections 19 (5)" रख दिये जांयगे, और (घ) खंड (f) में शब्द और अंक "Sections 13 and 23" के स्थान पर शब्द और अंक "Sections 23" रख दिये जायंगे ।

उद्देश्य और कारण

संसद ने इण्डस्ट्रीज (डेवलेपमेंट एन्ड रेगूलेशन्स) ऐक्ट, १९५१ ई० नामक एक अधिनियम पारित किया है, जो ८ मई, सन् १९५२ ई० से प्रचलित कर दिया गया है । उक्त अधिनियम के लागू होने से यू० पी० शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई० के कुछ उपबन्ध अब निष्प्रभाव हो गये हैं । इन उपबन्धों को निकाल देने तथा संशोधित अधिनियम को स्थायी रूप देने के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

हुकुम सिंह,
उद्योग मंत्री ।

नत्थी ख

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते विधेयक १९५२ ई० ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था के निमित्त,

विधेयक

संविधान के अनुच्छेद १८६ में यह व्यवस्था की गयी है कि विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उप-सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे क्रमशः राज्य का विधान मंडल को विधि द्वारा नियत करे, दिये जांयगे इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और आरम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२" होगा।"

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

अध्यक्ष और सभापति का वेतन।

२—उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति को बारह सौ रुपये मासिक का शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, १९२३ ई० के अनुसार लिये जाने वाले आयकर सम्मिलित नहीं होंगे ।

उपाध्यक्ष और उप-सभापति के वेतन।

३—उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उप-सभापति को ६ सौ रुपये प्रति मास का वेतन दिया जायगा।

अध्यक्ष और सभापति के लिये बिना किराये के सुसज्जित निवास-स्थान।

४—अध्यक्ष और सभापति को लखनऊ में पूरे वर्ष बिना किराये के सुसज्जित निवास-स्थान उससे सम्बद्ध भूमि के साथ, जिसका रख रखाव सार्वजनिक व्यय से होगा, पाने का अधिकार रहेगा और उक्त अधिकारियों को ऐसे किसी अन्य स्थान पर भी जहां पर उत्तर प्रदेश विधान राज्य मंडल का सत्र (सेशन) हो, उक्त प्रकार के निवास-स्थान पाने का अधिकार सत्र की अवधि के लिये और उससे पहले और उससे पीछे ऐसे समय के लिये होगा जो एक सप्ताह से अधिक न हो ।

अध्यक्ष और सभापति के लिये सरकारी परिवहन ।

५—अध्यक्ष और सभापति के उपयोग के लिये उपयुक्त परिवहन की भी व्यवस्था की जायगी जिनका क्रय और रखरखाव राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से होगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप-सभापति के भत्ते ।

६—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, और उप-सभापति को सार्वजनिक कार्य के लिये यात्रा के निमित्त ऐसे दर पर और ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों से अवधारित की जायं, यात्रिक और दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३७ का निरसन।

७—यू० पी० लेजिस्लेचर (आफिसर्स सेलेरीज़) ऐक्ट, १९३७ निरस्त होगा और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

८—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

(२) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये धारा २ में उल्लिखित करों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनर्भुगतान की व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है।

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद १८६ में यह व्यवस्था की गयी है कि विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उप-सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें क्रमशः राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा नियत करे, दिये जायंगे।

इस विधेयक द्वारा तदनुसार व्यवस्था की जा रही है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री ।

विधान परिषद

नत्थी ग

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था के निमित्त विधेयक

विधेयक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के वेतन और भत्तों को निश्चित करना आवश्यक है ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

यात्रिक तथा दैनिक भत्ता।

२—इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत शर्तों और निरोधों के अधीन, उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-मन्त्री या सभा सचिव (पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी) के पद पर आसीन न हो सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्य तथा कार्य के संबंध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के निमित्त निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :

(१) यात्रिक भत्ता जो विमान या रेल द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के रेल के किराये का ड्योढ़ा (१ १/२) होगा और सड़क द्वारा यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के गजटेड आफ़िसर्स को मिलने वाली दर से मील अनुसार भत्ता (माइलेज); और

(२) दैनिक भत्ता जो मैदान में दस रुपये की दर से और पहाड़ पर पन्द्रह रुपये की दर से होगा।।

वेतन।

३—उत्तर प्रदेश विधान सभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-मन्त्री, उपाध्यक्ष, उप-सभापति, या सभा-सचिव के पद पर आसीन न हो, धारा २ में अभिदिष्ट यात्रिक और दैनिक भत्तों के अतिरिक्त प्रतिमास दो सौ रुपया वेतन पाने का अधिकारी होगा; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त वेतन में निरन्तर अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से जिसकी भी इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में व्यवस्था की गयी हो, इस वेतन में से कटौती की जा सकती है ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३८ का निरसन।

४—यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर (मेम्बर्स इमाल्यूमेंट्स) ऐक्ट, १९३८ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

नियम बनाने का अधिकार।

५—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकती है :

(क) उस अवधि को जिसके भीतर और उन शर्तों को जिनके अधीन दैनिक भत्ता लिया जा सकता है, नियत करना और उन परिस्थितियों को जिनमें भत्तों का दियाजाना रोका जा सकता है, नियत करना।

(ख) उन शर्तों को जिनके अधीन और उन यात्राओं को जिनके लिये यात्रिक भत्ता जिसमें मील अनुसार भत्ता भी सम्मिलित है, लिया जा सकता है, नियत करना।

(३) इस अधिनियम के अनुसार बनाये हुये नियम बनाने के बाद यथाशीघ्र विधान मंडल के सामने कम से कम सात दिन तक रक्खे जायंगे और वे ऐसे परिस्कारों (मोडिफिकेशन) के अधीन होंगे जिन्हें विधान मंडल उस सत्र (सेशन) में करे, जिसमें वे उक्त प्रकार रक्खे गयेहों।

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद १९५ में यह व्यवस्था की गयी है कि विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को ऐसे वेतन और भत्ते पाने का अधिकार होगा जिन्हें राज्य विधान मंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे।

इस विधेयक द्वारा उसकी व्यवस्था की जा रही है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

नत्थी घ

(देखिए पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई०

मध्यवर्तियों द्वारा भूमि के कुछ हस्तान्तरणों (ट्रांसफ़र्स) के विनियमन के निमित्त

विधेयक

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) प्रचलित हो गया है ;

और उक्त प्रचलन के फलस्वरूप संक्रमण (ट्रांज़िशन) संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त, मध्यवर्तियों द्वारा भूमि के कुछ हस्तान्तरणों का विनियमन करना आवश्यक है ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा । संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

(२) इसका प्रसार उस क्षेत्र में होगा जिसम १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम उक्त अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) के अधीन, प्रचलित है ।

(३) यह "निश्चित दिनांक" से प्रचलित होगा और प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर, परिभाषा ।

(क) "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य २१ मई, १९५२ ई० से है ;

(ख) किसी भूमि के संबंध में "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी (proprietor), मातहतदार (under-proprietor), अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (Permanent lessee in Avadh) से है, और उसके अन्त र्गत दवामी काश्टतकार (permanent tenure-holder) भी हैं ;

(ग) पट्टे (lease) के अतर्गत माफ़ी या रियायती लगान की काश्त (rent free grant or grant at a favourable rate of rent) भी है, और

(घ) उन शब्दों और पदों का तात्पर्य जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गयी है, किन्तु यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में की गयी है, वही होगा जो उन्हें उक्त ऐक्ट में दिया गया है।

३—किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के रहते हुये भी—

१५ जनवरी, १९५२ ई० के बाद किये गये पट्टे और अन्य व्यवहार (transactions) आरम्भ से ही (abinitio) अवैध होंगे।

(१) मध्यवर्ती द्वारा भूमि का पट्टा जो निश्चित दिनांक या उसके बाद दिया गया या निबन्धित रजिस्टर्ड किया गया हो, सम्पादन (इक्वीज़ीशन) के दिनांक से अवैध (वायड) होगा और एतद्द्वारा अवैध घोषित किया जाता है और पट्टेदार (lessee) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८० के एवं १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २०९ के प्रयोजनों के लिये ऐसा व्यक्ति समझा जायगा, जो समय विशेष पर प्रचलित विधि के उपबन्धों के विपरीत भूमि पर क़ाबिज़ हो;

(२) मध्यवर्ती और काश्तकार (टेनेंट) के बीच किया गया ऐसा व्यवहार (ट्रांज़ेक्शन) जिससे काश्तकार को अपने खाते (holding) या उसके किसी भाग के विक्रय द्वारा हस्तान्तरण का अधिकार प्राप्त हो और जो निश्चित दिनांक को या उसके बाद किया या अभिनिविष्ट (एन्टर्ड इनटु) किया गया हो या निबंधित (रजिस्टर्ड) किया गया हो, सम्पादन (एक्वीज़ीशन) के दिनांक से व्यर्थ और विफल होगा और एतत्द्वारा व्यर्थ और विफल घोषित किया जाता है।

स्पष्टीकरण :—इस धारा में निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) का तात्पर्य ऐसे निबन्धन से है जो लेख्यों (डाकुमेंट्स) के निबंधन से सम्बद्ध समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार हो और उसके अन्तर्गत यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ के अधीन साक्षीकरण (अटेस्टेशन) भी है।—

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (१९५१ ई० का अधिनियम सं० १) की वैधता के विरुद्ध आक्षेप के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट की आज्ञा के विरुद्ध निवेसित अपील खारिज हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने अपना यह निश्चय घोषित कर दिया है कि १ जुलाई, १९५२ ई० से जमींदारी प्रथा का अन्त कर दिया जायगा। उस छोटी सी अवधि में जिसमें मध्यवर्ती भूमि पर क़ाबिज़ रहेंगे इस बात की आशंका है कि वे यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अधीन भूमि व्यवस्था से सम्बद्ध अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे और इस प्रकार जमींदारी विनाश के पश्चात् कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे और कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था को भारी क्षति पहुंचायेंगे।

सामान्य जनता के हितों की रक्षा करने तथा ग्राम्य अर्थ व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि विधेयक की धारा ३ में उल्लिखित प्रकार के वे व्यवहार (transactions) तथा पट्टे, जो इस विधेयक के गजट में प्रकाशन के दिनांक, अर्थात् २१ मई, १९५२ ई० को या उसके पश्चात् निबन्धन के लिये प्रस्तुत किये जायं, व्यर्थ (void) घोषित कर दिये जायं । इस प्रयोजन के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

चरण सिंह,
माल मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२० एल० ए०—१९५२—८५०